राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ४] द्वितीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र का १३वाँ दिवस [संख्या १०

बुधवार, ५ नवम्बर, १६५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.६ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

निर्यात किया हुआ खाद्यान्न

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Minister incharge of Civil Supplies be pleased to state:—

(a) Is it correct that large quantaties of food grains are exported out side the State by road as well as by Trains ?

(b) What are the total quantities of food grains booked by rail for destinations out side the State during the months of May, June and July, 1958 ? What were the retail prices of various food-grains prevalent in the State during this period and during the corresponding period in the year 1957 ?

(c) What steps have been taken to prevent this rise in prices of food grains as well as to check the export of food grains out side the state ?

(d) How many fair price shops are being run in the state and where ? Whather the Government have received representantion from other places also for opening fair-price shops there ?

खाद्य एवं प्रदाय मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (a) Yes .

(b) According to the information received from the disticts of Alwar, Bharatpur, Bikaner, Bhilwara, Chittorgarh, Jodhpur, Jhalawar, Kotah, Nagore, Sirohi, Sikar, Tonk, Udaipur 1,92, 867,261,180,&116,387 bags of various food-grains were exported for destinations outside Rajasthan by rail during May, June and July, 1958 respectively. A statement showing the details District-wise has been placed on the table of the House. The information from the Districts of Ajmer, Sawai Madhopur, Pali, Jalore. Jaipur, Shri Ganganagar and Barmer is still awaited. In case of Banswara and Doongarpur, the exports are made by road mostly. In

Page No.2

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

Jaisalmer, Jhunjhnu no export is taking place as these Districts are deficiit areas. For Churu, Bundi and Pali information has not yet been Collected.

Statment of prices of foodgrains prevailing in important centres of the State during May, June and July, 1958 and corresponding period in 1957 has been placed on the table of the House.

(c) In order to arrest futher rise in prices. Cheap Grain shops have been set up in all the Disricts of the State. As present 533 shops as detailed in the inclosed statement are functioning in the State. As for checking export of grains out side the State Government of india have already formed wheat Zone III- comprising of Rajasthan, Madhya Pradesh and Bombay and restricted export of wheat and its products without a valid permit from the State Government concerned. As for coarse grains, there is no restriction on its movement and the question of checking its export, therefore, does not arise.

(d) At present 533 fair-price shops have been functioning at various centres in the State as per details given in statement place on the table of the House

Represenations from other Centres were also received for such shops and they were sent to the Collectors concerned for immediate necessary action.

(सूची अनुपलब्ध)

श्री पी० के० चौधरी : What are the present rates for the grains at the Divisional Head quarters ?

श्री अध्यक्ष : The question of price of food grains does not arise out of this question. How can he say now ?

श्री पी० के० चौधरी : I asked for the prices for May, June and July. when the question was submitted, I wanted the present rates. Whether they are avialble with the Hon. Minister ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वे जो फीगर्स पूछे थे उनका स्टेटमेन्ट दे दिया।

श्री पी० के० चौधरी : डिविज़नल हैड क्वार्टर्स हैं, वहां चीप ग्रेन शॉप्स किन शर्तों पर दी जाती हैं ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : किन-किन शर्तों पर चीप ग्रेन शॉप्स दी जाती हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : १४ रु० ६ आ० मन के हिसाब से बेचते हैं, प्राइस फिक्स की हुई है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Are they given on "No profit, No less" basis ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा नहीं है, गवर्नमेन्ट एक्स गो डाउन रेट से बेचती है।

श्री श्रीभानसिंह : What is the percentage of the profit that a shopkeeper can take ?

Page No.3

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : १४ रु० ६ आ० से ज्यादा नहीं दे सकता ।

श्री मूलचन्द डागा : चीप ग्रेन शॉप में अनाज किस जगह से दिया जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह गवर्नमेन्ट गोदामों में स्टोर है यहां से दिया जाता है ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या अनाज सड़ा-गला है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं ।

श्री पी० के० चौधरी : कितनी आबादी के टाउन्स में ये दुकानें खोली जाती हैं ? What is the minimum population of a town where you can appoint a a grain shop ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आम तौर से १० हजार के ऊपर की आबादी वालों में ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या यह शिकायत आई है कि जो अनाज मिलता है सड़ा-गला है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : शिकायत आई थी, उसकी हमने जांच कराई है ।

श्री पी० के० चौधरी : जांच में अनाज खराब पाया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं ।

श्री दयाकृष्ण विजय : कौन सी लेबोरेटरी में टेस्ट कराया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सेन्ट्रल पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी में नमूना भेज कर टेस्ट कराया था ।

श्री श्रीभानसिंह : Is everybody allowed to purchase that grain ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Yes, Sir.

श्री श्रीभानसिंह : Are they allowed to low-income groups, or high-income groups, or the medium-income groups ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : There is no such distinction.

श्री पी० के० चौधरी : आपके फेअर प्राइसेस सेन्टर के बाद रिक्विज़िशन ऑफ स्टॉक ऑर्डर, सेल एण्ड स्टॉक ऑर्डर से सुपरसीड हो गये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ; सुपरसीड तो नहीं किये ।

श्री पी० के० चौधरी : आपने ऑर्डर में लिखा है ।

श्री अध्यक्ष : वे कहते हैं कि सुपरसीड नहीं किया ।

श्री पी० के० चौधरी : Sir, it is governed by the sale and stock order. Previous order of the Rajasthan Government was superceeded.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : संशोधन...

श्री श्रीभानसिंह : Did the Government fix an average price for that grain ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसे करने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री पी० के० चौधरी : This question arises out of my supplementary.

Page No.4

श्री अध्यक्ष : He says that it has been superseeded.

श्री पी० के० चौधरी : I can challenge it.

श्री अध्यक्ष : There should be nothing like a challenge here. The Hon. Minister has said.

श्री पी० के० चौधरी : If I say that the Hon. Minister is not aware of it that the Government order has been superseded by the Sale and Stock Order......

श्री अध्यक्ष : He says that it has been superseeded by another order.

श्री पी० के० चौधरी : According to the first order, the stock was to be requisitioned......

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह ऑर्डर आज भी स्टेन्ड करता है।

श्री पी० के० चौधरी : How many dealers have been licensed under your Wheat Dealers Licensing Order ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो अगर आप पर्टीकुलर केस पूछें तो बता सकता हूं।

श्री पी० के० चौधरी : What is the annual requirement of the foodgrains ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३८१

रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

(विराम)

श्री पी० के० चौधरी।

पॉवर हाउस बीकानेर द्वारा बीकानेर व चूरू को बिजली देने सम्बन्धी

३८२. श्री पी०के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Minister Incharge of Electricity be pleased to state:—

(a) Is it a fact that the Power House at Bikaner supplies power to the towns of Bikaner, Churu etc. ?

(b) Is it a fact that the drinking water wells in these towns are also fitted with electric pumps for lifting water ?

(c) Is it correct that during June and July, 1958 power supply to Bikaner was completely cut off continuously for four days?

(d) What was the cause of this failure of power supply ?

(e) Is it correct that the power house boiler was specially built to consume Palana coal but the supply of Plana coal to the power house has now been stopped ?

विद्युत मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): (a) Yes.

(b) Many of the wells in these towns are fitted with electric pumps for lifting waters.

(c) There was no continuous stoppage of electricity for four days

Page No.5

(श्री रामकिशोर व्यास)

as stated, but definitely there had been interruptions to the supply.

(d) Due to the breakdown of the 3000KW set at Bikaner, the remaining smaller sets could not cope with the load. Supply to District Towns was also affected during the first week of June, 1958 due to heavy winds and severe dust storms. Many posts had been uprooted.

(e) There are four boilers in the Power House. Two boilers are meant to work satisfactorily on Palana coal.

श्री पी० के० चौधरी : I could not hear the last line about Palana, Sir.

श्री रामकिशोर व्यास : There are four boilers in Power House. Two boilers are meant to work satisfactorily on Palana Coal.

श्री पी० के० चौधरी : If in the power house, there was no continuous stoppage of electricity for four days, then how many days they were stopped ?

श्री रामकिशोर व्यास : स्टोपेज तो नहीं हुआ लेकिन इन्टरपशन हुए और काफी लम्बे भी।

प्रश्न संख्या ३८३

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित)

अन्तर्राज्य सड़कों का निर्माण

३८४. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): Will the Public Works Minister be pleased to state:—

(a) What are the schemes for the construction of Inter-state roads of economic importance for which the State Government have approached the Central Government for aid?

(b) Has the Government any scheme of constructing inter-state roads connecting (1) Jaipur-Punjab (2) Bharatpur-Punjab (3) Ajmer-Punjab (4) Jodhpur-Bombay and (5) Sawai-Madhopur-Madhya Pradesh ?

(c) What steps have been taken to construct bridges on these roads?

उप-मंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (a) List is appended herewith.

(b) (1) Jaipur is already connected to Punjab by Jaipur-Delhi road.

(2) Bharatpur is connected to Punjab via Mathura.

(3) Ajmer is connected to Punjab via Jodhpur.

(4) Jodhpur is connected to Bombay via Pali and Sirohi and road upto Bombay border exists.

(5) Yes.

(6) C.D. Works are being provided according to the funds available.

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री पी० के० चौधरी : How many bridges are already under construction ?

Page No.6

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : This information is not with me at present.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

प्रश्न संख्या ३८५

रावराजा श्री सरदारसिंह

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३८६

डॉ० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३८७

रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री पी० के० चौधरी

बसेड़ी, बग्तर तथा भारते को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण

३८८. **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा): Will the Public Works Minister be pleased to state:

(a) Is it a fact that the scheme for constructing a road connecting Basedi, Bagtar and Bharte with Kot, Bareta and Bayana has been included in the 2nd Five Year Plan?

(b) Is it a fact that this is the shortest route connecting these areas uninterupted by any other state territory?

उप-मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (a) No.

(b) Yes.

श्री पी० के० चौधरी : Does the Government propose to take up the construction of these roads?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Formerly this was included in the second five year Plan, but on enquiry it was found that it was not of much importance so another alternative way has to be found.

श्री पी० के० चौधरी : What alternative way?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : This is from Bharatpur via Rupbas.

श्री पी० के० चौधरी : Does this also come in Rajasthan State?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : This I cannot say.

बीकानेर अस्पताल में कम्पाउण्डर्स की ट्रेनिंग की व्यवस्था

३८९. **श्री भीमसेन** (लूणकरनसर): क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भूतपूर्व बीकानेर स्टेट के वक्त बीकानेर के अस्पताल में कम्पाउण्डर्स की ट्रेनिंग की व्यवस्था थी ?

(ख) बीकानेर अस्पताल में कितने अप्रशिक्षित कम्पाउण्डर्स हैं एवं उनका तजुर्बा कितना कितना है ? क्या उन्हें प्रशिक्षित करने हेतु बीकानेर में उक्त ट्रेनिंग पुनः प्रारम्भ करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी हां, परन्तु वह मान्यता प्राप्त नहीं थी।

Page No.7

(बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(२) बीकानेर स्थित अस्पतालों में इस समय ७६ कम्पाउण्डर्स हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण हेतु जोधपुर तथा उदयपुर में केन्द्र मौजूद हैं।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि २०, २५ साल के तजुर्बाकार कम्पाउण्डरों को जो एएड एन से कम वेतन दिया जाता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ट्रेंड और अनट्रेंड में फर्क तो है। उनको पंजाब से पास करना पड़ता है।

श्री भीमसेन : नये अनट्रेंड आदमियों से इनका मुकाबला किया जाता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ट्रेंड आदमियों के ग्रेड अच्छे ही होने चाहिए, वरना कौन ट्रेनिंग में जायगा।

श्री अध्यक्ष : Not experienced but trained.

एक माननीय सदस्य : क्या सरकार उनको वैसे ही ग्रेड उनके एक्सपीरियेन्स को देखते हुए देने का विचार रखती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं इस पर दुबारा विचार करूंगा।

सांचोर तहसील की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़

३६०. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचौर) : क्या मंत्री सहकारी विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला जालोर की सांचोर तहसील में सन् ५६-५७ से आज तक कितनी कोआपरेटिव सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड हुई हैं और किस किस वर्ष में कितनी कितनी धनराशि उनको दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सत्य है कि कई सोसाइटीज़ को अभी तक रुपया नहीं मिला है ? यदि हां, तो वह कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं और न मिलने का क्या कारण है और अब कब तक पैसा मिलने की आशा है ?

उप सहकारी मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : (१) सांचोर तहसील में सन् १६५६-५७ से अब तक २० विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियां पंजीबद्ध की गई हैं, उनमें से ६ समितियों को ऋण दिया जा चुका है, जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) उपरोक्त समितियों में से निम्न एक समिति को अभी तक ऋण नहीं मिल सका है और उसका ऋण-पत्र बैंक के पास स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। बैंक द्वारा ऋण स्वीकार किये जाने पर शीघ्र ऋण मिल सकेगा।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द : यह कब से विचाराधीन है ?

श्री दौलतराम सारण : जब से एप्लिकेशन आई है।

श्री लक्ष्मीचन्द : एप्लिकेशन कब आई है ?

श्री दौलतराम सारण : तारीख तो मैं कह नहीं सकता लेकिन इधर पूछें तो मैं कह सकता हूं।

Page No.8

श्री गोवर्धनसिंह केन : यह कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री अध्यक्ष : जब तक इसका तसफिया न हो जाए।

श्री दौलतराम सारण : जब तक इसका तसफिया नहीं कर सकते।

श्री लक्ष्मीचन्द : कौनसी समिति विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष : एक ही समिति है, जो विचाराधीन है।

श्री लक्ष्मीचन्द : आपने ११ समितियां बताईं। जो आपने लिस्ट दी है उसमें ६ नम्बर ही हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

एसोसियेटेड ग्रुप ऑफ होस्पिटल्स, बीकानेर के विकास की योजनाएं

३६१. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :- क्या बीकानेर के एसोसियेटेड ग्रुप ऑफ होस्पिटल्स के विकास की योजनाएं भूतपूर्व बीकानेर स्टेट ने बना रखी थीं ? अगर हां, तो वे क्या क्या योजनाएं थीं ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि इनको सेकिण्ड फाइव इयर प्लॉन के अन्तर्गत नहीं लिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कुछ तो ले लिया गया है। लेकिन प्रिवीर के समय में वार की वजह से स्टेट ने नहीं लिया उसको बाद में हमने लिया है।

श्री भीमसेन : क्या टी० बी० हॉस्पिटल के चार वार्ड की योजना है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : टी० बी० क्लीनिक को खोलने की योजना रखी है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

चोरियां-सांचोर तहसील

३६२. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) जिला जालोर की सांचोर तहसील में ता० १-१-५७ से आज तक कुल कितनी चोरियां व डकैतियां हुईं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उन चोरियों व डकैतियों में से कितने मुकद्दमात का चालान पेश किया गया, कितने मुकद्दमात में इखततामी (Final) दी गई व कितने मुकद्दमात पेडिंग हैं ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) एक डकैती और ४७ चोरियां मय नकबजनियों के दिनांक १-१-५७ से २०-६-५८ तक तहसील सांचोर में हुईं।

(२) इन मुकद्दमों में से २६ का चालान हुआ और ३० में फाइनल रिपोर्ट दी गई और १५ जेर तफतीश हैं। चार मुकद्दमात की तफतीश नहीं की गई।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह जेर तफतीश कब तक रहेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : जब तक तफ़तीश मुकम्मिल नहीं होती ।

श्री गोवर्धनसिंह केन : इन चोरियों में से कितनी चोरियों का धन प्राप्त हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : कौन से साल की पूछ रहे हैं ? For which year you want ?

श्री दयाकृष्ण विजय : तफ़तीश करने में सामान्यत: कितना टाइम लग जाता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो अलग-अलग केस के ऊपर डिपेण्ड करता है ।

श्री मूलचन्द डागा : यह केसेज़ कब तक के पेंडिंग हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : कुछ केज़से ५७ के हैं और कुछ केसेज़ ५८ के हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : यह ५७-५८ के केसेज़ अभी तक तय नहीं हुए !

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने आपको कहा न कि चालान पेश हो गये हैं ।

श्री सम्पतराज जैन : कितने मुलाजिमान को सजा हुई ?

श्री मूलचन्द डागा : इसके लिये नोटिस दीजिये !

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

जिला बीकानेर में फायर आर्म्स की जब्ती

३६३. श्री भीमसेन (लूणकरनसर) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

जिला बीकानेर में सन् १६५२ से अब तक किन किन व्यक्तियों के फायर आर्म्स जब्त किये गये ? क्या उनकी कीमत अदा की जा चुकी है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : जिन व्यक्तियों के शस्त्र सन् १६५२ से १२-६-५८ तक हस्तगत किये गये उनके नाम इस प्रकार हैं ;

१. श्री गणेशमल कोठारी

२. श्री रामचन्द्र वल्द नानगचन्द...

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री अध्यक्ष : लिस्ट पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री रामकिशोर व्यास : ज्यादा नाम नहीं हैं ।

इन व्यक्तियों को अपने शस्त्र निश्चित अवधि में विक्रय करने के आदेश दिये गये थे, परन्तु इस अवधि में उन्होंने ऐसा नहीं किया अत: वे हस्तगत (कॉन्फिस्केट) कर लिये गये । हस्तगत किये हुए शस्त्रों का मूल्य देने का प्रश्न नहीं उठता । क्योंकि यह कार्यवाही धारा १६ भारतीय शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत की जाती है ।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि किसीकी भी प्रॉपर्टी बिना कम्पन्सेशन दिये आप नहीं ले सकते कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ?

श्री रामकिशोर व्यास : आर्म्स एक्ट के तहत ऐसा कायदा है कि जो आर्म्स बिना लाइसेन्स के हैं उन्हें नहीं रखा जा सकता । साथ ही उन लोगों को टाइम दिया गया था कि वह उनका सेल कर दें ।

Page No.10

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि उनके पास पहले की स्टेट के लाइसेन्स थे और उन लाइसेन्स के तहत उनके पास वे आर्म्स थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : पहले की स्टेट के लाइसेन्स हुए तो क्या हुआ ?

श्री भीमसेन : जब कि उन लोगों के पास लीगल लाइसेन्स थे, तो उनके शस्त्र जब्त क्यों किए गए ?

श्री रामकिशोर व्यास : पहले के रूल्स अलग थे। अब ऑल इण्डिया के रूल्स अलग हैं।

श्री श्रीभानसिंह : जब कि उन लोगों के पास पहले के स्टेट के लाइसेन्स थे तो अब राजस्थान गवर्नमेंट ने उनके लाइसेन्सेज़ को रिन्यू क्यों नहीं किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : पहले अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग रूल्स थे उनके मुताबिक उन दिनों काम चलता था। अब ऑल इण्डिया एक्ट चालू हो गया और अब उसके प्रॉविज़न्स के अनुसार आर्म्स रखे जा सकते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : जब उन्होंने राजस्थान गवर्नमेंट को या उसकी ऑथोरिटीज़ को लाइसेन्सेज़ रिन्यू करने के लिये एप्लीकेशन्स दीं तो उन्होंने यह लाइसेन्सेज क्यों रिन्यू नहीं किये ?

श्री रामकिशोर व्यास : प्रोहिबिटेड बोर्स के लाइसेन्स तो दिये ही नहीं जा सकते।

श्री श्रीभानसिंह : जो आर्म्स जब्त किये गए उनमें से प्रोहिबिटेड बोर के आर्म्स हैं या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसके लिए अलग से सूचना दी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : I think this should be prohibited, otherwise question of confiscation does not arise.

(विराम)

श्री लक्ष्मीचन्द।

सुण्डा माता के जोड़ का ठेका

३६४. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचौर) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) जिला जालौर के सुण्डा माता के जोड़ का ठेका इस वर्ष यानी सन् ५८-५९ में नीलाम हो गया या नहीं ?

(२) यदि हां, तो कब, और नहीं तो, क्यों ?

उप-शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई, वन मन्त्री एवं उप मन्त्री की अनुपस्थिति में) :

(१) जी हां, हो गया है।

(२) २१-७-५८ को।

श्री लक्ष्मीचन्द : वह नीलाम किसके नाम छूटा है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मोतीजी वेरानी के नाम से।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या सरकार को यह मालूम है कि पिछले दस साल से उसी के पास ठेका है तो पर्मानेन्टली उसी को ठेका दे दिया जाये ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : नीलाम होता है और उसमें मोतीजी आता है तो हमें उनको देने में कोई अड़चन नहीं हो सकती।

Page No.11

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या सरकार को मालूम है कि उसका दस साल का रेकॉर्ड है तो ऐसी हालत में कम से कम पांच–सात साल के लिए उसी को देने का विचार है क्या ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अगर वह हाइएस्ट बिड देता है तो हमें उसको आगे दस साल के लिए भी देने में कोई हर्ज नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी ।

जोबनेर कस्बे में हड़ताल

३६५. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Minister incharge of Local Self-Government be pleased to state :-

Is it correct that the people of Jobner Town observed general Hartal as a protest against regressive octroi taxes imposed by the Municipal Board ?

उप-स्वायत्त शासन मंत्री : (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): Hartal was observed but the octroi taxes imposed are not regressive.

श्री मूलचन्द डागा : क्या जोबनेर की जनता ने टैक्स लगाने से पहले डाइरेक्टर लोकल बॉडीज़ के सामने कोई आपत्ति पेश की थी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : डाइरेक्टर के पास पेश करने का कायदा नहीं है । पहले एतराज म्युनिसिपैलिटीज़ द्वारा मांगे जाते हैं वहां वह पेश कर सकते हैं । हो सकता है, उन्होंने वहां पेश किये हों । उनकी जांच करके सरकार से स्वीकृति ली गई ।

श्री मूलचन्द डागा : तो एतराज़ात सरकार के पास हुए हैं या नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सरकार के पास जितने एतराजात होते हैं वे मन्जूरी के लिए आते हैं, तो एक साथ आते हैं और उन पर सोच विचार कर बाद में स्वीकृति दी जाती है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

बीकानेर बिजलीघर के एंजिन

३६६. श्री भीमसेन (लूणकरनसर) : क्या विद्युत् मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(१) बीकानेर के कितने कुओं पर ऑयल एंजिन कब तथा किस उद्देश्य से लगाये गये थे ?

(२) बीकानेर बिजलीघर से कितने एंजिन व टर्बाइन अन्यत्र कहां-कहां भेजे गये व क्यों ? क्या बीकानेर पॉवर हाउस की बाकी मशीनरी उस वक्त अच्छी हालत में थी ?

विद्युत् मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) बीकानेर में ३ कुओं पर डीजल एंजिन १६५१ में लगाये गये थे । इनके लगाने का उद्देश्य यह था कि जब पॉवर हाउस बन्द हो जाये तो इन कुओं पर पर लगे हुए एंजिन काम में लाये जा सकें ।

(२) बीकानेर से ३ एंजिन जो कुओं पर लगे हुये थे निवाई, किशनगढ़ व हिन्डौन प्रत्येक को एक डीजल एंजिन भेजे गये तथा एक १००० किलोवाट का टर्बाइन श्री गंगानगर भेज दिया गया क्योंकि वहां पॉवर स्थिति उन दिनों में शोचनीय थी ।

Page No.12

श्री भीमसेन : डीज़ल एन्जिन जो वहां लगाया गया था उस समय उसके बाद में वह एन्जिन दूसरी जगह क्यों भेज दिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : दूसरी जगह जरूरत थी इसलिए वहां से भेज दिया गया और उसकी जगह बड़े पॉवर का एन्जिन वहां लगा दिया गया था ।

श्री भीमसेन : वहां के पॉवर हाउस की हालत खराब थी तो वहां से क्यों हटाया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : जिस समय हटाया गया उस समय हालत खराब नहीं थी। जितना वहां से हटाया गया उससे दुगुना-तिगुना वहां भेजा गया है । कुल वहां से जो डाइवर्शन किया था वह ११८० किलोवाट का एन्जिन था और उसकी जगह पर हमने वहां ६०५० किलोवाट का एन्जिन भेजा ।

श्री भीमसेन : इसके बाद भी ऐसी कन्डीशन है कि हर समय वहां के पॉवर हाउस का ब्रेक डाउन होता रहता है और अगर यह एन्जिन वहां से नहीं हटाया जाता तो पब्लिक की कम से कम पानी की समस्या तो हल हो जाती ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह नहीं भेजे जाने से पब्लिक को अधिक परेशानी सामने आती ।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय ।

सहकारी विभाग ऑडिटर्स का नवीन ग्रेड में फिक्सेशन

३६७. **श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) :** क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या रजिस्ट्रार सहकारी विभाग के आदेश द्वारा थापर स्कीम के अन्तर्गत (इन्सपेक्टर ऑडिट) ऑडिटर्स का नवीन ग्रेड में फिक्सेशन हो चुका है ?

(ख) क्या यह सही है कि सन् ५५ में ट्रेंड (इन्सपेक्टर ऑडिट) ऑडिटर्स को अभी उक्त ग्रेड नहीं मिला है, जब कि इनसे जूनियर तथा सन् ५६ तथा ५७ के ट्रेंड ऑडिटर्स को उक्त ग्रेड मिल चुका है ?

(ग) सन् ५५ के ट्रेंड ऑडिटर्स को अब तक ग्रेड न देकर जूनियर्स के मुकाबिले में कम वेतन देने का क्या कारण है ?

उप सहकारी मंत्री (श्री दौलतराम सारण) :

(क) हां, दिनांक १७-६-५७ से ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सन् ५५ से ग्रेड देने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या सरकार के ट्रेन्ड ऑडिटर्स को अभी तक ग्रेड नहीं दिया गया है ?

श्री दौलतराम सारण : यह फैसला नहीं हो सका है कि उनको ग्रेड ५५ से ही दे दिया जाये या उस तारीख से जो कि उनके अपाइन्टमेन्ट की है, उससे कौन सी कम से कम हो जो मानी जाये । बाकी ग्रेड्स तो दे दी गई हैं ।

श्री दयाकृष्ण विजय : ग्रेड्स कब से दी गई हैं ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने तारीख बताई है, १७-६-५७ से ।

श्री दयाकृष्ण विजय : ५५ के लोगों को ग्रेड दी हैं और जो ५६-५७ में ग्रेड

Page No.13

(श्री दयाकृष्ण विजय)

मिली है उनसे वह जूनियर रहेंगे या सीनियर रहेंगे ?

श्री दौलतराम सारण : वह तो जिस तारीख से तय होता है उसके अनुसार होगा ।

श्री दयाकृष्ण विजय : जो लोग पहले ट्रेन्ड हो चुके हैं उन लोगों को आप जूनियर कर देते हैं, उसका क्या कारण है ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने आपको कहा न कि यही मामला तो विचाराधीन है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : इस पर विचार क्यों नहीं किया जाता कि अब आप ग्रेड देते हैं तो जूनियर लोगों को पहले दे देते हैं और जो पहले से ट्रेन्ड हैं उनको वह ग्रेड नहीं दी जाती, इसके क्या कारण हैं ?

श्री दौलतराम सारण : यह जो स्कीम थी, इसमें ये रेग्यूलर सर्विसेज़ में नहीं थे । प्लान को रिव्यु करने के लिए प्लानिंग कमीशन का एक एडवाइज़र आया था उसने यह महसूस किया कि यहां अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता है और उसकी स्कीम के अन्तर्गत ये लिये गये थे । तो उसको पुरानी ग्रेड में फिक्स किया गया था और अब नई ग्रेड दे दी गई है । अब प्रश्न जो विचाराधीन है वह बतलाया गया कि उनको उनके अपोइन्टमेंट से या उस तारीख से निश्चित करने का है तो यह निश्चित होने पर ही कहा जा सकता है ।

श्री शंकरलाल : क्या जिनको ग्रेड दिया जायेगा वह रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से दिया जायगा ?

श्री दौलतराम सारण : इस बारे में जल्दी ही निर्णय हो जायगा ।

प्रश्न संख्या ३६८

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

अजमेर शॉप्स एण्ड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेन्ट अधिनियम के अन्तर्गत दुकानदारों का रजिस्ट्रेशन

३६६. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या श्रम मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) अजमेर शोप्स एण्ड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेन्ट अधिनियम के अन्तर्गत कितने कितने दुकानदारों को अब तक पंजीबद्ध किया जा चुका है ?

(२) नोन रजिस्ट्रेशन के कारण कितने दुकानदारों का चालान किया गया तथा कितनों की नोन-रिन्यूअल के कारण चालान किया गया ।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) अजमेर शोप्स एण्ड कामर्शियल अधिनियम के अंतर्गत ११०४१ दुकानों का पंजीयन किया गया ।

(२) रजिस्ट्रेशन न कराने के कारण ३१ व्यक्तियों का चालान किया गया तथा रिन्युअल न कराने के कारण २१ दुकानदारों का चालान किया गया ।

प्रश्न संख्या ४००

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

उप-विषय वनाधिकारी की नियुक्ति

४०१. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या वन मंत्री निम्नि लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

Page No.14

(श्री दयाकृष्ण विजय)

(१) क्या जिन उप-विषय वनाधिकारी की नियुक्ति अस्थायी रूप से मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय के द्वारा की जाती है उनकी ६ माह के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा पुष्टि होना आवश्यक है ?

(२) यदि हां, तो क्या यह सही है कि बहुत काल से इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

उप-शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई, वन) मंत्री की अनुपस्थिति में) : (१) जी हां ।

(२) जी नहीं । इस नियम का पालन किया जा रहा है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या वनाधिकारी कोटा को छः महीने बाद भी लोक सेवा आयोग के पास नहीं भेजा गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कृपया उनका नाम बताने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष : यह जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

अजमेर शॉप्स एण्ड कॉमर्शियल एक्ट के अन्तर्गत दुकानों के खुलने व बन्द होने का समय

४०२ **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या श्रम मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) अजमेर शॉप्स एन्ड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेन्ट्स एक्ट के अन्तर्गत दुकानों के खुलने तथा बन्द होने का समय क्या निर्धारित किया गया है ?

(२) यदि हां, तो यह नियम अजमेर में कब लागू हुआ ?

(३) इसका अब तक पालन नहीं किये जाने का क्या कारण है ?

श्रम मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

(१) हां । दुकानों के खुलने तथा बन्द होने का निश्चित किया हुआ समय सुबह ८ से १० बजे रात तक १ अप्रेल से ३० सितम्बर तक साल में है और सुबह ८ बजे से रात को ८ बजे तक साल में १ अक्तूबर से ३१ मार्च तक निर्धारित है ।

(२) यह नियम अजमेर में लागू ता० १४-१०-५८ से है । इस तारीख को यह नियम राजस्थान राजपत्र असाधारण प्रकाशन में प्रकाशित हुआ था ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री अर्जुनदास : दूसरे शहरों में यह कब लगाया जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जल्दी ही लगने वाला है ।

श्री अर्जुनदास : जल्दी से क्या मतलब, दो साल या दो दिन ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके कुछ बीच का ।

श्री अर्जुनदास : अजमेर में इतनी देरी से लगने का क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस सम्बन्धी पुराने कागजात देखे गये। इसको दुबारा एकजामिन किया गया । उसमें इतनी देर हो गई ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि इस प्रश्न के पूछने के बाद लागू किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह बात ठीक है किन्तु यह ध्यान में रहना चाहिए कि एक दिन में कोई चीज लागू नहीं होती, उसके लिये ओब्जेक्शन इन्वाइट करते हैं फिर किसी चीज को लागू किया जाता है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : फिलहाल किन-किन शहरों में लागू किया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसकी डिटेल्स तो मेरे पास है नहीं किन्तु बड़े–बड़े शहरों में लगाया गया है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या अजमेर के अलावा जयपुर में भी लागू है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जयपुर में नहीं । अजमेर के बड़े बड़े शहरों में लागू है ।

श्री गोवर्धनसिंह केन : भरतपुर में यह कब लागू होगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अजमेर के अलावा राजस्थान में लागू होना बाकी है ।

राजसमन्द तालाब में खारी नदी को डालने की योजना

४०३. **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सब–डिविजन राजसमन्द के राजसमन्द तालाब में खारी नदी को डालने की योजना के सम्बन्ध में कितनी बार सर्वे हुई और अब तक की प्रगति क्या है ?

(२) उक्त योजना की सर्वे एवं एस्टीमेंट्स कब तक समाप्त होने की संभावना है और क्या इसके सम्पादन के लिए किसी विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई है ?

(३) उक्त योजना के निर्माण को समाप्त करने की संभावना कब तक है और कुल कितनी रकम इसमें लगाए जाने की स्वीकृति है ?

(४) इस योजना के सफल होने पर कितने एकड़ जमीन की पिलाई की संभावना है ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(१) इस योजना के सम्बन्ध में तीन स्थानों पर सर्वे कराई गई, उनमें से आखिरी कुन्थावा गांव के पास उपयुक्त स्थान पर विस्तृत सर्वे के बाद योजना तैयार हो गई है ।

(२) इसकी सर्वे और एस्टीमेट का कार्य अधिशासी अभियन्ता भूमापन एवं अनुसंधान द्वारा हुआ है ।

(३) योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना में समाप्त होने की संभावना है । इस योजना की लागत ६० लाख है । रकम की स्वीकृति होने का अभी प्रश्न नहीं उठता ।

(४) इस योजना से करीब ६ हजार एकड़ भूमि में सिंचाई की संभावना है ।

श्री मनोहर कोठारी : क्या यह सही है कि खारी नदी का पानी पूरा नहीं मिलने के कारण उस नदी के पानी को डाइवर्ट करने की योजना है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इस बारे में निश्चय नहीं कहा जा सकता ।

श्री मनोहर कोठारी : हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने कांकरोली और गोगून्दा की सार्वजनिक सभाओं में यह घोषणा की थी कि

Page No.16

(श्री मनोहर कोठारी)
इसी वर्ष से इस योजना पर काम शुरू कर दिया जायगा।

श्री रामकिशोर व्यास : उन्होंने क्या फरमाया था यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह हो सकता है कि उन गांवों को इस स्कीम से ज्यादा फायदा हो सकता है।

श्री मनोहर कोठारी : क्या यह सही है कि राजसमन्द में खारी नदी को नहीं डाला जायगा? इस प्रकार के सर्कुलर ने कुम्भलगढ़ तहसील और उसमें आस पास के छोटे गांवों में प्रगति को रोकने का काम किया है?

श्री रामकिशोर व्यास : इसके लिए अलग से नोटिस चाहिये।

श्री मनोहर कोठारी : क्या खारी नदी पर इस योजना के नीचे कोई बांध बंधा हुआ है?

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री जयसिंह राणावत : क्या यह सही है कि इस नदी पर बहुत बड़ा बांध ६५ लाख की लागत से बांध हुआ है और बांध बांधने से यह बांध खाली हो जायगा?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

मेड़ता सिटी में पानी की कमी

४०४. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचौर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि मेड़ता सिटी में पानी की बहुत कमी है?

(२) क्या यह भी सत्य है कि मेड़ता की म्युनिसिपल बोर्ड ने पानी का प्रबन्ध करने हेतु सरकार से मदद मांगी है? यदि हां, तो कितनी धन-राशि की मांग की है और उसे स्वीकार किया है या नहीं? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उप स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) :

(१) जी हां।

(२) जलयोजना के हेतु ४ लाख रुपये ऋण रूप में मांगे हैं और यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। स्कीम की जांच की जा रही है। जांच होने पर स्कीम को मन्जूर करके रुपया ऋण के रूप में स्वीकृत किया जावेगा।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह मांग कब की गई?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह तारीख उपलब्ध नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द : इसको कितना अर्सा हुआ है?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मेरे पास तारीख नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द : कितने समय तक फैसला हो जायगा?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : स्कीम के जांच होने पर आ जायगा उस वक्त होगा।

श्री लक्ष्मीचन्द : जांच किस अधिकारी द्वारा कराई जा रही है?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : एस० ई० हैल्थ।

श्री लक्ष्मीदचन्द : जहां पानी पीने की समस्या है उसके लिए पूछते हैं तो तारीख

Page No.17

(श्री लक्ष्मीचन्द)

नहीं, समय का पता नहीं, तो हमारे प्रश्न पूछने का क्या मतलब है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसके लिये मैं माफी चाहता हूँ।

राजस्थान नहर योजना क्षेत्र के लिए रेल तथा सड़कों का निर्माण

४०५. **श्री भीमसेन** (लूणकरनसर) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

राजस्थान नहर योजना-क्षेत्र के लिए रेल तथा सड़कों के सम्बन्ध में क्या योजना बनाई गई है ? उसकी रूप-रेखा सदन की मेज पर रखी जावे।

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : रेल तथा सड़कों के सम्बन्ध में योजना बनाने का प्रश्न विचाराधीन है। फिलहाल योजना तथा उसकी रूपरेखा सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं पैदा होता।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि रेल तथा सड़कों के अभाव के कारण राजस्थान नहर की प्रगति होनी चाहिये वह नहीं हो रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं, यह यह सही नहीं है।

टोंक-सवाई माधोपुर सड़क का निर्माण

४७६. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) टोंक से सवाई-माधोपुर सड़क वाया उनियारा का डिकोलिया ग्राम से उनियारा तक और उनियारे से अलीगढ तक किस किस ठेकेदार के नाम ठेके हुए थे ?

(ख) वे ठेके किस तारीख और किस किस साल में हुए थे ?

(ग) अब तक डिकोलि से उनियारा और उनियारा से अलीगढ के ६.६ माईल के टुकड़े कितने कितने बन चुके हैं ?

(घ) अब तक कार्य समाप्त नहीं होने की क्या वजह है ?

उप सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) :

(क) श्री कुलवंतसिंह अमरनाथ।

(ख) २४-१-१६५५ ई० (दोनों ठेके)।

(ग) अलीगढ से उणियारा तक मिट्टी का कार्य हुआ है वह करीब १।। मील में मिट्टी व सोलिंग का कलेक्शन हो चुका है। डिकोलिया से उणियारा तक केवल मिट्टी का कार्य हुआ है।

(घ) ठेकेदार की ओर से ढिलाई।

रावराजा श्री सरदारसिंह : ठेकेदार की ओर से ढिलाई है और सन् ५३ से आज ५८ हो गया, अभी तक कार्य नहीं हुआ तो सरकार क्या एक्शन ले रही है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उस ठेके को जब्त करके १० पर्सेन्ट कम्पेन्सेशन लेकर सरकार खुद काम करवाने के बारे में सोच रही है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि अक्सर ठेकेदार लोग ऐसा किया

Page No.18

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

करते हैं कि कैश ज्यादा मिलता है इसलिए मिट्टी डाल कर चले जाते हैं और बाकी का काम में पैसा ज्यादा लगता है इसलिए छोड़ जाते हैं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह ठीक है कि ठेका जब्त होने के बाद कीमतें बढ़ गई थीं, अब हम भी करवायेंगे तो खर्चा उन्हीं का लगेगा ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जब तहसील हैडक्वार्टर उनियारा से अलीगढ़ ले गये तो जनता की सुविधा के लिए जो छः मील का टुकड़ा है उसको तो जल्दी बना दिया जाना चाहिए ।

श्री पूनमचद विश्नोई : कार्यवाही चल रही है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : तीन साल से चल रहा है, अब तो कुछ कहिए ।

कोटपुतली तहसील के गांवों में बीमारियां

४०७. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि तहसील सरपंच सब डिविजनल आफिसर व अन्य लोगों ने कोटपुतली के ग्रामों में बढ़ती हुई बीमारी के इलाज हेतु प्रार्थना पत्र दिये ?

(२) यदि हां, तो कहां कहां तथा कब कब तथा उन पर क्या सुनवाई की गई ?

(३) क्या यह सही है कि कोटपुतली क्षेत्र में इस वर्ष बुखार का जोर रहा ?

(४) क्या इस वर्ष कोटपुतली तहसील में मोबाइल पार्टी गई ?

(५) यदि हां, तो कब तथा किन किन ग्रामों में कितने मरीज़ों को दवा दी ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्रीबद्रीप्रसाद गुप्ता):(१) कुछ ग्रामों के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त हुए थे ।

(२) यह पत्र डिस्ट्रिक्ट मैडिकल व हैल्थ ऑफिसर, जयपुर के कार्यालय में प्राप्त हुए थे । ग्राम मोहनपुरा के लिये तहसीलदार द्वारा भेजा गया पत्र जून ५७ में प्राप्त हुआ था । कम्पाउन्डर द्वारा निरीक्षण किया गया तथा ग्राम में मलेरिया के रोगी पाये गये जिनको औषधि वितरित की गई । ग्राम नांगलवाला के लिये सरपंच द्वारा भेजा गया पत्र दिसम्बर ५७ में प्राप्त हुआ जिसमें चेचक का प्रकोप बताया गया था । वेक्सीनेटर द्वारा ग्राम का निरीक्षण किया गया तथा कोई चेचक का केस नहीं पाया गया । ग्राम रघुनाथपुरा व पाथरडी के लिये एस० डी० ओ० द्वारा भेजा पत्र दिसम्बर ५७ में प्राप्त हुआ । सेनीटरी इन्सपेक्टर द्वारा निरीक्षण किया तथा मलेरिया व दस्त आदि के रोगी पाये गये जिन्हें औषधियां वितरित की गई ।

ग्राम बड़नगर के लिये तहसीलदार द्वारा भेजा गया पत्र दिसम्बर ५७ में प्राप्त हुआ जिसमें मलेरिया का प्रकोप बताया गया था । सेनीटरी इन्सपेक्टर द्वारा औषधियां वितरित की गई । ग्राम गोरधनपुरा के लिये सरपंच द्वारा भेजा गया पत्र मई ५८ में प्राप्त हुआ जिसमें चेचक का प्रकोप बताया गया था । वेक्सीनेटर द्वारा निरीक्षण किया गया पर कोई चेचक का केस नहीं पाया गया ।

ग्राम बनकालडकरी के लिये पटवारी द्वारा भेजा गया पत्र प्राप्त हुआ था । वेक्सीनेटर

Page No.19

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

द्वारा मलेरिया के रोगियों को औषधियां वितरित की गई।

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं।

(५) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

भरतपुर तहसील में सिंचाई के छोटे-बड़े कार्य

४८८. श्री श्रीभार्नसिंह (बयाना): Will the Irrigation Minister be pleased to state :—

(1) Was a survey of minor and major irrigation works conducted in Bayana and Rupbas Tehsils of Bharatpur district ?

(2) If so, when was it conducted and by whom and at what places ? What was the result of the survey?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (1) Preliminary investigation revealed no suitable site for minor and major irrigation works, hence no detailed survey was carried out.

(2) The question does not arise.

नारेड़ा कस्बे की डिस्पेन्सरी

४०६. श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : क्या स्वाध्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि नारेड़ा कस्बे में ठिकाने के समय मिडिल स्कूल भवन में जो डिस्पेन्सरी थी उसे अब बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ख) क्या सरकार ५,००० की आबादी वाले ग्रामों में दवा का प्रबन्ध करने की योजना रखती है ?

(ग) यदि, हां तो कब तक इसे कार्यान्वित किया जायगा ?

(घ) क्या कोटपुतली तहसील में सरकार ने आज तक कोई डिस्पेन्सरी कायम की है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) एक ट्रेंड शिक्षक प्राथमिक चिकित्सा देता था। ठिकाना समाप्त होने पर स्वतः यह सुविधा बन्द हो गई।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एक इस प्रकार की योजना है जिसके अन्तर्गत एन० ई० एस० ब्लॉक के हेड क्वार्टर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाते हैं। तथा उसी ब्लॉक में तीन उप केन्द्र खोले जाते हैं।

(ग) उपरोक्त योजना कार्यान्वित की जा चुकी है तथा अब तक ४५ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जा चुके हैं।

(घ) जी नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अब सुविधा बन्द करके दुविधा क्यों बना रहे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वहां टीचर दवा बांटता था। रेग्युलर डिस्पेन्सरी थी नहीं।

श्री शिवनाथसिंह (गुढा) : पूरा स्टॉफ नहीं है जहां डिस्पेन्सरी है वहां भी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कई जगह की ऐसी शिकायतें हैं और हम उन पर विचार कर रहे हैं।

श्री भैरवलाल कालाबादल : दवाई भी कम है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्योंकि बीमारी कम है इसलिए ।

(हंसी)

राम निवास बाग में तैरने के लिए कुंड

४१०. **रावराजा श्री सरदारसिंह :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि रामनिवास बाग में स्विमिंग पूल बने हुए हैं ? अगर हां, तो कितने ?

(ख) क्या यह सही है कि यह स्विमिंग पूल जनता के उपयोग में नहीं आते हैं ? अगर हां, तो क्यों ?

(ग) क्या सरकार की तरफ से मनाई है ? अगर हां, तो किन आधारों पर ? क्या यह सही है कि जनता से स्विमिंग की फीस वसूल की जाती है ? अगर हां, तो कितनी कितनी ?

उप मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) जी नहीं ।

(ख) और ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम पंचायतों के हरिजन पंच

४११. **श्री लालूराम** (टौंक-सु०) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि ग्राम पंचायत के चुनाव के बाद हरिजन पंच का नाम २-३ साल तक सरकार द्वारा पास नहीं होता ?

(२) यदि हां, तो क्यों तथा क्या सरकार अब ग्राम पंचायतों के चुनाव होते समय ही हरिजन पंच नियुक्त एक साथ ही कर देने का विचार रखती है ?

(३) टौंक जिले में ऐसी कितनी व कौन कौन सी ग्राम पंचायतें हैं जिनमें अब तक कोई हरिजन पंच नियुक्त नहीं किया गया है ? उपरोक्त बारे में कितनी प्रार्थनायें कहां कहां से आई सरकार के पास आई तथा सरकार ने उन प्रार्थनाओं पर अब तक क्या कार्यवाही की ?

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्री) दौलतराम) : (१) जी नहीं ।

(२) जी नहीं । यह सम्भव नहीं है क्योंकि निर्वाचन परिणाम निर्वाचनाधिकारी द्वारा घोषित किया जाता है जब कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की नियुक्ति राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा ६ के अन्तर्गत सरकार द्वारा होती है । अतः इस प्रकार की नियुक्ति में कुछ समय लग ही जाता है ।

(३) अभी तक कुल ५५ पंचायतों के चुनाव हुए हैं उनमें यह जानकारी नहीं की जा सकती कि किस-किस पंचायत में अनुसूचित जाति का पंच चुना गया है, क्योंकि चुनाव परिणाम में जाति नहीं लिखी जाती है । पंचायत बहड़ के सम्बन्ध में एक आवेदन-पत्र आया, जिसकी नियुक्ति की जा चुकी है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : दो-दो वर्ष तक पंचों के नाम नहीं भेजे जाते, इसका क्या कारण है ?

श्री दौलतराम सारण : यहां यह प्रश्न नहीं है ।

श्री मनोहर कोठारी : जब मन्त्री महोदय कुम्भलगढ़ के दौरे में आए थे तो शिकायत उनसे इसकी की गई थी कि इन हरिजन पंचों की नियुक्ति दो—दो वर्षों तक नहीं होती। तो जांच करने का उन्होंने आश्वासन दिया था। उस जांच का क्या हुआ ?

श्री दौलतराम सारण : इसका कारण यह है कि प्रस्ताव आने में देर हो जाती है पहले तो, कभी-कभी प्रस्ताव इस प्रकार के आते हैं कि पूरी पूरी जानकारी नहीं मिलती। अब वह पंच नाम जदगी के योग्य है या नहीं, इसको जानने में विलम्ब हो जाता है, इस तरह से यह देर होती है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : टोंक जिले से किन-किन पंचायतों के आवेदन-पत्र आपके पास कब-कब आये ?

श्री दौलतराम सारण : यह अलग प्रश्न है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : अलग कैसे है ? प्रश्न में साफ लिखा है।

श्री गोवर्धनसिंह केन : भरतपुर जिले में ऐसी कितनी पंचायतें हैं जिनमें हरिजन पंच नहीं हैं ?

श्री दौलतराम सारण : सूचना अलग से मिलने पर उत्तर दे सकूंगा। टोंक जिले की बात आपने पूछी उसका जवाब ही तो मैंने दिया है कि पंचायतों से जानकारी नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष : आप ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर देते हैं कि पंचायतें कार्य शुरू ही न करें, जब तक पंचों के नाम पूरे न हो जावें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी व्यवस्था कानून में तो सम्भव नहीं है। पर हमने एक व्यवस्था की है। २६-८-५८ को एक हिदायत भेजी है सब पंचों को और इन्सपेक्टर्स को कि जहां-जहां पंच न हों वहां की सूचना प्राप्त करने की चेष्टा करें।

श्री श्रीभानसिंह : यह सूचना देने की जिम्मेदारी पंचायतों पर है या इन्सपेक्टर पर है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दोनों पर है।

श्री श्रीभानसिंह : पंचायत एक्ट के तहत तो इन्सपेक्टर पर जिम्मेदारी है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह ओब्लोगेटरी नहीं है। यह तो गवर्नमेन्ट ठीक समझे तो नॉमीनेट करती है। इन्सपेक्टरों से और पंचायतों के नाम आने के बाद उस सूरत में हम नॉमीनेट कर देते हैं। वर्ना कानून में ओब्लीगेटरी नहीं है कि नॉमीनेशन हो ही जाना चाहिये।

श्री भीमसेन : जिस पंचायत में हरिजन पंच नहीं हैं वहां नॉमीनेट करना जरूरी है कानून में।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ओब्लीगेटरी नहीं है, कानून में नहीं है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री: वहां के लोग हरिजनों का पंच बनना नहीं पसन्द करते इसलिये तीन तीन साल नाम भेजने में गुज़ार देते हैं। सरकार तकाज़ा करती नहीं। नतीज़ा यह होता है कि जिस उद्देश्य से यह प्रोविज़न रक्खा गया है वह सफर होता है और हरिजनों के हितों को नुकसान पहुँचता है।

श्री अध्यक्ष : इस मामले में मन्त्री

Page No.22

(श्री अध्यक्ष)

महोदय को लिखिये। वे उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप स्पेसिफिक कम्प्लेन्ट करेंगे तो विचार किया जावेगा। हमारे यहां तो डिले होती नहीं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : तो मैं बता दूं। टोरडा, ...

श्री अध्यक्ष : आप डिटेल बाद में बता दीजिये।

श्री अर्जनदास : Is the Government trying to create such a situation just as they are doing in Ajmer Municipality, where there is no Chairman?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जरा साफ कहें, सुनाई नहीं देता।

श्री अध्यक्ष : वह कह रहें है कि ऐसी स्थिति सरकार पैदा करना चाहती है जैसी अजमेर म्यूनिसिपैलिटी में की है?

श्री अर्जनदास : आपको अंग्रेजी नहीं आती है। यह मेरी कमज़ोरी है कि हिन्दी नहीं आती मुझे।

श्री अध्यक्ष: कल तो आती थी।

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : और मैं अंग्रेजी नहीं जानता, मुश्किल यह है।

श्री अर्जनदास : इसके लिये माफी मांग ली थी।

श्री सम्पतराज जैन : यहां जो पंचों का सम्मेलन हुआ उसमें जो प्रस्ताव पास हुए उसमें एक प्रस्ताव यह भी था कि हरिजनों को पंच लेने में कानूनी बाधा है। आपने क्या वह बाधा दूर की है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वे सारे प्रस्ताव मालूम हैं, विचार भी किया है। बाधाएं दूर करवाएंगे।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : फिर सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : स्वायत्त शासन मन्त्री हरिजन को लिया जा रहा है।

(हंसी)

प्रश्न संख्या ४१२

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

फूड एण्ड सप्लाई विभाग-कोटा का व्यापारियों पर बकाया रुपया

४१३. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : (क) क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री निम्न-लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) कोटा जिला में किन-किन व्यापारियों की ओर कोटा फूड एण्ड सप्लाई विभाग का कितना कितना रुपया राजस्थान बनने से पूर्व तथा पश्चात् का अभी तक बाकी हैं? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रक्खें।

(२) इन व्यक्तियों से उक्त रकम वसूल करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : इसका सम्बन्ध फाइनेन्स विभाग से

Page No.23

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

है, इसलिए वे ही अपनी टर्न पर इसका जवाब देंगे।

पंचायतों को दिये गये रूपवास व बयाना तहसीलों के बांध

४१४. श्री श्रीभानसिंह (बयाना): Will the Minister for Irrigation be pleased to state:—

When and how many bunds in Rupbas and Bayana Tehsils of Bharatpur District. have been given over to the Panchayats ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): The following 12 Bunds have been handed over to village Panchayats on dates mentioned against each:—

1. Gujar Balai Upper Bund	10.12.56.
2. Gujar Balai Lower Bund.	10.12.56
3 Mahalpur Gaith Bund.	2.1-57.
4. Tantpur Bund.	10.12.56.
5. Gothra Bund.	10.4. 57.
6. Khankhera Bund.	10 4 57.
7. Rsero Bund.	10.4.57.
8. Telehti Bund.	10.4.57.
9. Kasaba-Bayana Bund.	10.4.57.
10 Band-Leswar Bund.	31.3.57.
11. Kair Bund.	17.9.57.
12. Mahlani Bund.	17.9.57.

कृषि विभाग, कोटा को लोहे व चद्दरों का कोटा

४१५. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सन् ५८ में भारत सरकार की ओर से कृषि विभाग, कोटा को कितने टन गटर्स व चद्दरों का कोटा प्राप्त हुआ था ?

(२) काश्तकारों में इन्हें वितरण करने की दृष्टि से कृषि विभाग, कोटा की ओर से कितने टन गटर्स व चद्दरों के परमिट जारी किये गये ? कृपया जिन जिन के नाम परमिट जारी किये गये हैं, उनकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि कृषि विभाग, कोटा के अधिकारियों ने गटर्स व चद्दरों के विक्रेता से मिलकर एक माह तक कोई परमिट जारी नहीं किया और सारा माल फ्री हो जाने से विक्रेता के द्वारा ब्लैक की रेट्स पर बेचा जा रहा है ?

उप कृषि-मंत्री (श्री दौलतराम सारण): (१) सन् १६५८ में निम्नलिखित लोहे का सामान कृषि विभाग को प्राप्त हुआ:

		टo	हo	काo	पौo
(अ)	गटर्स ७'×४"	६६	१	२	११
(ब)	काली चद्दरें २४ गेo	२०	२	०	२१

(२) चद्दरों का कृषकों को कोई परमिट नहीं दिया गया। केवल २ गटर्स का परमिट नं० ६२२ दिनांक ३०-४-५८ श्री रामनारायण पुत्र श्री भैरूलाल, अकानी, जिला झालावाड़, दिया गया।

कृषकों की मांग न होने के कारण शेष सामान राजकीय विभागों को विभागीय कार्यों के लिए व जिलाधीश कोटा को सावार

(श्री दौलतराम सारण)

जनता में वितरण करने हेतु दे दिया गया।

(२) क्योंकि शेष सामान विभागों को दे दिया गया था, अतः फ्री सेल या ब्लैक रेट पर बेचने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री दयाकृष्ण विजयः जिलाधीश द्वारा कितने गर्टर्स और कितनी चद्दरें दी गई ?

श्री दौलतराम सारणः मैंने बताया आपको कि एक परमिट दी गई। बाकी सारा सामान अलग अलग विभागों को दिया है, इसमें पी०डब्ल्यू० डी० विभाग है और........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पी० डब्ल्यू० डी० का मतलब डिपार्टमेन्ट आ जाता है।

(हंसी)

श्री दौलतराम सारण : आपने पूछा है कि कौन कौन से डिपार्टमेन्ट्स हैं........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पी० डब्ल्यू० डी० का मतलब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट से है।

श्री दौलतराम सारण : पी० डब्ल्यू० डी० को दिया गया है, एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर, चम्बल प्रोजेक्ट और कलेक्टर कोटा को वितरित किया गया है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह मुफ्त में वितरण किया गया है या विकास कार्यों के लिए दिया गया है, तो कितनी संख्या में दिया गया है ?

श्री दौलतराम सारण : विकास कार्यों के लिए जिन-जिन के नाम थे, कलेक्टर ने पर्मिट से वितरित किया है।

श्री दयाकृष्ण विजय : उनकी संख्या क्या है, आपने अलग अलग हैड्स बताये तो अलग अलग डिपार्टमेन्ट्स को कितना-कितना दिया गया ?

श्री दौलतराम सारण : पी० डब्ल्यू० डी० को तीन टन......

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह।

जिला बोर्ड, झुंझुनू की जागीरदारों पर सैस की बकाया रकम

४१६. श्री शिवनाथसिंह (गुढा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) झुंझुनू जिले में जागीरदारों ने कुल कितनी रकम जिला बोर्ड के सैस (cess) तथा कन्ट्रीब्युशन की कितने अर्से से बकाया है ?

(२) सरकार उक्त रकम की वसूली के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप-स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री पूनम चन्द बिश्नोई) : (१) कन्ट्रीब्युशन की रकम १,६७,११५) रु० और सैस की रकम १,६१,३८५) रु० बकाया है।

यह रकम सम्वत् २००६ से २०११ तक की बकाया है।

(२) मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री शिवनाथसिंह : यह मामला जब से बकाया है तब से विचाराधीन है या अब से है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह सम्वत् २०११ के पहले से विचाराधीन है।

Page No.25

श्री शिवनाथसिंह : सरकार ने क्या ठोस कदम उठाये हैं वसूली के लिए ?

श्री अध्यक्ष : यह विचाराधीन है ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह अभी तय नहीं हुए हैं । तय होने पर बतलाऊंगा ।

श्री शिवनाथसिंह : यह कई साल से बकाया है, कब तक तय हो सकेगा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जल्दी से वे तय करेंगे ।

श्री गोवर्धनसिंह केन : क्या इस सम्बन्ध में इसी साल तय कर दिया जायगा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह मैं निवेदन नहीं कर सकता ।

प्रश्न संख्या ४१७

श्री अध्यक्ष : श्री बृजेन्द्रपाल ।

(अनुपस्थित)

उप-सिंचाई मन्त्री द्वारा हेमावास बांध के पास सुरक्षा भीत का निरीक्षण

४१८. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या उप-सिंचाई मन्त्री ने पाली तहसील में हेमावास बांध के पास कीरों की बस्ती और उस बस्ती के पास हेमावास की प्रोटेक्शन वाल का निरीक्षण किया ? यदि हां, तो उसको किस स्थिति में पाया ?

(२) क्या सरकार की इस (Protection Wall) को बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह कब तक पूरी हो जायेगी ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) उप-सिंचाई मन्त्री, राजस्थान सरकार ने हेमावास बांध के मुख्य ओट के गाइड बांध का निरीक्षण किया था । इस गाइड बांध का आखिरी हिस्सा खराब स्थिति में है ।

(२) इस नुकसानी हिस्से की मरम्मत के लिये एस्टीमेट बन चुका है । वह स्क्रुटिनी में है और इस साल के खत्म होने तक पूरा हो जावेगा ।

श्री मूलचन्द डागा : एस्टीमेट खत्म हो जायगा या काम ?

(हंसी)

श्री रामकिशोर व्यास : आपने एस्टीमेट के लिए थोड़े ही फर्माया था, काम के लिए फर्माया था, उसका जवाब दे दिया ।

श्री शंकरलाल : कितने रुपये का एस्टीमेट हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह फीगर्स मेरे पास इस वक्त नहीं है ।

श्री शंकरलाल : कितना अर्सा हो गया एस्टीमेट बने ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसी साल की बात है ।

श्री श्रीभानसिंह : ४१८ नम्बर का का प्रश्न तो उप-मन्त्री जी से पूछा था, उसका जवाब आप कैसे दे रहे हैं ? यह प्रश्न माननीय उपमन्त्रीजी को एड्रेस्ड था और उन्हें जवाब देना चाहिए रूल्स के मुताबिक ।

श्री रामकिशोर व्यास : गवर्नमेन्ट से पूछा जा रहा है कि क्या उप-मन्त्री गये थे वहां ?

पाली जिले की ग्राम पंचायतों का चुनाव

४१६. **श्री मनरूपराम परिहार** (खारची सुरक्षित) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) पाली ज़िले में किन-किन ग्राम पंचायतों का चुनाव हो चुका तथा किन-किन का होना बाकी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या उक्त पंचायतों से अनुसूचित जाति में पंचों को नियमानुसार मनोनीत करने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(३) जिन पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं उनमें अनुसूचित जाति के पंच कितने चुन लिये गये हैं और किन-किन पंचायतों में अनुसूचित जाति का पंच मनोनीत करना है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(४) क्या यह सही है कि तहसील पंचायत, खारची में अभी तक अनुसूचित जाति का पंच मनोनीत नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक उक्त पंच मनोनीत कर दिया जावेगा ?

उप पंचायत मन्त्री (श्री दौलतराम सारण) : (१) जिन पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं व जिनके शेष हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रखवा दी गई है ।

(२) इस बारे में पंचायतों से प्रस्ताव आने पर ही कार्यवाही की जाती है। सब ही पंचायतों में अनुसूचित जाति के पंच मनोनीत नहीं किए जाते। जहां निर्वाचन में इस जाति का व्यक्ति निर्वाचित नहीं होता है और सरकार यदि उचित समझे तो मनोनीत करती है। अभी तक इस सम्बन्ध में पंचायतों से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। इसलिए कार्यवाही नहीं की गई।

(३) चुनाव पत्रों में जाति नहीं लिखी जाती है जिससे यह जानकारी हो सके कि किस पंचायत में अनुसूचित जाति का पंच है। यदि किसी विशेष पंचायत की जानकारी चाही जावे तो सूचना दी जा सकती है।

(४) जी हां, यह सरकार के विचाराधीन है और जल्दी ही कर दिया जायगा।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री मनरूपराम परिहार : जल्दी कब किया जायगा ?

श्री दौलतराम सारण : बहुत जल्दी।

काटली नदी पर बांध बांधने की योजना

४२०. **श्री शिवनाथसिंह** (गुढ़ा) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या काटली नदी बांध बांधने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से तथा उसमें क्या प्रगति अब तक हुई है ?

(२) क्या यह सही है कि काटली नदी के बांध के क्षेत्र में आने वाले ग्रामों के निवासियों को सरकार द्वारा इस प्रकार के नोटिस दिये गये हैं कि कोई भी आदमी पुख्ता मकान आदि नहीं बनावें ? यदि हां, तो कौन कौन से गांवों को ?

(३) योजना के अनुसार किस स्थान पर बांध बांधा जाने वाला है ?

Page No.27

(श्री शिवनाथसिंह)

(४) क्या ग्राम पौंख, बागोरा, नांगल, उदयपुर, जिला झुंझुनू में भी कोई बांध बंधवाने की योजना सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो उसमें क्या प्रगति हुई है ?

(५) सन् १६४६ से लगायत सन् १६५७ के अन्त तक सिंचाई विभाग द्वारा कुल कितनी धनराशि झुंझुनू जिले में किन-किन कार्यों पर खर्च की गई है ?

सिंचाई-मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) हां, इस योजना की सर्वे सन् १६४५ में शुरू हुई थी और बांध को उपयुक्त स्थान न मिलने के कारण सर्वेक्षण अभी जारी है।

(२) सिंचाई विभाग द्वारा ऐसे कोई नोटिस जारी नहीं किये गये हैं।

(३) इसका निर्णय सर्वेक्षण सम्पूर्ण होने पर किया जायगा।

(४) पौंख योजना की मंजूरी सरकार के विचाराधीन है। अन्य स्थानों पर सिंचाई योजनाओं के लिए उपयुक्त स्थानों की खोज की जा रही है।

(५) अभी कोई नहीं।

श्री शिवनाथसिंह : मैंने प्रश्न (२) में यह पूछा था कि वहां पर सरकार द्वारा इस प्रकार के नोटिस दिये गये हैं कि कोई भी आदमी पुख्ता मकान आदि नहीं बनावें तो उसका जवाब सिंचाई विभाग की तरफ से कैसे दिया जा सकता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपने सिंचाई विभाग से पूछा, इसलिए जवाब दिया है।

श्री शिवनाथसिंह : यह मामला ४५ से चल रहा है तो क्या निश्चित माना जाय कि यह बनेगा या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मुझे तो जानकारी मिली तो बता दी गई। यह क्वेश्चन इर्रिगेशन से सम्बन्धित है।

श्री शिवनाथसिंह : कौन कौन से स्थान पर जांच की गई हैं और वहां पर जमीन उपयुक्त नहीं पाई गई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : उदयपुर के अन्दर उपयुक्त नहीं पाई गई है। पानी की डिफिकल्टीज है। जमीन जो पानी के नीचे आती है उसका सवाल है। इरिगेशन पर जितना खर्चा होगा उस जमीन से उसके बराबर लाभ होगा ?

यज्ञनारायण हॉस्पिटल, किशनगढ़ में दवाइयों की कमी

४२१. **श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** (किशनगढ़): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या किशनगढ़ के यज्ञनारायण हॉस्पिटल व सिटी डिस्पेन्सरी की दवाइयों के बजट में पहले से कमी की गई है ?

(२) अगर हां, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (१) अजमेर डिस्ट्रिक्ट में स्थित अस्पतालों व डिस्पेन्सरियों के लिये इस वर्ष १,००,०००) रु० प्रदान किया गया है जो पिछले वर्ष से ३५,०००) रु० अधिक है। किशनगढ़ अस्पताल व डिस्पेन्सरी के बजट में कमी करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

(२) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

Page No.28

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : क्या मंत्री महोदय को पता है कि वहां पर अस्पताल में पट्टियां तक लोगों को घर से लानी पड़ती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: नहीं. ऐसी बात नहीं है ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : शायद यह आपको पता नहीं है कि वहां पर डॉक्टर लोग लोगों से पट्टियां घरों से मंगाते हैं तब उनके बांधी जाती हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एलॉटमेंट ऑफ फण्ड्स में कमी नहीं की गई है किसी तरह से ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : तो फिर डॉक्टर महोदय अपने घर ले जाते होंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: यह अगर आप बतायेंगे तो जानकारी लेकर जांच करवाऊंगा, लेकिन अलॉटमेंट जितना पार साल रखा था, उतना ही है ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा: मुझे यह सूचना दी गई है कि वहां पर पट्टियां नहीं हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी बात नहीं है, अब आपकी गलतफहमी दूर हो जायगी ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा; क्या आप इस गलतफहमी को दूर करने की कृपा करेंगे ?

श्री बद्रीप्रसासद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि ऐसी बात नहीं है। पिछले साल १०,०००) रु० बजट में अलॉट किया था फिर साढ़े सात हजार की सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट मिलाकर १७॥ हजार रुपया अलॉट किया गया था। इस साल भी १७॥ हजार का प्रॉविजन किया किया गया है ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : किशनगढ़ डिस्पेन्सरी को कितना दिया गया ? यज्ञनारायण अस्पताल को कितना दिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: किशनगढ़ अस्पताल का ही बता रहा हूँ कि पिछले साल १० हजार रुपया था, उसके बाद उसको १७॥ हजार का दिया गया था ।

मदनगंज में लोड लॉरीज का स्टैन्ड

४२२. **श्री रामनारायण**:(पीपलदा-सु०) क्या यातायात मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि नगरपालिका, किशनगढ़ ने रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफीसर को मदनगंज में लोड लॉरीज़ का स्टैन्ड मुकर्रर करने के लिए लिखा है ?

(२) क्या यह सही है कि लोड लॉरीज का स्टैन्ड कायम नहीं होने से गाड़ियां आम बाजार में खड़ी रहती हैं जिससे एक्सीडेन्ट्स होते रहते हैं ?

(३) यदि हां, तो अब तक स्टैन्ड मुकर्रर नहीं करने का क्या कारण है ?

उप यातायात मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): (१) हां ।

(२) ऐसी किसी एक्सीडेन्ट की शिकायत यातायात विभाग में प्राप्त नहीं हुई है ?

(३) मामला आर०टी०ए० के विचाराधीन है ।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, टोंक की जीप

३८१. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि तारीख १७-६-५८ को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, टोंक की जीप नगर,

Page No.29

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

तहसील दुनी, डिस्ट्रिक्ट टोंक में गई थी ?

(२) अगर हां, तो किस कार्य हेतु और उसमें कौन कौन गये थे ?

(३) क्या यह सही है कि उस कार से एक्सीडेण्ट भी हुआ था ? अगर हां, तो किस तरह और किन किन के चोटें आई व गाड़ी को कितना नुकसान हुआ ?

उप-स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (१) जिला बोर्ड टोंक की कार तहसील देवली में तारीख १७-६-५८ को गई थी।

(२) भारत सेवक समाज द्वारा आयोजित विद्यार्थी शिविर के दीक्षान्त समारोह में सम्मिलित होने के लिए एवम् जिला बोर्ड द्वारा संचालित पशु-चिकित्सालय का निरीक्षण करने के लिए उस कार में अध्यक्ष—जिला बोर्ड, टोंक, ग्राम पंचायत, अरनियाकेदार के सरपंच एवं राजस्थान ग्राम शिक्षा निकेतन अरनिया-केदार के प्रधानाध्यापक गये थे।

(३) जी हां। चोट केवल ड्राईवर को आई थी। गाड़ी का करीब ७०० रुपये का नुकसान हुआ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : ड्राईवर के चोट आई। क्या वह गिर गया या गाड़ी टकरा गई।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : एक्सीडेण्ट हुआ था।

रावराजा श्री सरदारसिंह : किस किस्म का एक्सीडेण्ट हुआ ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : मोटर का एक्सीडेण्ट हुआ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : एक्सीडेण्ट हुआ तब रात का टाइम था या दिन का ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : निश्चित तौर से यह अर्ज नहीं कर सकता।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मोटर वहां टकराई तब रात का समय था या दिन का ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : कोई भी समय हो सकता है।

श्री सूरजमल : एक्सीडेण्ट में ड्राईवर की टांग टूटी या हाथ ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह मैं निश्चित तौर से अर्ज नहीं कर सकता।

सरकारी अस्पतालों में एम्बुलेंस कारें

३८५. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में सरकारी हॉस्पिटलों में कहां-कहां एम्बूलेंस कारें हैं ?

(२) इन सरकारों में क्या-क्या इक्विपमेंट्स हैं और क्या ये गाड़ियां सिटी के ही लिए सीमित हैं ?

(३) इस सम्बन्ध में सरकार ने गांवों के लिये क्या सुविधा दे रखी है ?

(४) सवाई मानसिंह हॉस्पिटल और जनाना हास्पिटल जयपुर में कितनी एम्बुलेंस कारें हैं ?

(५) ये किसके चार्ज में रहती हैं और इन पर क्या-क्या खर्चा होता है ?

(रावराज श्री सरदारसिंह)

(६) क्या यह सही है कि मरीजों से इसकी फीस वसूल की जाती है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) निम्न अस्पतालों में रोगी वाहन हैं :

सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में २, लेजेरेटों व आइसोलेशन अस्पताल, जयपुर में १, व जनाना अस्पताल में १ है। इनके अलावा, टोंक, सीकर, किशनगढ़, जोधपुर महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर उम्मेद अस्पताल, नागोर, मर्दाना अस्पताल सिरोही, पाली, अजमेर, अलवर, जनाना अस्पताल, अलवर, मेटर्निटी होम, बड़ोद, अलवर, गंगानगर, मर्दाना अस्पताल, बीकानेर, जनाना अस्पताल, बीकानेर, टी० बी० अस्पताल, बीकानेर, कोटा, बांसवाड़ा, जनरल अस्पताल, उदयपुर, जनाना अस्पताल, उदयपुर, भीलवाड़ा, टी० बी० अस्पताल, बाडी, उदयपुर, भरतपुर और बूंदी में हैं। इसके अतिरिक्त एक रोगी वाहन जो जनाना अस्पताल जयपुर को दी हुई है वहां पर ड्राईवर की पोस्ट अभी तक स्वीकृत नहीं होने के कारण सवाई मानसिंह अस्पताल में पड़ी हुई है।

(२) इन रोगी वाहनों में स्ट्रेचर तथा वाश हैंड बेसिन हैं। यह सिटी के लिए ही सीमित नहीं है।

(३) ग्रामवासी अपने निकट के अस्पताल से जहां रोगी वाहन हैं प्राप्त कर सकते हैं।

(४) सवाई मानसिंह अस्पताल में २ रोगी वाहन हैं तथा जनाना अस्पताल, जयपुर के लिए एक रोगी वाहन रखा हुआ है।

(५) उपरोक्त दोनों रोगी वाहन सुपरिन्टेन्डेन्ट सवाई मानसिंह अस्पताल के चार्ज में हैं इन पर पेट्रोल, ऑइल ,मेन्टिनेन्स व ड्राइवर तथा क्लीनर के वेतन आदि का खर्चा होता है।

(६) जी हां।

रावराजा श्री सरदारसिंह : एम्बुलेंस ले जाने के लिये क्या फीस ली जाती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : म्यूनिसिपल लिमिट में ५ रु० पर ट्रिप बोथ वेज। एडीशनल एक रुपया पर, माइल और एक्स्ट्रा हो तो २ रुपया पर आवर लिया जाता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या मंत्री जी यह फील नहीं करते हैं कि इलाज महंगा, न्याय महंगा और अनाज महंगा, तो फिर गरीबों का कैसे गुजर चलेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गरीबों का इलाज मुफ्त किया जाता है। यह तो रोगियों को एम्बुलेंस में लाने-ले जाने का खर्चा है, इलाज मुफ्त किया जाता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : फीस क्या ली जायगी, यदि १० रोगी आयेंगे तो ५० रु. लिये जायेंगे क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ५ रु. एक ट्रिप के लिए जाते हैं म्यूनिसिपल लिमिट में, उसमें जितने रोगियों के लिए जगह है उतने एक साथ आ सकते हैं।

श्री संपतराज : क्या प्रत्येक जिला हैडक्वार्टर के अस्पताल में एम्बुलेंस कार रखना सरकार उचित नहीं समझती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कोशिश यही की जा रही है, जहां तक हो सके सभी जगह व्यवस्था करने की।

Page No.31

रावराजा श्री सरदारसिंह : जयपुर की आबादी को देखते हुए सवाई मानसिंह अस्पताल में सिर्फ दो गाड़ियें रखना काफी है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जयपुर में ४ गाड़ियें हैं, ३ सवाई मानसिंह अस्पताल में और एक आइसोलेशन अस्पताल में।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या जनाना अस्पताल में एक गाड़ी रखना ही काफी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कुल चार गाड़ियां जयपुर में हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : क्या यह सही है कि उनमें से बहुत सी गाड़ियां खराब पड़ी हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कुछ गाड़ियां नई आई हैं और जो पुरानी हैं उनकी मरम्मत कराई गई है।

प्रश्न संख्या ३८६

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित)

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एस० डी० ओ० ऑफिस में विचाराधीन मुकद्दमें

३८७. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या गृह मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) टोंक जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सब-डिवीजनल ऑफीसर तथा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के इजलास में कितने मुकद्दमें तीन वर्षों से जेर-तजबीज हैं ?

(२) यह मुकद्दमात किस-किस नेचर के हैं और इन मुकद्दमों के फैसलों में विलम्ब होने का क्या कारण है ?

गृहमंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) टोंक जिले में जिलाधीश, उप-जिलाधीश, सहायक कलेक्टर व दंडनायक तथा मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में तीन वर्ष से जेर-तजबीज कोई मुकद्दमा नहीं है।

(२) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

१२. ७ म० प०

शासकीय संकल्प

नेशनल हाईवे इत्यादि के सम्बन्ध में रिबन डेवलपमेंट के नियंत्रण

उपवित्त मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) सार्वजनिक निर्माण मंत्री की अनुपस्थिति में : माननीय अध्यक्ष, मैं निम्न संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

That this Assembly do resolve that it is desirable that control and restriction of Ribbon Development in respect of National Highways, payment of compensation to persons sustaining damage in consequence of such control and regulation, levy of betterment charges on lands benefitting from the improvement of National Highway and all other consequential and incidental metters, in so far as these matters are matters with respect to wich Parliament has not power to make laws for the States Should be regulated by Parliament by law."

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं उनके आसपास किन्हीं स्थानों के ऊपर बहुत से बिल्डिंग्ज बन गए हैं या ऐसी चीजें बना ली गई हैं जिनकी वजह से इस पर काफी ट्रेफिक हो जाता है। नेशनल हाईवेज इस प्रकार के होने चाहिए जिनके आसपास इस प्रकार की रुकावट कोई न हो, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे इन नेशनल हाईवेज के ऊपर इस प्रकार की चीजें कई जगह हुई हैं, चुनाचे यह महसूस किया जा रहा है कि इस प्रकार की चीजें जो रास्ते में आती हैं उनको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए या वहां से इसको हटा कर कम से कम १०० फीट की दूरी पर किसी प्रकार का ओब्स्ट्रेशन या कोई चीज न हो, या बिल्डिंग न बने या और किसी प्रकार से ट्रेफिक में रुकावट पैदा करने वाली चीज न हो और जहां पर इस प्रकार की चीजें हुई हैं, उनको वहां से हटाने के लिए कानून बनाना अत्यन्त आवश्यक है। स्टेट सब्जेक्ट के अन्दर आने वाली रोडस हैं उनके लिए तो स्टेट लेजिस्लेचर को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है लेकिन क्योंकि यह अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि सारे भारतवर्ष में एक सा युनिफोर्म कानून बने जिसकी तहत स्कीम के अनुसार नेशनल हाईवेज होती हैं। उसके आस पास हरेक व्यक्ति चाहता है कि वहां कोई बिल्डिंग बनावे। उसको रेग्युलेट करना और कंट्रोल करना आवश्यक हो जाता है इसलिए एक युनिफोर्म लॉ इस प्रकार का बनाया जाय जिससे ठीक प्रकार से सारे भारतवर्ष में एक सी व्यवस्था की जा सके। उन लोगों को जिन्होंने अभी वहां पर अपने मकानात बना लिए हैं या फैक्ट्रीज लगा ली हैं या चक्की चलाते हैं या दूसरी बातें होती हैं उनको भी हटाये जाने के विषय में कानून बनाया जायगा और इस सिलसिले में जो दण्ड कानून में होगा, वह दिया जायगा।

तो यह राष्ट्रीय हित में अत्यन्त आवश्यक है कि हमारे जितने भी राजपथ हैं वे बिल्कुल खाली रहें और उनमें किसी भी प्रकार की कोई ट्रेफिक की रुकावट न हो। इसका प्रॉवधान करने के लिए ऐसा कानून बनाया जा रहा है। स्टेट में जो आई हुई सड़कें हैं, उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार स्टेट को दिया गया है, लेकिन विधान के अनुसार, जो विधान की २४६ से २५२ तक धारायें हैं, उनके अनुसार, स्टेट लेजिस्लेचर अगर पार्लियामेंट को कोई अधिकार देवे कि वह सारे देश के लिए ऐसा कानून बनाये, तो यह रिजोल्युलेशन के द्वारा किया जा सकता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि यह ऐसी चीज है जो सार्वजनिक हित में और सारे देश के हित में भी है कि समान व्यवस्था से कार्य होना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस विधान सभा को, पार्लियामेंट को ऐसा कानून बनाने का अधिकार देना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक संशोधन प्रस्तुत करता हूँ कि इस प्रस्ताव में से शब्द "...levy of betterment charges on lands benefitting from the improvement of National Highways and all other consepuential and incidental matters. ..." को डिलीट कर दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से अभी माननीय उप मंत्री जी ने बताया कि नेशनल हाइवेज के इम्प्रूवमेंट के सम्बन्ध में सरकार ने जो अब तक कार्यवाही की है और जो सरकार आगे कार्यवाही करेगी, उस कार्यवाही के सम्बन्ध में......

श्रीभानसिंह : ओन ए पॉइन्ट ऑफ आर्डर, सर, इस संशोधन का नोटिस नहीं है और माननीय सदस्य को इस स्टेज पर संशोधन पेश करने की इजाजत न दी जाय।

श्री अध्यक्ष : He has been permitted to move it.

श्री भैरोंसिंह : तो उस सारी कार्यवाही के लिये लोक सभा को अधिकार नहीं है कि वह इस प्रकार का कानून बनावे जिस कानून को राजस्थान में लागू किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि हम कुछ विशेष बातों के लिए लोक सभा को अधिकार दें लेकिन कई ऐसे प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों के विषय में हमें यह विचार करना पड़ेगा कि अगर हमने ऐसा अधिकार दे दिया तो उसका परिणाम क्या होगा ? जहां तक इम्प्रूवमेंट के सम्बन्ध में जिन लोगों की जमीन एक्वायर की है, या कइयों के मकान हटाने पड़ेंगे, उससे किसी प्रकार किसी को जो कोई नुकसान होगा, उसका कम्पेन्सेशन देने का प्रश्न आता है। मैं समझता हूँ, उसके लिए अगर लोकसभा एक युनिफॉर्म लॉ बनावे, जिसके अन्तर्गत ये अधिकार दिये जा सकते हैं और उन अधिकारों का प्रयोग कर लोगों को कम्पेन्सेशन दिया जा सकता है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन टैक्स इम्पोज करने का प्रश्न आता है, तो अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग हालत है। कहीं इन्सीडेन्ट ऑफ टैक्सेज ज्यादा हैं और पर केपिटा इन्कम एक स्टेट से दूसरे स्टेट की भिन्न है। ऐसी स्थिति में जैसा माननीय उपमन्त्रीजी ने बताया कि सारे विषयों को लेकर एक युनिफॉर्म लॉ बनायेंगे, कहने का तात्पर्य यह है कि लोकसभा द्वारा कोई कानून बना तो जितने टैक्स यु० पी० में इम्पोज करेंगे, जितने टैक्स बम्बई में इम्पोज करेंगे, जितने टैक्स बाकी अन्य प्रान्तों में इम्पोज करेंगे, उतने ही राजस्थान में लागू होंगे। उसमें यह स्थिति नहीं रहेगी कि राजस्थान के लोगों को कितना टैक्स देना पड़ता है, कितना ऑलरेडी दे रहे हैं और उनकी पर केपिटा इन्कम कितनी बढ़ी है। पर केपिटा इन्कम के आधार पर अगर उनके ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाय और उस फॉर्मुला को लोक सभा स्वीकार करे तो जो स्टेट की आमदनी के आधार पर टैक्स इम्पोज करने की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार टैक्स इम्पोज किये जायेंगे, तो यह बात समझ में आ सकती है। लेकिन खाली यह अधिकार देना कि एक युनिफार्म लॉ बनावें तो राजस्थान के लोगों के ऊपर अतिरिक्त कर-भार आने की सम्भावना है और इस सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए मैंने संशोधन पेश किया है कि इसमें दूसरे जो शब्द हैं "...and all other consequential and incidental matters.."

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये इस प्रकार के शब्द हैं, जिनका कुछ भी अर्थ लगाया जा सकता है। इस सारे रिवाइवल के कारण जितने परिणाम निकलें, उनके लिए लोकसभा कानून बना लेगी। हम किसी स्पेसिफिक मैटर के लिए लोकसभा को अधिकार दें तो बात समझ में आ सकती है। लेकिन उसके परिणाम स्वरूप होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में, जिनका ज्ञान नहीं है, जिनको स्पेसिफिक नहीं कर सकते, उनके बारे में अन्धेरे में अधिकार दे देना, मैं समझता हूँ किसी प्रकार उचित नहीं होगा। इस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए मैंने यह संशोधन प्रस्ताव सदन के सामने रखा है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, अभी जो संशोधन प्रस्ताव माननीय

(श्री दयाकृष्ण विजय)

भैरोंसिंहजी ने रखा है, उसका समर्थन करते हुए मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय राजपथों की जो पट्टिका निर्धारित की जा रही है, उसमें कुछ लोगों के मकानों को लिया जायगा या कुछ जमीनों को हांसिल किया जायगा। अभी कुछ लोगों के मकान बने हुए हैं, उनको उससे लाभ होगा और कुछ को हानि होगी। उसके लिए हम हमारी केन्द्रीय संसद् को इस प्रकार की ताकत देना चाहते हैं कि वह सारे भारतवर्ष के लिए एक यूनिफॉर्म लॉ इस प्रकार बनावे कि जिसकी वजह से वहां जो भी कम्पेन्सेशन देना है, वह निर्धारण कर सके और टैक्स इम्पोज कर सके, बेटरमेंट लेवी के आधार पर टैक्स इम्पोज कर सके। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वैसे पार्लियामेंट सारे हिन्दुस्तान की रिप्रेज़ेन्टेटिव बॉडी है और वह कोई कार्य करती है तो सारे लोगों को, जनता को मान्य होना चाहिए। तो राजस्थान के अन्दर केन्द्र के जो कानून हैं, राजस्थान के अन्दर जनता पर टैक्स लगाने की पॉवर है, वह राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली की है। अब केन्द्र ऐसी ताकत प्राप्त करना चाहता है कि केन्द्र के द्वारा समूचे प्रान्तों में, सारे देश के अन्दर टैक्स लगा सके। मैं निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने अभी बतलाया कि इसके अन्तर्गत लिखा हुआ है "......and all other consequential and incidental matters..."

जितने आनुषंगिक प्रासंगिक मेटर्स हैं और जिनका यहां कोई विवरण नहीं दिया गया है, कोई व्याख्या नहीं की गई है, ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, हम किस प्रकार अन्धेरे में रह कर अधिकार दे दें, यह समझ में नहीं आता। इस प्रकार की कोई बात थी तो स्पष्ट करनी चाहिए थी और इस प्रकार के प्रस्ताव को पास करने की बात सदन के सामने रखी जानी चाहिए थी। वैसे माननीय उपमंत्रीजी ने इस प्रकार का स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन वह इतना स्पष्ट नहीं है कि उससे सारे लोग संतुष्ट हो जायं और प्रस्ताव को पास करने की आज्ञा दे दें। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां पेमेन्ट ऑफ कम्पेन्सेशन का प्रश्न है, उसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। क्योंकि जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने बतलाया कि कम्पेन्सेशन देते वक्त स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग और पर केपिटा इन्कम पर विचार किया जायगा और इन बातों पर विचार करके कोई निश्चय किया जायगा। लेकिन राजस्थान की जनता के सामने दूसरा प्रश्न है। जब बेटरमेंट लेवी के नाम से टैक्स लगाने की बात पर, और दूसरे टैक्स लगाने की बात पर विचार करते हैं तो देखना होगा कि जनता पर कितना टैक्स लगेगा और राजस्थान की जनता कितना कर-भार सहन करने योग्य है। इसमें जो आनुषंगिक और प्रासंगिक मेटर्स दिये गये हैं, उनका उल्लेख नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब तक इन बातों का स्पष्टीकरण न हो जाय, इन शब्दों को निकाल दिया जाय, जैसा कि प्रस्तावक महोदय की भावना है, तो ज्यादा उचित होगा। अगर नहीं निकाला जाय तो उनकी व्याख्या की जाय, उनको विस्तार के साथ बताया जाय, तो यह असेम्बली के मेम्बरों की समझ में आ सकती है। अन्यथा बहुमत के आधार पर पास कराया जायगा, हो सकता है कि लोग अन्धेरे में रह कर पार्टी व्हिप के नाम पर हाथ उठा दें, और इस प्रस्ताव को पास कर दें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पास करने से पहले आनुषंगिक और प्रासंगिक विषयों का स्पष्टीकरण किया जाय और सदन को सूचना दी

(श्री दयाकृष्ण विजय)

जाय कि क्या टैक्स होगा और राजस्थान क जनता पर कितना भार आखिर पड़ने वाला है। राजस्थान की जनता इस भार को सहन करने योग्य है या नहीं, इन बातों को नहीं बताते हैं, इन बातों का पूरी तरह से स्पष्टीकरण नहीं हो जाता है और बहुमत के आधार पर प्रस्ताव को पास कराया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि यह जनतन्त्रात्मक तरीका नहीं होगा। वैसे तो जनतंत्र बहुमत के आधार पर होता है, लेकिन बहुमत का प्रयोग उस जगह करें जिस जगह सदन के सदस्य उस बात को समझ चुके हों, कि क्या मकसद है, क्या बात हो रही है। लेकिन लोगों को बात न बताई जाय, व्याख्या न की जाय, और इस प्रकार अन्धेरे में रखकर प्रस्ताव पास कराया जाय, यह समझ में आने की बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि या तो ये शब्द निकाल दिये जायं, और अगर रखने हैं तो इनको स्पष्ट कर दिया जाय, स्पष्टीकरण करना बहुत ज्यादा आवश्यक है।

उपवित्त मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल): अध्यक्ष महोदय, अभी यह कहा गया कि इसमें एक संशोधन के रूप में कि बेटरमेंट चार्जेज़ और अदर इन्सिडेन्टल मैटर के बारे में हमें कोई अधिकार नहीं देना चाहिये, और इस विषय में यह भी बात बताई है कि यह बेटरमेंट चार्जेज़ किस तरह से लिये जायेंगे। मैं स्पष्टीकरण कर दूं तो शायद आपको इस संशोधन को वापिस लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

बेटरमेंट चार्जेज़ ऐसे हैं, नेशनल हाईवे के ऊपर एक बिल्डिंग लाइन होगी और एक दूसरी लाइन होगी इसके बीच में किसी प्रकार की बिल्डिंग फैक्टरीज़ या और किसी किस्म की बात न की जा सकेगी। इसके बाद जो कुछ डेवलपमेंट होगा, उससे मूल्य में बढ़ोतरी होगी। क्योंकि नेशनल हाईवे पर हर एक चाहता है कि उस पर उनकी बिल्डिंग बने, उसकी फैक्टरी बने, तो उस जगह का डेवलपमेंट करने के लिये डेवलपमेंट चार्जेज़ होंगे वे बेटरमेंट चार्जेज़ के नाम से वसूल किये जायेंगे। बिजली, नल आदि से उस एरिया को डेवलप किया जाय तो बेटरमेंट चार्जेज़, उस एरिया में क्योंकि एक इम्प्रूवमेंट होगा, वे लगाये जायेंगे, तो वे चार्जेज ऐसे लगाये जा सकते हैं। इसका सारा मकसद यह है कि राष्ट्र-पथ खुला रहे, चौड़ा रहे, किसी प्रकार की रुकावट नहीं हो यदि रुकावट हो तो उसे हटा कर उसका कम्पेन्सेशन दिया जा सके। जहां इस प्रकार के डेवलपमेंट राष्ट्र-पथ पर होंगे, उन लोगों की सम्पत्ति के मूल्य में वृद्धि होने से बेटरमेंट चार्जेज़ लिये जावेंगे। ये राजपथ से निश्चित दूरी पर बसाये जायेंगे, इस प्रकार का प्रावधान करना है।

"दूसरी बात यह कही गई कि 'इन्सिडेन्टल मेटर्स' ऐसी वेग टर्म है कि हर बात के बारे में कहा जा सकता है। रिजोल्युशन में साफ है कि : "...payment of compensation to persons sustaining damage in consequence of such control and regulation, levy of betterment charges on lands benefitting from the improvement of the National Highways..."

"...and all other consequential and incidental matters, in so far as these matters... "Matters relating only to this, development of the National Highways. Nothing else

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

नेशनल हाइवे का इम्प्रूवमेंट करने की वजह से बेटरमेंट चार्जेज़ के लिए जावेंगे। "levy of betterment charges on lands benefitting from the improvement of the National Highways"...

तो यहां रिज़ोल्युसन के अन्दर तो इस तरह का नहीं बताया जा सकता कि इन्सिडेन्टल मेटर्स क्या-क्या होंगे, पर इससे ताल्लुक रखने वाले ही हो सकते हैं, न कि दूसरे। सारे देश के अन्दर एक कानून बनाया जा रहा है और इस संकल्प को पेश किया गया है, उसी के अनुसार इसे इस विधान सभा को पास कर देना चाहिये। इस कानून से नेशनल हाईवे खुला, चौड़ा और अच्छा होगा, रिबन डेवलपमेंट होते हैं, वे नहीं होंगे। यह सारे राष्ट्र के हित की बात है।

श्री भैरोंसिंह : एक थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहूँगा, माननीय अध्यक्ष। नेशनल हाईवे के आस-पास जमीन जिस पर कब्जा कर रहे हैं, लीज़ कराई जायगी और बेटरमेंट लेवी इम्पोज़ की जायगी, जो यह सुना है वह सही है या और कोई बात है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : बेटरमेंट लेवी तो नेशनल हाईवेज़ के इम्प्रूव करने से लिया जावेगा, यह कोई फेसिलिटीज़ प्रोवाइड करने पर न होगी।

श्री भैरोंसिंह : टैक्स उसी एरिया पर इम्पोज किया जायगा या दूसरे एरियाज़ पर भी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : नेशनल हाई वे के आस-पास किया जायगा सब जगह नहीं। नेशनल हाइवे के बनने से जिन जिन की प्रॉपर्टी की वेल्यु बढ़ेगी, उस बढ़ी हुई इन्कम का ही हिस्सा बेटरमेंट चार्जेज़ होंगे।

श्री भैरोंसिंह : जिन-जिन व्यक्तियों को नेशनल हाईवे बनने से फायदा होगा, उन्हीं व्यक्तियों से यह लिया जायगा या दूसरों से भी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : प्रोपर्टी जिस व्यक्ति की होगी उसी से लिया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : जिनकी प्रोपर्टी है उनसे लिया जाय, यह तो ठीक है पर जनरल बेनिफिट नेशनल हाईवे के कारण होगा, उसकी तो लेवी इम्पोज नहीं की जायगी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : नहीं, उसकी अलग नहीं होगी।

श्री भैरोंसिंह : तो इस एश्योरेंस के ऊपर कि जिन-जिन की उस एरिया में प्रोपर्टी है उन्हीं लोगों पर यह टैक्स इम्पोज़ किया जायगा, जिन-जिन की प्रोपर्टी की वेल्यू नेशनल हाईवे के कारण बढ़ेगी उन्हीं से यह लेवी ली जायगी, मैं अपना संशोधन वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्तुत किया गया, उसे वापिस लेने की आज्ञा दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

(विराम)

श्री भैरोंसिंह : मैं अपना यह संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संकल्प स्वीकार किया गया।

(विराम)

१२. २८ म. प.

राज्य की खाद्य स्थिति पर विचार

राज्य की खाद्य स्थिति पर विचार। खाद्य मन्त्री पहले बयान देंगे फिर इस पर बहस होगी।

खाद्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, आज हम सदन में राजस्थान की खाद्य समस्या पर विचार कर रहे हैं। अभी हाल ही में राजस्थान में खाद्यान्नों की कीमतों में कुछ उन्नति हुई है और खास तौर से गेहूं की कीमत कुछ बढ़ गई है, इसके कारणों पर प्रकाश डालने से पहले मैं यह निवेदन करूंगा कि अभी ६ या ७ महीने पहले ही अप्रेल के महीने में जयपुर में लाल गेहूँ की कीमत १२ रुपया मन थी और इसके बाद हर महीने एक रुपया मन के हिसाब से इसमें बढ़ोत्तरी हुई है, वृद्धि हुई है। एक कारण जिसकी वजह से कि राजस्थान में खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि हुई, यह आंका गया है कि पिछली बार रबी की फसल जब कि हमारा अन्दाजा था कि ३२ लाख टन अनाज पैदा होगा वहां जितना कि ख्याल था उससे कम पैदा हुआ और रबी की फसल बारिश की वजह से अच्छी नहीं हो सकी। १९५२ और ५३ से लगातार अब तक राजस्थान से एक लाख टन अनाज हम हर साल बाहर भेजते रहे हैं और १९५२—५३ से पहले ५० हजार मन अनाज हम राजस्थान के बाहर से मंगाते थे। ५२—५३ के बाद से अब तक हमारे खाद्यान्नों के प्रोडक्शन में उन्नति होती रही है। एक कारण जिसकी वजह से कीमतों में गड़बड़ी हुई, पहली तो बात यह थी कि रबी की फसल में आशातीत पैदावार नहीं हो सकी और दूसरे अभी हाल में ही कुछ दिनों पहले राजस्थान में लेट रेन्स (Rains) होने के कारण कुछ डिविजन्स में, जो फसल अच्छी थी वह उतनी अच्छी नहीं हो सकी और इसके पहले जोधपुर, बीकानेर डिविजनों में बारिश एक महीने बाद होने से फसल बिल्कुल नहीं हो सकी। यह दूसरा कारण था जिसके कारण प्राइसेज में बढ़ोतरी हुई।

तीसरी बात यह है कि राजस्थान से बहुत सा अनाज एक्सपोर्ट हुआ इससे भी दिक्कत हुई। अभी एक सप्ताह या दो सप्ताह हुए अचानक वृद्धि हो गई उसका कारण यह है कि सीड के लिए काश्तकारों को अनाज दिया गया। इसके अलावा सब जगह जहां पर एक तरफ नुकसान हुआ और लोगों ने यह कहा कि हमारी बाजरे की फसल खराब हुई और वर्षा देरी से हुई वहां दूसरा फायदा यह हुआ कि रबी की फसल में बोने के लिये जौ और गेहूँ और चनों की बहुत ज्यादा मांग रही और गेहूँ और चने की मांग बहुत हुई और अभी तक रबी का अभियान चल रहा है और जमीनों में काश्तकारी चल रही है और चना डाला जा चुका है और जौ और गेहूँ की काश्त हो रही है, असाधारण तौर से यह कीमत बढ़ी है। ये ही तीन कारण मैंने बताये जिनके कारण से यह असाधारण कीमतें बढ़ी हैं और इस प्रकार की गड़बड़ हुई है।

राजस्थान सरकार ने शुरू में अप्रेल

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

और मई में इन बढ़ती हुई कीमतों की तरफ केबिनेट लेवल पर विचार किया और हमने एक कमेटी सरकारी अधिकारियों की बनाई जिसमें चीफ सेकेट्री भी मौजूद थे और वह कमेटी जून ५८ में ही मुकर्रर कर दी गई थी। उसके पास यह काम था कि राजस्थान में कीमतें बढ़ रही हैं उसको रोकने के लिये क्या किया जावे और समय समय पर उस कमेटी ने अपने विचार राजस्थान सरकार के सामने रखे और उसको कार्यान्वित करने के लिये सरकार खुद सोचती है।

राजस्थान में खरीफ की फसल हालांकि मौसम की गड़बड़ी के कारण बहुत अच्छी नहीं हुई है फिर भी खरीफ की फसल खराब नहीं हुई। मक्का की कीमत जयपुर में रु० १४-८-० और बाजरा की की कीमत रु० १३-८ (Per) पर मन है। गेहूँ की कीमतों में असाधारण वृद्धि हुई और वह करीब २५), २६) मण हो गया और लाल गेहूं का भाव २०), २१) का है।

इस समय बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिये सरकार सारे राजस्थान में फेअर प्राइसेज शॉप, सस्ते अनाज की दूकान खोल रही है जो ५३३ से बढ़ते बढ़ते ६०२ हो गई है, और उसमें से ११३ जयपुर शहर अकेले में है। इन दूकानों पर १० बेगजस गेहूँ हर रोज दिया जाता है और सदन की जानकारी के लिये, अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूंगा कि जयपुर, जोधपुर और अजमेर में जो अनाज हम देते हैं वह नहीं उठ पाता है। इस सम्बन्ध में मैं यही कहूँगा कि जितना अनाज दूकानों पर सप्लाई किया जाता है पड़ा रहता है। हम उनको जितना अनाज देते हैं, वह १० बोरी (Per) पर दूकान होता है मगर उन पर उनकी खपत नहीं है। इसके बारे में शिकायत की गई उससे भी पहले कुछ सज्जन मुझ से मिले थे और बताया कि जो अनाज दिया जा रहा है वह अच्छी क्वालीटि का नहीं है। इसके लिये मैंने सेन्टर का जो ऑफीसर रहता है, उसको साथ लेकर और स्थानीय कलेक्टर को साथ लेकर ग्रेन शॉप्स का निरीक्षण किया। और उसके बाद में जब विशेष तौर से यह प्रस्ताव आया कि वह बीमारी पैदा करने वाला है और उसमें विटामन निकाल लिये गये हैं तो हमने सेन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लेबोरेटरी में नमूना भेज दिया और उसकी रिपोर्ट आई है वह इस तरह है कि इसमें कोई खराबी नहीं है और यह अनाज ह्युमन कन्जम्शन के लिये फिट है। जो भरतपुर में नमूना मिला उसको दिखाया और जो गेहूं कनाड़ा का हमको भेजा जाता रहा है वह अच्छा है और इसके सम्बन्ध में यह शिकायत करना कि गेहूं खराब है और बीमारी पैदा करता है, उचित नहीं। शायद इसी ख्याल से शहर में अफवाह फैली है और इसी वजह से शायद लोगों ने शहर में इस गेहूं को खाना पसन्द नहीं किया हो। मगर इससे प्राइसेज पहले कम हो गई थी और जौ का भाव करीब २॥। सेर का हो गया था और उस समय आम तौर से मांग नहीं थी। मैं फेअर प्राइसेज शॉप्स पर एक महीने पहले गया था और देखा कि दूकानों पर कोई खरीदार नहीं था और गल्ला भी वैसा का वैसा ही रखा हुआ था।

तो मैंने यह अर्ज किया कि शहर में यह जो अफवाह फैलाई है कि यह अनाज खाने के काम का नहीं है तो मैंने भी एक रुपये का गेहूं खरीद कर दूकान से मंगाया और

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

घर पर चक्की पर पिसवा कर खाया ताकि बाहर पिसवाने से कोई गड़बड़ नहीं हो जावे । हाथ की चक्की से पिसवा कर खाकर देखा। मुझे खाने से कोई बीमारी नहीं हुई।

श्री अर्जुन दास : आपने कितने दिन खाया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चखने से मालूम हो जाता है कि बुरा है या भला।

रावराजा श्री सरदारसिंह : देवता तो वासना के ही भूखे हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : आपने एक ही वक्त खाना खाया होगा।

एक माननीय सदस्य : आप गेहूँ नहीं खाते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं गरीब आदमी हूँ जैसा मिल जाता है खा लेता हूं। मैं तो यह अर्ज करता हूं कि लोगों में यह अफवाह है कि यह खाने के काम का नहीं है और इसके खाने से पेट में दर्द हो जाता है, आदमी इसके खाने से बीमार हो जाता है तो मैंने इसको चक्की पर पिसवा कर खाकर देखा है और लेबोरेटरी में भी इसको एग्जामिन कराया है। बहुत से आदमी जो इसको खाते रहे हैं और सारे राजस्थान में बहुत सी जगह आम तौर से जयपुर में लोग इसको खाते रहे हैं किसी तरह की शिकायत नहीं आई है, बल्कि जगह जगह से यही डिमान्ड आ रही है कि हमारे यहां दूकानें बढ़ाई जानी चाहिये।

श्री दयाकृष्ण विजय : लेबोरेटरी से केमिकल एनेलेसिस की क्या रिपोर्ट है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं आपको उसकी रिपोर्ट पढ़ कर सुनाता हूं। उन्होंने लिखा है:

"It is certified that it was tested and it was found fit for human consumption."

हमारे पास इसकी डिटेल्स है, इससे किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं है। चीप ग्रेन शॉप हमारे यहां राजस्थान में खोली गई है। इसके अलावा राजस्थान में फूड ग्रेन लाइसेन्सिंग आॅर्डर १३ सितम्बर, १९५८ से एनफोर्स किया गया है। उसके अनुसार ५०० मन से ज्यादा कोई व्यापारी रखता है तो उसको लाइसेन्स लेना होता है और यह सारे राजस्थान में लाइसेन्स लेना पड़ता है और बहुत से लोगों ने लाइसेन्स लिए हैं। कई स्थानों पर जहां नहीं लिए हैं गल्ला पकड़ा गया और उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है। इसके अलावा एक कानून स्टॉक को सीज़ करने का भारत सरकार की मंजूरी से शाया किया गया है और उसके अंतर्गत भरतपुर, गंगानगर के कलक्टरों ने गल्ला सीज़ भी किया। गंगानगर कलक्टर ने ३२ हजार मन और भरतपुर कलक्टर ने १० हजार मन चना पकड़ा है और उसे बाजार भाव से बेचने की कोशिश की है।

गिरफ्तार करने के ये अधिकार अब तक राजस्थान सरकार को थे और कलक्टर्स को अब तक यह अधिकार नहीं दिए गए थे। अभी पहली तारीख को जब कि भारत सरकार के फूड मिनिस्टर भरतपुर में आये और उनसे इस बारे में विचार हुआ। कलक्टर्स को कह रखा था कि जहां कहीं भी ऐसी बात हो और कोई व्यापारी कीमत बढ़ाने की गर्ज से फूड ग्रेन का स्टॉक करता है तो उसके लिए सरकार को इत्तिला दी

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

जानी चाहिए और फिर सरकार उसको गिरफ्तार करेगी। लेकिन उसमें क्योंकि कुछ समय लग जाने का अन्देशा था कि कलक्टर सरकार को इत्तिला दे और फिर मन्डी में जाया जाये और व्यापारी को गिरफ्तार किया जाये तो ऐसी हालत में जब मेरी कलक्टर्स से बात हुई तो उनकी यह रिपोर्ट थी कि हमारे यहां मन्डियों में स्टॉक नहीं है और मैंने कलक्टरों से इस सम्बन्ध में बात की तो सब कलक्टर्स ने यह जाहिर किया कि व्यापारी लोग अपने गोडाउन्स में या दूकानों में माल नहीं रखते हैं बल्कि बाहर से सीधे सौदा करते हैं और ट्रकों के द्वारा माल को लदा कर रेलवे स्टेशन द्वारा उस माल को बाहर भेजा जाता है। इसलिए इस कानून के अन्तर्गत कलक्टरों के पास जैसी जानकारी थी उसके अनुसार हमने देखा कि इस बारे में ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो सकी। लेकिन इस कानून पर गवर्नमेंट से आज्ञा जारी होने में कुछ समय लग ही सकता है इसलिए हमने कहा कि यह अधिकार कलक्टर्स को दे देने चाहिए और मैं सदन की जानकारी के लिए कहूंगा कि अब सब कलक्टर्स को जौ, गेहूं और चने को सीज़ करने के अधिकार सीधे दे दिए गए हैं बिना सरकार के पूछे और इस संबंध में जो देर लगने की बात थी वह अब दूर हो गई है इस तरह से...

श्री पी० के० चौधरी : किस कन्डीशन में सीज़ करने का अधिकार दिया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो कानून में लिखा हुआ है। यदि कोई व्यापारी स्टॉक करता है इस ख्याल से कि जब कीमतें बढ़ जायेंगी, तब इस अनाज को बेचूंगा तो इस तरह के होर्डिंग करने पर कलक्टर्स को सीधे सीज़ करने की पॉवर्स दे दी गई है।

श्री अर्जुनदास: यह अधिकार कब दिए गए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ये अधिकार राजस्थान गवर्नमेंट को तो पहले से ही हैं, लेकिन अब ये अधिकार हमने कलक्टर्स को देने के लिए किया है।

श्री अर्जुनदास : किस तारीख से ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: अभी एक तारीख को भारत सरकार के जब फूड मिनिस्टर भरतपुर आये थे तो इसके बारे में उनसे बात हुई थी कि राजस्थान सरकार के पास जो इस तरह के सीज़ करने के अधिकार हैं उनमें डिले हो जाती है इसलिए ये पावर्स सीधे कलक्टर्स को ही दे दिये जायें। हालांकि ये कारण नहीं थे। कलक्टर्स को सीज़ करने के लिए कहा, वह इसलिए कहा कि क्योंकि मंडी में अनाज नहीं है और अगर कोई व्यापारी होर्डिंग करता है, इस गरज से कि कीमतें बढ़ जाने पर उस अनाज को बेचेगा तो कलक्टर ही जल्दी से उसको गिरफ्तार कर सकता है। इसलिए हमने कलक्टर्स को सीधे अधिकार दे दिये हैं कि अगर किसी ने होर्डिंग किया है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है और इसके लिए आज ही भारत सरकार से तार आया है।

एक माननीय सदस्य : कितने मन स्टॉक करने पर कलक्टर्स सीज़ करेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मन की बात नहीं है। अगर कोई आदमी इस ख्याल से कि कीमतें बढ़ जाने पर इस अनाज को बेचूंगा, अगर इस ख्याल से कोई होर्डिंग कर लेता है

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

तो उसको रोकने के लिए कलक्टर्स को पॉवर्स दे दी गई हैं कि ऐसे अनाज को वह पकड़ सकता है···

श्री होतीलाल : फिर यह इन्टेन्शन का कैसे मालूम होगा कि किसी ने होर्डिंग इसलिए किया है कि····

श्री अध्यक्ष : Order please! No cross-examination. It is a statement from the Hon. Minister, and if you want any factual information, you may have it later on...

श्री अर्जनदास : Unfortunately, Sir, the Hon. Minister does not tell the whole thing.

श्री अध्यक्ष : Please wait till he has finished.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: तो ये मैजर्स गवर्नमेन्ट की ओर से लिये गये हैं और इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गई उसके लिए अर्ज किया कि कीमतें रोकने के लिए राजस्थान को गेहूँ के लिहाज से बॉम्बे और मध्यप्रदेश के जोन में रखा हुआ है। मेरे ख्याल से सदस्यों को यह जानकारी है कि हमने भारत सरकार से कह अर्ज किया था कि हमें इस जोन में नहीं रखा जाय और राजस्थान से जो अनाज बाहर जा रहा है उसको रोका जाय। इस सम्बन्ध में भारत सरकार से कई बार बातें हुई और मैं सदन की जानकारी के लिए अर्ज करूंगा कि यह फैसला इस जोन में रखने का और एक्सपोर्ट को रोकने और नहीं रोकने की जो बात है यह भारत सरकार की कैबिनेट तय करती है, और सदन के सदस्यों को यह जानकारी होगी कि यू० पी०, जहां अनाज के मामले में काफी झगड़े हुए हैं, एजीटेशन हुए हैं इसके बावजूद भी यू० पी० को चना वगैरह जाने के लिए और उसको रोकने के लिए मांग की थी, उसको भारत सरकार ने मना कर दिया और पिछली बार जब खाद्य मन्त्री भरतपुर आये थे तो उनसे मैंने दुबारा कहा तो उन्होंने कहा कि हमने सारे हिन्दुस्तान की परिस्थिति को देखते हुए ऐसा किया है। यू० पी० में जहां कि अनाज की बहुत कमी थी और वहां पर भी जो चने और मटर बाहर जाने की रोक थी उसको नहीं माना है क्योंकि सारे हिन्दुस्तान की इस तरह की परिस्थिति है उसके मुताबिक हम काम करते हैं। इसके साथ में यह भी बात थी कि मैंने बहुत से सरकारी अधिकारियों से बात की कि क्या हम भारत सरकार से यह कह सकते हैं कि हम आपका अनाज नहीं चाहते और आप हमारा अनाज मत ले जाइये। तो अध्यक्ष महोदय, मैं अदब से अर्ज करूंगा कि इस बात के लिए जिनसे भी मैंने इस बात के लिए सलाह ली वह इसके लिए तैयार नहीं थे कि हम यह कह दें कि आप हमारा अनाज मत ले जाइये और न हम आपसे अनाज लेंगे। क्योंकि आज राजस्थान से हम बाहर अनाज दे रहे हैं और कुछ समय बाद ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि जैसे यू० पी०, बिहार और बॉम्बे में आज है। इस तरह की परिस्थिति राजस्थान में आ सकती है जब कि हमारे यहां डेफिसिट हो जाये और उस समय अगर हम भारत सरकार से कहें कि हमें अनाज दो तो ऐसी सूरत में जब कि हम सरप्लस हैं उस समय तो उनको अनाज नहीं दें और जब डेफिसिट हो जायें तो उनसे अनाज मांगें। तो यह बात, सारे हिन्दुस्तान के हम भी एक अंग होने के नाते और जैसी हमारी समस्या है इन बातों को देखते हुए उचित

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

नहीं थी कि राजस्थान में आज जब कि अनाज सरप्लस है तो इसके लिए हम उनको मना करें कि हमारे यहां से अनाज बाहर जाने पर रोक लगा दी जाय और हम कोई सामान बाहर नहीं भेजेंगे। मैं समझता हूँ कि भारत सरकार इसके लिए तैयार हो जायगी शायद, लेकिन हम इस बात के लिए तैयार नहीं हैं, और दूसरे इस कारण से भी कि आज राजस्थान सारे हिन्दुस्तान का एक हिस्सा है और भारत के दूसरे हिस्सों में राजस्थान के चारों ओर सिर्फ पंजाब को छोड़कर सभी प्रान्तों में बंगाल, बिहार, यू० पी० मध्य-प्रदेश और बॉम्बे में इस प्रकार की स्थिति है कि वहां आज खाद्य की आवश्यकता है और इसलिए ही हमें उस जोन में मिला दिया है। अगर हमारे यहां से बाहर माल जाता है और हमारे यहां भी अनाज मिलना चाहिए और उसकी कमी नहीं होनी चाहिए, इसके तो हम हकदार हैं ही, लेकिन कीमतें थोड़ी ज्यादा भी हो जायें तो इसके लिए शिकायत नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम सारे हिन्दुस्तान के एक हिस्से हैं। हम यहां जितना भी इम्पोर्ट करते हैं, लोहा मंगाते हैं, चावल मंगाते हैं और उसके बदले में हम कुछ देते हैं तो यह हमारा फर्ज होता है और अगर दूसरी जगह परेशानी हो रही है और वहां खाने के लिए नहीं मिलता है तो यह हमारा फर्ज ही नहीं बल्कि इन्सानियत का धर्म हो जाता है कि हम उनकी मदद करें जिनके पास खाने के लिए नहीं है। लेकिन मैं यह बात जरूर मानता हूँ कि हमें खाने के लिए अनाज पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए और उसकी कमी भी नहीं है। राजस्थान में अनाज की कमी नहीं है और कोई शिकायत करे कि अनाज की वजह से कोई राजस्थान में भूखों मर गया, यह वाजिब नहीं है। ऐसी शिकायत हमारे सामने नहीं है और न आने वाली है।

राजस्थान से सन् ५५-५६ में ५६ लाख मन अनाज बाहर गया और १६५६-५७ में २३ लाख मन बाहर गया और इस साल के फिगर्स हैं उसकी तालिका मैंने सदन के सामने रखी है, वह २० लाख मन के करीब हमारे यहां से बाहर गया है और जो अनाज हमारे यहां भारत सरकार के यहां से आया है वह २८ हजार टन अब तक हमारे यहां आ चुका है और उसकी व्यवस्था हमने बांटने की की है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This export is outside the zone or inside the zone ? यह अनाज इस जोन का ही है ?

श्री अर्जुनदास : Always inside.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : टोटल है। ऐसा है कि गेहूं का जो है वह तो इस जोन में ही है और गेहूँ के अलावा मैंने टोटल बताया। गेहूँ के बाहर जो कोर्स ग्रेन है, जैसे चना है, जौ है, यह तो सारे हिन्दुस्तान में जा सकते हैं उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। मैंने तो सारा टोटल बताया :

सन् १६५५–५६ में	५६ लाख मन
सन् १६५६–५७ में	१३ लाख मन
बाइ रेल और रोड	२० लाख मन।

अब तक हमारे पास २८ हजार टन गेहूं आया है। अनाज के भावों में असाधारण वृद्धि हुई उसके कारण क्या थे ? उसके बारे जो हमारे सामने परिस्थितियां थीं उनको मैंने सदन के सामने रख दिया। भविष्य की बात मैं नहीं कह सकता किन्तु मेरा ऐसा

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

कयास है एक महीने के भीतर भीतर प्राइसेज़ स्टेबिलाइज़ हो जायेंगी। खरीफ की पैदावार मार्केट में आने लग गई है। बहुत से इलाकों में अभी तक खरीफ की फसल कटी भी नहीं है कोटा डिविजन में अभी तक खरीफ की फसल ज्वार की कटी नहीं है। वह भी एक महीने में कट जायगी। इसलिए जो भावों में असाधारण रूप से वृद्धि हुई है वह एक महिने से ज्यादा चलने वाली नहीं है। यह वृद्धि खत्म होकर नार्मल प्राइसेज एक महीने के अन्दर-अन्दर हो जायेंगी, ऐसी आशा है।

खाद्य समस्या सारे राष्ट्र की समस्या है इसलिए भारत सरकार ने भी सब पार्टियों से यह अनुरोध किया है कि इसमें सब लोग मिल-जुल कर इसको हल करने की कोशिश करें. इसीलिये हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने भी इस ओर कदम उठाया था कुछ अन्य परिस्थितियों के कारण वे इस ओर प्रगति नहीं कर सके। लेकिन हमें इस समस्या को राष्ट्रीय समस्या के रूप में देखना चाहिये और हम सब मिल-जुलकर इस समस्या को हल करने की कोशिश करें. इसीमें हमारे प्रान्त और हमारे राष्ट्र का भला है। मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य इसी दृष्टि से इस समस्या को देखेंगे, और इस बात को एप्रीशियेट करेंगे कि राज्य सरकार ने जो कुछ किया चूंकि वे भी भारत के नागरिक हैं। जो समस्या सारे देश के सामने है जहां दूसरे भागों ने दूसरी डिफिकल्टीज़ में शेयर किया वहां खुद पर मुसीबत आयी है, तो उसके लिए हमें गिला नहीं होनी चाहिये, यह मेरा सदस्यों से निवेदन है और यह समस्या एक महीने बाद नहीं रहेगी।

श्री रघुवीरसिंह (जावली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो एक बड़े आश्चर्य का विषय है कि एक ओर तो हमारे माननीय मंत्री महोदय खाद्य समस्या को एक बड़ी राष्ट्रीय समस्या बतलाते हैं और बहुत गंभीर समस्या बतलाते हैं, लेकिन साथ ही साथ जिस प्रकार राज्य सरकार इस समस्या पर विचार कर रही है और जो कुछ राज्य सरकार ने दावा किया उससे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने इस समस्या के प्रति हमेशा अवहेलनात्मक नीति बरती है। यह बड़ा आश्चर्य का विषय है कि आज जब कि गेहूँ का भाव २६) रुपये मन है, लोग गेहूं के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, उस समय आप यह कहते हैं तो 'जिस वक्त गांव में आग लगे कुआ खोदने की बातें करें' यह मिसाल लागू होती है। जहां गेहूं के लिए त्राहि-त्राहि मचे उस समय खाद्य समस्या पर विचार करने बैठे हैं। इससे तो यह प्रतीत होता कि राजस्थान सरकार इस विषय को उतना महत्व नहीं देती है जितना कि उसे देना चाहिए। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि यह खाद्य विभाग जिन मन्त्री महोदय के अधीन है उनको बदकिस्मती से कहिए या खुशकिस्मती से, भूख बहुत कम लगती है, वे अनुभव नहीं कर सकते कि भूखा पेट क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। इसलिए मेरा निवेदन करना यह है कि इस विभाग को उन मन्त्री महोदय के हाथ में सौंपा जाय जिनकी जठराग्नि बहुत बढ़ी हुई हो ताकि वे अनुभव कर सकें कि भूखा आदमी कैसा होता है और भूखे को क्या दुःख होता है ......

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं तो आपके लिए बचाता हूँ।

श्री रघुवीरसिंह : जहां, अध्यक्ष महोदय, एक रुपये का अन्न महीने भर पर्याप्त

(श्री रघुवीरसिंह)

. . . . . .

हो उस कुटुम्ब को क्या पता कि भूखा परिवार क्या होता है.......

श्री मोहरसिंह : जठराग्नि प्राकृतिक इलाज के द्वारा वे बढ़ा चुके हैं।

एक माननीय सदस्य : वे तो पक्के महाजन हैं।

श्री रघुवीरसिंह : (जारी) मैं यह निवेदन कर रहा था कि केवल आज ही यह समस्या पैदा हुई हो, यह नहीं कहा जा सकता। आज से पांच, छः महीने पहले १५ रु., १६रु० रु० मन का भाव था, उसे भी हम कोई अच्छा समय नहीं समझते। साथ–साथ मैं यह भी नहीं समझ सका कि केवल गेहूं ही हमारे यहां खाद्य वस्तु है। मुझे यह सुनकर दुःख होता है कि भारतवर्ष में जब खाद्य समस्या का जिक्र आता है तो वहां बहुत सी चीजों का नाम आता है जिसमें बटर, दूध, मांस, मछली आदि सब का समावेश होता है, किन्तु हमारे राजस्थान में जब खाद्य की समस्या का जिक्र आता है तो केवल दो ही अनाज सामने आते है गेहूं और बाजरा। अब आप ही बतलाइये जहाँ ये ही चीजें खाने को मिलती हो वहां के भावी नवयुवक कैसे हांगे वे कैसे हृष्ट-पुष्ट होंगे, उनसे किस प्रकार राष्ट्र की सेवा बनेगी ? यह एक विचारणीय विषय है।

. . . .

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि राजस्थान सरकार की जो खाद्य के सम्बन्ध में अवहेलनात्मक नीति है वह बड़े दुःख का विषय है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को कोई बड़ा क्रियात्मक कदम उठाना चाहिये जिससे न केवल गेहूं और जौ के भाव ही ठीक हों, बल्कि अन्य वस्तुओं के भी भाव गिरें। लगभग छः महीने से मैं देखता आ रहा हूं कि जयपुर में घी का भाव छः रुपये से कम नहीं हुआ। दूध है वह १२ आना, १४ आना सेर से कम नहीं हुआ और वह भी आधा पानी मिला हुआ। इन सब बातों को देखते हुए यह कैसे कहा जा सकता है कि खाद्य की स्थिति संतोषजनक है ? केवल यह कह देना कि १२ रु० मन भाव हो जाने से यह स्थिति संतोषजनक हो जायगी, कदापि ठीक नहीं है। इसके लिए राज्य सरकार को अविलम्ब खाद्य समस्या के प्रति जागरूक हो जाना चाहिये।

खाद्य मन्त्री महोदय फर्माते हैं कि खाद्य की समस्या इसलिए खराब हो गई कि रबी की पैदावार पूरी नहीं हुई। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में हमें बड़ी आशा दिलायी थी, और उस भाषण में केवल यही एक विषय आशाजनक था। उसमें कहा गया था कि इस साल में एक लाख प.च हजार टन गेहूँ अधिक उत्पन्न होगा। हमें आशा तो यह लगी हुई थी कि अब हमारा टार्गेट पूरा हो चुका है, इसलिए हमारे भाव भी स्टेबिलाइज होंगे। गल्ले का भाव गिरेगा और जनता को राहत मिल सकेगी। लेकिन हुआ इसके विपरीत। दो–तीन महीने के बाद भाव बढ़ने शुरू हो गये और बढ़ते-बढ़ते आज गेहूँ का भाव २६ रुपये मन हो गया है। इस पर यह कहना कि सरकार जागरूक है, कदम उठा रही है, बिल्कुल गलत है। हमने सस्ते अनाज की दुकानें खोल दी हैं, लेकिन कोई खरीदने नहीं जाता। कौन जाय क्योंकि एक तो वहां पर क्यू में लगना पड़ता है उसके बाद भी अनाज केवल दो रुपये का हाथ आता है। एक मजदूर जो रोजाना दो रुपया कमाता है, वह यदि अनाज लेने के लिए चला जाय तो उसकी मजदूरी तो दूर रही, सारा दिन दो

((श्री रघुवीरसिंह)

रुपये के अनाज के लिए व्यतीत हो जायगा। इस तरह से वह अनाज केवल डेढ़ रुपया सेर पड़ता है। इसलिए वह सोचता है कि सारे दिन को व्यतीत करे और आगे जाकर दो रुपये का अनाज मिले इससे अच्छा तो यह है कि खुले बाजार में जिस किसी भाव भी मिल जाय खरीद कर काम चलाया जाय, यही कारण है कि ग्रेन शॉप पर गेहूं बिकने की व्यवस्था नहीं है। इस कारण से यह कहना कि खरीदने वाले नहीं आते, यह ठीक नहीं है। उनका सारा दिन नष्ट हो जाता है, मजदूरी मारी जाती है, इस कारण वे यह अधिक व्यावहारिक और इकॉनोमिक समझते हैं कि बाजार से कुछ महंगा ही खरीद लिया जाय।

१'१ म० प०

अब प्रश्न आता है, गलती कहां है ? एक शोर मचाया जाता है कि लैंड लैस टिनेन्ट को जमीन दी जावे। अलवर की स्थिति बताऊं। वहां लाखों बीघा जमीन अलॉट हुई पंजाब, सिंध इत्यादि से आये हुए रिफ्यूजी को और इस अलॉटमेंट में १० एकड़ भूमि फी फेमिली दी गई। आज से पहले इसी जयपुर-दिल्ली रोड़ पर अलवर के इलाके में सड़क के दोनों किनारे हरे भरे खेतों की कतारें की कतारें नजर आती थीं। पर आज वे नज्जारे और वे कतारें विलीन हो गईं, उनकी जगह बंजर जमीन नजर आती है। अब इसका कारण क्या है ? मैं बताऊं। इसका कारण है अनइकॉनोमिक होल्डिंग। आपने दस एकड़ जमीन प्रति परिवार को दी। अब होता क्या है कि इससे उनकी फेमिली का गुजारा नहीं होता। वे उसके लिए कुए में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इम्प्रूवमेंट के साधन नहीं जुटा सकते, बैल जोड़ी नहीं रख सकते क्योंकि जितना खर्च वे करेंगे, उतना रिटर्न उससे उनको नहीं मिल पाता। तो ऐसी स्थिति में वे करते क्या हैं कि बोने और कटाई के वक्त वे वहां जाते हैं। बरसात हुई और फसल हो गई तो ठीक, न हुई तो ठीक। आज यह स्थिति पैदा हो गई है कि पहले जितनी पैदावार वहां होती थी उससे घट कर वह आज करीब करीब १। १० रह गई है।

तो यह जो लैंड लैस टिनेन्ट को जमीन देने का प्रश्न है वह लगने को तो अच्छा लगता है, पर मैं निवेदन करूंगा कि जमीन फिर उनको इतनी दी जावे कि यह इकॉनोमिक होल्डिंग बने। वहां उसकी दिलचस्पी पैदा हो सके, और उसको लेकर अपने परिवार का वह भरण-पोषण कर सके; उसमें पैसा लगा सके, इन्वेस्टमेन्ट कर सके, डेवलप कर सके, उसके कुआ भी बना सके, बैल भी रख सके। तो निवेदन यह करना है कि इस तरह की जो लैण्ड की पॉलिसी सरकार की है उसको वह अविलम्ब बदले। सीलिंग की जो आवाज लगाई जा रही है उसको पहले फ्लोरिंग की बात सोचनी चाहिये। जब तक हमारी होल्डिंग इकॉनोमिक नहीं होगी भर पेट रोटी नहीं मिलेगी, बैलों के लिए पूरा चारा-घास आदि उसमें पर्याप्त मात्रा में नहीं पैदा होगा, उस वक्त तक कोई अपनी पूरी शक्ति उस जमीन पर नहीं लगावेगा और उसका परिणाम यह होगा कि पैदावार नहीं बढ़ सकेगी। न वह कैपिटल लगा सकेगा, न मेहनत दे सकेगा न शारीरिक बल लगेगा, न रुपया लगेगा। वैसी हालत में पूरी पैदावार नहीं हो सकती। इसका परिणाम आज आपके और हमारे सामने है कि जो लाखों बीघा जमीन लाखों मन गल्ला पहले देती थी आज करीब बंजर सी पड़ी है। इसको इकॉनोमिक होल्डिंग नहीं बनाने का यह परिणाम है। आपका आंकड़ा

Page No.46

(श्री रघुवीरसिंह)

आज गलत साबित हो रहा है । आपने अन्दाज लगा लिया कि इतनी जमीन अधिक बांट दी तो इतना अन्न पैदा होना चाहिये । यह बांटने का काम तो कर दिया पर कभी आपने या आपके इन आंकड़े तैयार करने वाले सरकारी कर्मचारियों ने यह भी सोचा कि वास्तव में इसका परिणाम क्या निकला ? यह भी देखा किसी ने ? ये फीगर्स उनके धोखा-देही के फीगर्स हैं । इसका नतीजा आपके सामने है । राज्यपाल के भाषण में हमने देखा कि लाखों-हजारों टन अन्न विशेष पैदा होगा, पर तीन महीने में ही पता लग गया कि हमारे पास अनाज नहीं है । हमारे ये फीगर्स धोखा मात्र हैं ।

आपको अपनी लैण्ड अलॉटमेन्ट की पोलिसी आमूलचूल परिवर्तित करनी होगी । सीलिंग के पहले फ्लोरिंग लेना होगा । इकॉनोमिक होल्डिंग का आप को पूरा-पूरा ध्यान रखना होगा । अगर यह नहीं हुआ और आप इसी तरह से पांच-पांच, सात-सात बीघे के टुकड़े बांटते गये तो यह सारी जमीन बर्बाद हो जावेगी । कोई कैपिटल वहां नहीं आकर्षित होगी, न मेहनत कोई उस पर करेगा, सिवाय बरसात के । बरसात हो गई तो पैदावार करली नहीं तो खैर-सल्ला । बरसात की दया पर निर्भर रह जावेगी यह सारी जमीन । एक तरफ वस्तुस्थिति तो यह होगी और दूसरी ओर हम अपने आंकड़े लिये बैठे रहेंगे कि इतनी जमीन-अलॉट कर दी तो इतना अन्न पैदा होना चाहिये पर वहां जाकर वस्तुस्थिति देखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा । इसलिये निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में जितनी जल्दी क्रियात्मक कदम आप उठा सकें, उतना ही अच्छा है ।

इसके साथ इर्रिगेशन के बारे में भी निवेदन कर दूं । खेती का सम्बन्ध इर्रिगेशन से भी अधिक है । आज इस इर्रिगेशन की हालत यह होती जा रही है कि यह दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है । बैलों की कीमतें बढ़ रही हैं; खाद की कीमतें बढ़ रही हैं और औजारों की कीमतें बढ़ रही हैं ।

१-६ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अब कहा जा सकता है कि पहले सैकड़ों बीघा खेती कुओं की सिंचाई से होती थी, वहां अब बारानी खेती होनी शुरू हो गई है, क्योंकि वैल इर्रिगेशन इकॉनोमिक नहीं रह गया है । जितना खर्चा होता है उतना रिटर्न नहीं मिलता इसमें । इसलिये आज बारानी काश्त पर अधिक जोर दिया जा रहा है पर इससे पैदावार को नुकसान होता है । चाही काश्त नष्ट हो रही है अनइकॉनोमिक होने की वजह से । इसलिये सरकार को दूसरा कदम यह उठाना चाहिये कि उनकी अर्थ-व्यवस्था को कुछ ठीक करें, कुए खोदने के लिये उनको पैसा दिया जावे, उनको सस्ते साधन उपलब्ध करावें और कुछ इस तरह की मदद उनकी की जावे कि वह चाही खेती इकॉनोमिक बन सके । इसके अलावा सरकार बिजली का प्रबन्ध कर सकती है । इससे इर्रिगेशन में काफी सुविधाएं बढ़ जावेंगी । इन साधनों के बिना खाद्य समस्या सुलझने वाली नहीं है ।

साथ ही निवेदन करूंगा कि हमारा प्लान अन्न पर ही पूरी तरह से केन्द्रित नहीं रहना चाहिये । इससे राष्ट्र का भला नहीं है । मैं मानता हूँ कि अन्न ही हमारे भोजन का प्रधान अंग है, इसमें सन्देह नहीं । लेकिन इससे ही हमारी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो

(श्री रघुबीरसिंह)

जावेंगी, ऐसा नहीं माना जा सकता। एक गरीब के लिये यह ठीक है कि अगर उसको बाजरा ही भर पेट मिल गया तो गुजारा हो गया। लेकिन यह वास्तव में प्रगतिशील राष्ट्र के लक्षण नहीं हैं। मैं निवेदन करूंगा कि अन्य खाद्य सामग्री पर भी ध्यान देना चाहिये, इसकी वृद्धि के साधन करने चाहिये और इसके साथ ही इन सब पर कोरी कागजी कार्यवाही ही होकर न रह जावे, बल्कि क्रियात्मक रूप से ठोस कदम भी उठाये जाने चाहिये।

इसके साथ ही हमारे मंत्री महोदय ने जो इस समस्या के हल करने में अन्य पार्टियों के सहयोग का आह्वान किया है उन सब का सहयोग भी सरकार को लेना चाहिए और उनको देना चाहिये और उस सहयोग के लिए उचित मार्ग तैयार करें, क्योंकि मैं यह देखता हूं कि जितने भी यहां यह प्लानिंग हैं उस प्लानिंग का सबका आधार केवल एक ही मानकर चलते हैं। पार्टी पोलिटिक्स चलती है, वह है कि किसी तरह से वोट सिक्योर करें। छोटे फ्रेगमेंट्स में जमीन क्यों अलॉट की जाती है? इसलिए कि अधिक आदमियों को जमीन मिल जाये, चाहे उनका गुजारा हो या न हो, लेकिन कम से कम उन पर ओब्लीगेशन किया जाए और वे वोट देने के लिए तैयार हो जायं। इसी तरह से जितनी प्लानिंग की स्कीमें चलती हैं वे वहां होती हैं जहां अमुक किसी मेम्बर की कॉन्स्टीट्यूएन्सी है। उस कॉन्स्टीट्यूएन्सी में उसकी आवश्यकता हो या नहीं, लेकिन उसमें अधिक खर्चा किया जायगा, क्योंकि वह प्रधान सदस्य की कॉन्स्टीट्यूएन्सी है और उसको देखना है, और अधिक खर्चा करना होगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो तो उनको वोट का किसी प्रकार से घाटा पड़ जाय। तो मैं निवेदन करूंगा कि यदि वह सारी सरकार की वोट केचिंग की डिवाइसेज़ हों तब मैं निवेदन करता हूं कि किसी पार्टी का सहयोग मिलना असम्भव है। लेकिन वास्तव में इसको राष्ट्रीय समस्या मानकर सरकार चलती है, तो मैं निवेदन करूंगा कि इसमें संदेह नहीं कि कोई भी राष्ट्र का अंग है उसका यह धर्म हो जाता है कि हर प्रकार से इस समस्या को सुलझाने में सरकार का हाथ बंटावे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में खाद्यान्नों के बढ़ते हुए भावों के परिणामस्वरूप जो असंतोष का निर्माण हुआ और जिसके कारण माननीय खाद्यमंत्री महोदय ने आज अपना वक्तव्य इस सदन में दिया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उन्होंने जो तथ्य सदन के माननीय सदस्यों के सामने रखे हैं वे कुछ तोड़-मरोड़ कर रखते हैं। उन्होंने यह तो माना कि राजस्थान में खाद्यान्नों के भावों में बढ़ोतरी हुई, लेकिन जो कीमतें उन्होंने सदन में माननीय सदस्यों के सामने रखीं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वे कीमतें सही नहीं हैं। राजस्थान में रबी की फसल के बाद ही अनाज के भावों में बढ़ोतरी होती गई। राजस्थान सरकार ने और माननीय खाद्य मंत्री महोदय ने बढ़ोतरी के कारण बढ़ते हुए असंतोष को दबाने के लिए शायद यह कह कर कोशिश की राजस्थान सरकार ने राजस्थान के अन्दर स्थान स्थान पर सस्ते अनाज की दुकानें खोली हैं। राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर सुलझाने के लिए सदन के सदस्यों और विरोधी दल के नेताओं

Page No.48

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

को बुलाकर विचार-विमर्श किया है, रबी का अभियान चालू किया है, अच्छे बीज लोगों को दिए है, और इस समस्या का समाधान करने की दृष्टि से राजस्थान सरकार ने फूड ग्रेन्स ऑर्डर्स जारी किए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक चीप ग्रेन शॉप का सवाल है राजस्थान के अन्दर उनकी संख्या बहुत कम है। राजस्थान के प्रत्येक जिला स्थान पर सस्ते अनाज की दुकानें नहीं हैं। माननीय मंत्री महोदय यह कह सकते हैं कि आज जयपुर के अन्दर ११३ दुकानें खोल दी हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर के अन्दर जो चीप ग्रेन शॉप खोलने के बाद ३० अप्रेल को गेहूं का भाव १३ रु० मन था १० सितम्बर को उसका भाव १६ रु० मन था। २३ सितम्बर को गेहूं का भाव २० रु० मन था। ४ नवम्बर को २४ रु० मन गेहूं का भाव था और ५ नवम्बर को तो वह २६, २७ और २८ रु० मन तक जयपुर में बिक गया। चीप ग्रेन शॉप राजस्थान सरकार की तरफ से इतनी कम मात्रा में खोली गई हैं जितनी मात्रा में खोलने की जरूरत है। शायद माननीय मन्त्री महोदय ने यह कह कर कि जो खराब गेहूं मिलता है जिसके बारे में जनता शिकायत करती है वह केवल अफवाह है। उस गेहूं को एनेलिस्ट से एग्ज़ामिन करवाया है। उन्होंने शायद एक रुपए का गेहूं कलेक्टर की मार्फत मंगवाकर घर पर पिसवा कर खाया है और उससे अगर वे इस नतीजे पर पहुंचे हों कि वहां पर गेहूं अच्छा मिलता है तो माननीय मंत्री महोदय को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कि यदि उन्होंने खाद्यान्नों की दूकानों पर जाकर देखा होता, वहां स्टोरों पर जो गेहूं है उसका उठा कर देखा होता, मोहल्लों में जाकर लोगों की शिकायतों को सुना होता, लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर की एडवाइज़री कमेटी का मैं भी मेम्बर हूं और मैंने जयपुर के कलक्टर महोदय के सामने उस गेहूं का नमूना पेश किया था जिसमें मिट्टी थी, जिसमें जानवर थे और जिसमें छोटे छोटे जानवर थे और जिसमें छोटे-छोटे बिलबिलाते कीड़े थे, तो उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट की उसको खाने के प्रति। यह हो सकता है कि कुछ स्टॉक ऐसा पड़ा हो, कुछ बोरियां इस प्रकार की हों। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह तो नहीं कहता कि सारे का सारा गेहूं जो माननीय मंत्रीजी ने खाया होगा, वह होगा। दुकानदार ने यह देखा होगा कि माननीय मंत्रीजी गेहूं खरीदने जा रहे है तो अच्छे से अच्छा गेहूं उनको दे दिया होगा। लेकिन एक रुपए का गेहूं खरीदने के बाद उसको खाने के कारण उनको बीमारी नहीं हुई उससे अगर यह नतीजा निकालते हैं कि चीप ग्रेन शॉप में जो गेहूँ मिलता है वह अच्छी क्वालिटी का मिलता है, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहूँगा कि चीप ग्रेन शॉप की बातें करते हैं और माननीय मंत्री महोदय यह कहते हैं कि गेहूँ चीप ग्रेन शॉप्स में खूब पड़ा हुआ हैं लोग खरीदने को नहीं आते हैं तो फिर इसका क्या कारण है कि भाव बढ़ते जा रहे रहे हैं? जब कि चीप ग्रेन शॉप में १४ रु० मन मिलता है तो दूसरे गेहूं का भाव २८) रु० मन क्यों हो रहा है? वे कहते हैं कि गेहूं अच्छी क्वालिटी का है तो फिर गजट में राजस्थान की सरकार ने गेहूं के भावों को

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
रोकने के लिए खाद्यान्न में बढ़ती हुई मंहगाई को रोकने के लिए, राजस्थान सरकार ने फूड ग्रेन्स ऑर्डर्स जारी क्यों किये हैं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिन फूड ग्रेन्स ऑर्डर्स का हवाला माननीय मन्त्री महोदय ने दिया है, जिस आशा के साथ, जिस विश्वास के साथ, जिन धारणाओं के साथ, जिन आशाओं के साथ फूड ग्रेन्स ऑर्डर जारी किया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि सारे फूड ग्रेन्स ऑर्डर्स केवल लोगों का मूंह बंद करने के लिए, प्रेस में छपाने के लिए, प्रचार करने के लिए कि राजस्थान सरकार चुप नहीं बैठी है, बढ़ते हुए अनाज के भावों को रोकने के लिए अग्रसर है, केवल इसी उद्देश्य से फूड ग्रेन्स ऑर्डर्स जारी किए हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान की सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया ४ सितम्बर, १६५८ को, राजस्थान फूड ग्रेन्स डीलर्स लाईसेंसिंग ऑर्डर। उस ऑर्डर में यह व्यवस्था की है कि ५०० मन से ऊपर राजस्थान में जो व्यापारी गल्ला रखेंगे उनको लाइसेंस लेना होगा। माननीय उपाध्यक्ष, यह व्यवस्था कर दी गई और एक ऑर्डर जारी कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ! ४ सितम्बर, १६५८ को राजस्थान सरकार ने एक आर्डर जारी किया उसके साथ ही दूसरा ऑर्डर ६ सितम्बर, १६५८ को राजस्थान व्हीट रिक्वीजिशन ऑफ स्टाक ऑर्डर, १६५८ जारी कर दिया। जिसमें अधिकार दिये गये कलेक्टर महोदय को कि जिन व्यापारियों के पास गल्ले के लाइसेंस होंगे, उन व्यापारियों से कलेक्टर महोदय यदि चाहें तो सारे का सारा व्हीट रिक्विजिट कर सकते हैं, और उनको तीन महीने के पिछले भावों का एवरेज निकाल कर बाजार में बिकवाया जा सकेगा। यह ऑर्डर राजस्थान सरकार ने ४ सितम्बर को निकाला, माननीय उपाध्यक्ष और उसी दिन से लागू कर दिया गया। राजस्थान की सरकार की यह मन्शा थी कि ४ सितम्बर से यह आर्डर फोर्स में आना चाहिए। राजस्थान रिक्विजिशन व्हीट ऑर्डर लागू कर दिया गया और उसका गजट में नोटिफिकेशन हुआ, और राजस्थान व्हीट रिक्विजीशन ऑफ स्टॉक ऑर्डर फोर्स में आ गया। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान सरकार ने ६ सितम्बर को दूसरा आर्डर निकाला, और ६ सितम्बर के ऑर्डर में यह बताया गया कि राजस्थान सरकार ने ४ सितम्बर, १६५८ को जो ऑर्डर्स जारी किये हैं वे २३ सितम्बर से फोर्स में आये। जो ऑर्डर्स ४ सितम्बर से फोर्स में आ गये और उसके बाद आप ६ सितम्बर को यह ऑर्डर देते हैं कि वे २३ सितम्बर से फोर्स में आयेंगे। इसके बाद १५ तारीख को फिर राजस्थान सरकार एक तीसरा ऑर्डर निकालती है, राजस्थान व्हीट सेल एण्ड स्टॉक ऑर्डर, १६५८ यह १५ सितम्बर को निकाला है और इससे जो राजस्थान व्हीट रिक्वीजेशन ऑर्डर जो ४ सितम्बर को जारी किया गया था उसको सुपर्सीड करके समाप्त कर दिया और यह नया ऑर्डर फोर्स में आया। इस बीच में राजस्थान सरकार ने लाइसेन्स के लिए जो तीसरा ऑर्डर निकाला था, ४ सितम्बर को, उसके मुताबिक ५०० मन से ऊपर गल्ला रखने वाले व्यापारियों के लिये लाइसेन्स लेना जरूरी था, और हरेक कलेक्टर को आदेश था कि राजस्थान व्हीट रिक्वीजेशन ऑर्डर जो पहले जारी हुआ था उसके अन्तर्गत यदि कलेक्टर महोदय चाहें तो जितना गल्ला ज्यादा होगा उसको जब्त करके बाजार भाव पर बिकवा सकेंगे। मैं नहीं समझ सका कि इन

Page No.50

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सारे ऑर्डर्स के पीछे कौन सी साजिश काम कर रही है। जो ऑर्डर ४ सितम्बर को जारी किया था। उसके अनुसार लाइसेंस लेना जरूरी था। गजट में नोटिफाइ होने के बाद उस आर्डर को लागू किया जाना था, लेकिन उसके लिये जो दूसरा ऑर्डर निकलता है २३ सितम्बर को वह ३० सितम्बर से लागू होता है। ऑर्डर के ऊपर दूसरा ऑर्डर निकलता है। पहले ऑर्डर के अनुसार काम शुरू नहीं होता है उससे पहले ही दूसरा ऑर्डर आ जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के सामने और मुख्य मंत्रीजी के सामने जब विधान सभा के विरोधी सदस्यों और कार्यकर्त्ताओं को बुलाया गया था तब उनके पास जाने वालों में से मैं भी था। वे हमेशा जिस सद्भावनापूर्ण वातावरण में बात करते हैं उसी तरह से उनसे बात-चीत की गई और जब उनसे यह कहा गया कि बढ़ते हुए भावों का एकमात्र कारण राजस्थान से गेहूं की निकासी है तो उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहा कि निकासी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि यह भारत सरकार के अधिकार की बात है। जो जोन्स बनाए गए हैं उनमें तो गेहूं जायेंगे। तब हमने एक दूसरा सुझाव उनके सामने रखा कि राजस्थान सरकार यह बात कहती है तो क्या मुख्य मंत्रीजी और खाद्य मंत्री व्यवस्था करना नहीं चाहते हैं और क्या उनके लिए लाजमी नहीं है कि बढ़ते हुए भावों को रोकने का प्रयत्न करें और उन्होंने जो व्हीट कंट्रोल एण्ड लाइसेन्स का ऑर्डर निकाला था उसके अनुसार ५०० मन से ज्यादा अनाज जिसके पास होगा उसको लाइसेन्स लेना होगा और जिसके पास लाइसेंस नहीं होगा उसके माल को जब्त करके बाजार भाव से कलेक्टर बिकवा सकते हैं, क्या यह तरीका काम में नहीं लाया जा सकता है ? लेकिन आप जो ऑर्डर निकालते हैं उसमें लेकुना छोड़ देते हैं और डिफेक्ट रह जाता है। लाइसेन्स के लिए ऑर्डर निकाला उसको नोटिफाइ नहीं किया कि किसके पास से लाइसेन्स लिया जाय। बाद में जब ध्यान में आया तो तहसीलदार को पॉवर्स दिए गए और उसकी मियाद ३० तारीख तक रखी और फिर आगे अमेन्ड करते चले गए।

राजस्थान को ज़ोन के साथ में जोड़ने की बात की जाती है, राजस्थान को बम्बई और मध्यप्रदेश के साथ मिलाया जाता है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या फूड कंट्रोल ऑर्डर के द्वारा राजस्थान के अन्दर कोई आवश्यक कदम उठाये नहीं जा सकते थे ? ५०० मन से अधिक जिसके पास स्टॉक था उसको जब्त करके बाजार भाव से क्या बिकवाया नहीं जा सकता था ? परसों जब मंत्रीजी से मेरी बात हुई तो वे कहने लगे कि हमने कलेक्टर्स की मीटिंग बुलाई थी वे कहते हैं कि हमारे यहां अनाज का स्टॉक किसी के पास नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या जयपुर की मंडी में अनाज नहीं है ? क्या भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, सीकर और झुन्झुनू की की मंडियों में गेहूँ नहीं है ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक तरफ हम यह कहते हैं कि राजस्थान सरप्लस एरिया है यहां पर खाद्य की कमी नहीं है और अनाज की कमी नहीं है और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि हमारे यहां मंडियों में अनाज नहीं है। मंत्रीजी मुझ से कहने लगे कि आप ही बताइये कहां पर अनाज का स्टॉक है या किसके पास गल्ले के कोठे भरे हुए हैं। मैंने उनसे यह निवेदन किया कि आप यह

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मालूम कर सकते हैं कि सतीशचन्द्र किस समय टट्टी जाते है, सी० आई० डी० मेरे पीछे लगे रहते हैं, वे इस बात का पता रखते हैं कि मैं कहां जाता हूँ और किससे बात करता हूं। लेकिन राजस्थान में चोर बाजारी करने वाले व्यापारियों के घर में कितना गल्ला है इसका पता आपकी सी.-आई. डी. नहीं लगा सकती ! लेकिन सरकार कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती। यह सख्त अफसोस की बात है। ऐसा मालूम होता है कि खाद्य मंत्रीजी ने इस विषय को बड़ा आसान सा बना रखा है। वे सोचते हैं कि कुछ वक्तव्य दे दिया, ज़ोन बदला नहीं जा सकता, एक्सपोर्ट बंद नहीं किया जा सकता, रबी अभियान को चालू कर दिया, यह राष्ट्रीय समस्या है इसको सुलझाना चाहिये; इस प्रकार की अपील करके, लोगों की भावना को उभार करके चुप बैठ जाना चाहते हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इससे काम चलने वाला नहीं है। मैं यह विश्वास करता हूं कि राजस्थान सरकार के बोनाफाइडीज़ नहीं हैं। मैं उनको बोनाफाइडीज़ में डाउट करता हूं और होल्ली डाउट करता हूं। जिस ढंग से आॅर्डर लागू किये गये और उनके लागू होने के बाद आज तक मंत्रीजी इस स्थिति में नहीं हैं कि राजस्थान में कितने खाद्य का स्टॉक है, उनके पास इस बात की कतई सूचना नहीं है कि किस डिस्ट्रिक्ट में और किस किस के पास कितना स्टॉक है। सिर्फ गंगानगर और भरतपुर के आंकड़े उनके पास आये। कुछ चनों के और कुछ गेहूं के आंकड़े आये हैं। भरतपुर में १० हजार मन का गल्ला सीज किया है, लेकिन और जिलों के आंकड़े उनके पास नहीं है। जयपुर में कितना गल्ला है ? सीकर झुंझुनू, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में कितना स्टॉक है इसका उनको पता नहीं है। चनें और और गेहूं के आंकड़े एक-दो जगह के इनके पास आये हैं लेकिन जौ, ज्वार, बाजरा वगैरह बाकी का अनाज है, उसके आंकड़े उनके पास नहीं हैं। इसके लिये उन्होंने क्या कार्यवाही की ? वे कहते हैं कि सूचना नहीं मिलती है क्योंकि जिसके पास में स्टॉक है वह बताने को तैयार नहीं हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपकी मारफत खाद्य मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी से कि जहां तक इस राष्ट्रीय मसले पर विचार करना है, और जहां तक इस प्रश्न पर विचार करने का प्रश्न है इस मुद्दे पर जब मुख्य मंत्री जी से बातें हुई थी तब हमने स्पष्ट किया था कि जनसंघ खाद्य के प्रश्न पर दलगत नीति से विचार नहीं करता है। इसका समाधान राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिये। किसी का इस प्रश्न पर एक्सप्लॉटेशन नहीं करना चाहिये। शायद इसका मतलब यह लगाया होगा कि खाद्य समस्या पर संतोष जाहिर नहीं करेंगे। राजस्थान सरकार को इस समस्या के प्रति जागरूक रहना चाहिये। राष्ट्रीय आधार पर जितना सहयोग विरोधी दल का हो सकता है उतना अधिक से अधिक सहयोग राजस्थान सरकार को मिलेगा। मैंने परसों खाद्य मंत्रीजी से कहा था कि आपको पता नहीं है कि यहां पर कितना अनाज स्टॉक में है। क्या आप विश्वास करते हैं कि जयपुर के व्यापारियों के पास गल्ले का स्टॉक नहीं है और क्या विभिन्न स्थानों के व्यापारियों के पास गल्ले का स्टॉक नहीं है ? जयपुर के आस-पास लालसोट, दौसा आदि में क्या अनाज का स्टॉक नहीं है ? आपके डिविजनों में और तहसीलों के गांवों में घर घर में स्टॉक है।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आप इसको सीज कर सकते हैं और बाजार भाव से बेच सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य मंत्री महोदय को मैंने यह कहा था कि व्यापारी शॉकट्रीटमेन्ट में विश्वास करते हैं । एक बार झटका होना चाहिये । आप हलाल न करके झटका कर दीजिये । जैसे आप दूसरे लोगों को पकड़ कर उन पर झूटा मुकदमा चलाते हैं उसी तरह से दो चार व्यापारियों को पकड़ कर जेल के सीकचों में बंद कर दीजिये, फिर आप देखेंगे कि पाकिस्तान के फीरोजखां नून की तरह ७० हजार मन गल्ला बाहर निकलता है या नहीं । हमारे यहां पर स्टॉक जब्त नहीं करने का कारण क्या है ? उपाध्यक्ष महोदय, इसका कारण वे स्वयं ही जान सकते हैं । लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार और खाद्य मंत्री से, कि अनाज के भाव ज्यादा बढ़ चुके हैं । जयपुर में २६ रुपये और २८ रुपये मन गेहूँ का भाव है, ऐसी हालत में कुछ सुझाव जो दिये गये हैं उन पर विचार करके आवश्यक कदम जल्दी से जल्दी उठाना चाहिये ।

जहां तक चीप ग्रेन शॉप्स का ताल्लुक है, मैं निवेदन करूंगा कि चीप ग्रेन शॉप्स हमारे यहां पर पर्याप्त नहीं हैं । हरेक जिले के हैड क्वार्टर पर और सब डिविजन पर इसके सेन्टर होने चाहिये और इनकी मात्रा बढ़ानी चाहिये और अच्छा गेहूं उपलब्ध होना चाहिये । जहां तक ज़ोन का ताल्लुक है, राजस्थान सरकार को फिर से प्रयास करना चाहिये कि हमको बम्बई और मध्य प्रदेश के साथ मिलाया गया है यह ठीक नहीं है । हम यह नहीं चाहते कि हमारे पास सरप्लस अनाज है तो उसे हम ही खाते रहें और बाकी लोग भूखे मरें या हम लोग सस्ता अनाज खाते रहें और दूसरे लोगों को महंगा मिले । हम यह चाहते हैं कि सभी नागरिकों को सस्ता अनाज उपलब्ध हो । लेकिन बॉम्बे राइस इटींग एरिया है, वहां पर राइस सरप्लस होता है लेकिन हमारा एरिया व्हीट का है । राइस यहां के लोग कम खाते हैं और बॉम्बे के जिस एरियो में व्हीट चलता है वहां व्हीट डेफिसिट में रहता है, इसलिये गेहूं यहां से ज्यादा एक्सपोर्ट होता है । इसलिये हमें भारत सरकार पर दबाव डालना चाहिये कि बम्बई और मध्य प्रदेश के ज़ोन से बदल कर हमें व्हीट वाले ज़ोन के साथ किया जाय ।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं राजस्थान सरकार को एक और सुझाव देना चाहूंगा और वह सुझाव यह है कि एक बात सदन में कई बार कही गई है कि राजस्थान में जो कृषि विभाग है, जिस पर कृषि-उपज निर्भर होती है, उस कृषि विभाग के हड की जगह पर, उस डिपार्टमेंट के हड के स्थान पर कोई टेक्नीकल आदमी होना चाहिए । राजस्थान सरकार राजस्थान में रबी अभियान चला कर कृषि की पैदावार बढ़ाना चाहती है, किन्तु जो उपज बढ़ाने का महकमा है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसका जो सीनियर हड है, वह नॉन-टेक्नीकल आदमी होता है, नॉन-टेक्नीकल आदमी है । उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्रीजी ने कहा कि हमने एक एडवाइज़री कमेटी बनाई है । राजस्थान सरकार को परामर्श देने के लिए एक कृषि परामर्शदात्री समिति बनाई है । उसके सदस्य कौन कौन हैं, उनके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता । लेकिन एक कोसमोपोलिटन व्यक्ति श्री बी. एन. काक हैं, जो हर एक समिति में मौजूद होते हैं, ट्रान्सपोर्ट को कमेटी हो, एग्रीकल्चर की कमेटी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हो, ड्राइविंग की कमेटी हो, वे हर एक कमेटी में मौजूद होते हैं। चाहे गोताखोरों की कमेटी हो, चाहे आसमान में उडने वालों की कमेटी हो, चाहे एग्रीकल्चर कमेटी हो, चाहे कोई कमेटी हो, वे उन कमेटियों में अवश्य रहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जो रबी अभियान चल रहा है और जो खाद्य समस्या है, वह इस प्रकार हल नहीं हो सकती। मेरा निवेदन है कि इस एडवाइज़री कमेटी में कुछ टेक्नीकल आदमी हों, इस कमेटी में टेक्नीकल व्यक्तियों को रखा जाय जो राजस्थान सरकार को सही सलाह दे सकें और राजस्थान सरकार सही कदम उठा सके।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रबी अभियान की दृष्टि से और इस समस्या को और न बढ़ने देने की दृष्टि से माइनर इर्रिगेशन के वर्क हैं उन पर ज्यादा जोर देना चाहिए। लैंड रिफॉर्म्स के कई कानून, जो इस सदन में पारित होने के लिए पड़े हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्व मंत्रीजी खाद्य मंत्री के साथ अपनी टांग जोड़ कर खाद्य समस्या को हल करने के लिए जायं। हो सकता है कि उनको नुकसान ही थ्री लेग्ड़ रेस के अन्दर क्योंकि थ्री लेग्ड़ रेस में दोनों पार्टनर मजबूत होने चाहिए। लेकिन फिर भी वे अपनी टांग खाद्य मंत्री के साथ जोड लें और इर्रिगेशन, मिनिस्टर को भी साथ ले लें क्योंकि इर्रिगेशन, एग्रीकल्चर और रेवेन्यु ये तीनों डिपार्टमेंट को-रिलेटेड हैं और खाद्य समस्या का हल तीनों के मिले बिना नहीं हो सकता। लैंड रिफॉर्म्स के कुछ बिल हैं, जमींदारी, बिस्वेदारी एबोलिशन हैं, सीलिंग के बारे में हैं, ये सारे कानून शीघ्रातिशीघ्र पारित करके, उनके अनुसार कार्यवाही करके टिनेन्ट्स के मन में जो सस्पेन्स का भाव पैदा हो गया है, उस सस्पेन्स के भाव को समाप्त कर सकेंगे। इस ओर राजस्थान सरकार को शीघ्र ही कदम उठाना चाहिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जितनी धन-राशि नियत की है, मैं समझता हूं कि पंचवर्षीय योजना के अन्दर कुछ बातों के विषय में राजस्थान की सरकार को पुन: विचार करना चाहिए और प्लानिंग कमीशन के सामने सजेशन रखने चाहिए कि पंचवर्षीय योजना में अनाज की समस्या के प्रति विचार कर इस दृष्टि से ज्यादा धन-राशि रखनी चाहिए, इस सम्बन्ध में सुझाव देने चाहिए। इतना कह कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ।

(अनेक माननीय सदस्यों के भाषण देने के लिए खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरा भाई।

श्री हीराभाई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारी खाद्य स्थिति के विषय...

श्री श्रीभानसिंह : On a point of information, Sir, it appears that the Chair is reading out names as if some list has been supplied by some body.........

श्री उपाध्यक्ष : Yes, it has been supplied by the whips of the parties.

श्री श्री भानसिंह : May we have the names of these ?

श्री अर्जनदास (स्वतन्त्र): Possibly, my name may not be there. If it is not the e, please put it there.

श्री उपाध्यक्ष : Pardon, it is not audible.........

श्री अर्जुन दास : I said; possibly my name may not be there. It may please be put.

श्री चन्दनमल वेद (सरदारशहर) : उपाध्यक्ष महोदय, ये नाम पढ़ कर सुना दीजिये, जिससे हम उठने की तकलीफ न कर पायें। जो नाम हैं वे पढ़ दें।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे ख्याल में आप अनुशासन में आबद्ध हैं, आप चीफव्हिप से पूछें। वे बता देंगे, आप उनसे मालूम कर लेते तो आसानी रहती। It is very difficult for the Chair to impart information to you.

श्री श्रीभानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, as far as party discipline is concerned, I am bound by it, but my humble submission is that the Chair is certainly not bound by the party discipline or the list and Chair should not give precedence to the names submitted by the parties.

श्री उपाध्यक्ष : That is for the Chair to decide. I mean we have been observing certain practices which have been......

श्री श्रीभानसिंह : Then, Sir, certain on. Members would like to know if their names are there and if they are not they are superfluous, then they may go and sit in the lobbies.

श्री उपाध्यक्ष : No, in the list all the important speakers are included.

श्री चन्दमल वेद : May I know, Sir, whether I am important or not ?

श्री उपाध्यक्ष : This is for you to decide.

श्री चन्दनमल वेद : No, I want to know whether I am on the list.

श्री उपाध्यक्ष : Kindly refer it to your whips. I am not here to reveal the names.

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुन्झुनू) : The Hon. Members are not bound by whips on this issue, Sir, Every member has a right to speak.

श्री उपाध्यक्ष : To my convenience, I will reveal it when the time comes.

(विराम)

श्री हीरा भाई।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़): माननीय उपाध्यक्ष, आज हमारे राजस्थान की खाद्य समस्या को हल करने के लिए हमारे सदन में संकल्प आया है इस पर माननीय खाद्य मन्त्रीजी ने स्टेटमेंट दिया है। उनको इस स्टेटमेंट में सही हालत बतानी चाहिए थी। उस सही स्थिति को उन्होंने नहीं बताया और गोलमाल स्टेटमेंट देकर जनता को गफलत में रख कर जनता को मरनेको छोड़ दिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत विधान सभा के अधिवेशन में हमने इस समस्या को लेकर एक छोटे पहाड़ी इलाके की समस्या रखी थी, उस समय रेवेन्यु मिनिस्टर महोदय ने ११ रु० मन, १० रुपये मन के भाव बताये थे। उस समय से सरकार को मालूम करना था कि देश में खाद्य की समस्या दिनों दिन इस ढंग

(श्री हीराभाई)

से बढ़ती जा रही है और यह समस्या बड़ी समस्या होती जा रही है। इन दिक्कतों के साथ साथ हमारे राजस्थान में अकाल हर कोने में हो जाता है। या तो ज्यादा वर्षा गिरने से अकाल होता है, या वर्षा कम गिरने से अकाल होता है, लेकिन हमारी राजस्थान सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए कुछ कदम नहीं उठाये हैं। हमारी सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए कि बराबर हमारी जनता में दरिद्रता न आये और उनके सामने बार बार चिल्लाने का मौका न आये। सिर्फ इस साल हमारी केन्द्रीय पार्लियामेंट ने बिल पास किया था कि खाद्य समस्या देश में मामूली नहीं है, इसलिए इस ओर कदम उठाने चाहिए। उसको देख कर हमारी राजस्थान सरकार ने भी कदम उठाने की कोशिश की, पर जिस ढंग से क़दम उठाने की कोशिश की है, उसमें यह होता है कि जिस ढंग से इन्तजाम करना चाहिए, उस तरह से इन्तजाम होने की आज सम्भावना नहीं दिख रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक खाद्य-समस्या का प्रश्न है, हम लोगों को अनाज खरीद कर सस्ते भाव पर देने की कोशिश करें। हमारे राजस्थान में करोड़ों की संख्या में जनता है, उनके पास, सभी के पास अकाल के समय में अनाज की कमी रहती है, जब तक राजस्थान सरकार अढ़ाई करोड़ रुपया खर्च न करे, तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती। इसलिए हमें नये कदम उठाने चाहिए। जितनी एग्रीकल्चर विभाग के द्वारा व्यवस्था की जा रही है खेती के विषय में, उस सहायता के विषय में मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज हम लोगों को इतनी सहायता देते जा रहे हैं, वह सहायता कहीं लोग अपने मेहमानों पर लगा देते हैं, कहीं शादी-ब्याह में लगाते हैं, और कहीं अपने और काम में लगा देते हैं। इस कारण कृषि के जो साधन जुटाने वाले हैं, व्यवस्था होने वाली है, वह आज तक नहीं हो रही है और यह क्यों नहीं हो रहा है? जो सहायता दी जाती है, निर्माण की व्यवस्था की जाती है, तो वह सहायता मन्त्रियों के रिश्तेदारों को, कलेक्टरों के रिश्तेदारों को, या दूसरे अधिकारियों के रिश्तेदारों को दी जाती है। इन मामलों की जांच करने की सरकार की नीति नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे रिश्तेदार हैं और इस तरह हर साल पैसा बर्बाद होता जा रहा है, पर हमारी खाद्य की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तो सहायता की बजाय हमें यह क़दम उठाना चाहिए कि मेड़बन्दी आन्दोलन को जोरों से चालू करें। हमारी सरकार द्वारा हर एक किसान के खेत में, कृषि विभाग या इर्रिगेशन द्वारा किसानों के घर-घर में जाकर मेड़बन्दी का आन्दोलन शुरू करें। एक भी खेत बिना मेड़बन्दी के न रहे। कुओं के विषय में जल-बोर्ड द्वारा रकम दी थी, वे कुए यों ही अधूरे पड़े हुए हैं। वह तो पीने के पानी के विषय में था, पर कृषि विभाग के विषय में, समाज-कल्याण विभाग द्वारा बैकवर्ड एरियाज़ के लिए जो रुपया दिया गया था वे सब खड्डे में पड़े हुए हैं, लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया था। एक पैसे भर भी फायदा इतने धन का किसी को नहीं मिला। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार द्वारा चाहे कितना ही पैसा लगे, सरकार अपने हाथ में काम लेकर कुओं का निर्माण करे और कर्मचारियों और गांव वालों की मीटिंग करके, इन दोनों के सहयोग से काम पूरे करें, नहीं तो सहायता से तो कोई समस्या हल नहीं होने वाली है।

दूसरी बात यह है कि जो साधन हमें मिलने चाहिए, वे बिल्कुल गैर टाइम में

Page No.56

(श्री हीराभाई)

दिए जा रहे हैं। गैर टाइम के कारण ही हम जिस काम में लगाना चाहते हैं, वह नहीं लगा पाते और हमारे सारे कार्य असफल रहते हैं। तो अब हमारी सरकार हाथ में लेकर हर चीज का निर्माण करे और उन गांवों की कमेटियों के साथ बात करके, मिलकर काम करे तब खाद्यान्न की समस्या हल होगी नहीं तो हम दिन ब दिन बर्बाद होते रहेंगे। जहां ऋतु से अन्न पैदा होता है वह राष्ट्र के तमाम लोगों का और स्थानीय लोगों का हित करने वाली चीज़ है। तो सहायता से यह भावों और अन्न की समस्या हल नहीं होने वाली है। जो भाव हैं उसके लिए मन्त्री महोदय कहते हैं कि एक महीने बाद यह समस्या रहने वाली नहीं है, ठीक है, पर शहरों की जनता की समस्या हल होगी, गांवों के लोगों की, किसानों की समस्या हल होने वाली नहीं है। १२ रुपये से २५, ३० रुपया मन अन्न किया है। पांच-छः रुपया मन व्यापारी लोग किसानों से खरीदेंगे। तब सरकार अच्छी तरह से इसे स्वीकार कर लेगी। जब पांच-छः रुपया मन के भाव से व्यापारी गरीब किसानों से खरीद कर बम्बई तो क्या पाकिस्तान में डाल देंगे। फिर यह समस्या और भी भयंकर रूप से हमारे सामने आयेगी। तो इसको हमेशा के लिए हल करना चाहिये। हमेशा के लिए इसे हल करने के लिए सरकार, साहूकार और किसान तीनों मिल कर भावों को साल भर के लिए निश्चित कर दें, भावों पर प्रतिबन्ध लगा दें तो हमेशा के लिए यह समस्या हल हो सकती है, नहीं तो सरकार ने आज व्यापारियों को मन-माना मुनाफा उठाने की छूट दे रखी है, किसानों को मरने की छूट दे रखी है और अफसरों को लूट की छूट दे रखी है। इस तरह से तो यह समस्या हल नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा सरकार, साहूकार और किसान मिल कर भाव तय कर लें कि ६ महीने से १२ महीनों तक, या आयन्दा साल तक एक रुपये का डेढ़ रुपए तक भाव न बढ़े। यहां की जनता को दिया जाय और सवाये से ड्योढ़ा और चौगुना तक न पहुंच जाना चाहिए; तभी यह समस्या हल होगी। वर्ना किसानों के पास से व्यापारी लोग सस्ते भाव पर अनाज खरीद लेते हैं और २५-३० रुपये मन के भाव से बेचते हैं। गरीब लोग साहूकारों को ५), ६) रुपया मन के भाव से बेचेंगे और उनके पास एक कण भी अनाज नहीं रहेगा। फरवरी तक तो फिर यही समस्या आपके सामने आ जायगी और आपके सामने मांगी होगी कि अनाज के व्यापारी मन-माने भाव से दूसरे प्रांतों में निकाल कर यहां के लोगों को मार रहे हैं। व्यापारी लाभ उठा रहे हैं उनकी तरफ सरकार ध्यान नहीं देती है। उनकी तरफ सरकार क्यों ध्यान नहीं देती है ? कहना तो नहीं चाहिए पर कहना पड़ता है, चुनावों में व्यापारी और पूंजीपति लोग इनको मदद करते हैं इसलिए उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता। यह अन्न की समस्या तो एक साल के लिए नहीं हमेशा के लिए हल करनी चाहिए, नहीं तो यह हर साल हमारे सामने आयेगी। इसके लिए पहले तो अनाज पैदा कराने का काम सरकार को हाथ में लेकर करना होगा। दूसरा यह करना चाहिए कि कोई व्यापारी जिस भाव से उसने अनाज खरीदा है, उससे सवाये से ज़्यादा भाव पर कोई न बेच सके और १२ महीने तक ज्यादा से ज्यादा ड्योढ़े से ज्यादा भाव पर तो किसी भी जगह अनाज न बेचा जाय। सरकार ऐसी नीति निश्चित कर दे तो यह समस्या हल हो सकती है, नहीं तो यह समस्या हल नहीं हो सकती। सरकार की ओर से रबी आन्दोलन चलाया जाता है। रबी की

(श्री हीराभाई)

फसल को बढ़ाने के साधन तो सरकार बढ़ाती नहीं, लोगों को साधन तो देती नहीं और कहती है कि हम रबी का 'आन्दोलन चला रहे हैं। बीजवाड़ के सम्बन्ध में सरकार ने रबी आन्दोलन चलाया कि सरकार बीजवाड़ का 'इन्तजाम करेगी, पर आज तक बीज का ठिकाना नहीं है। साहूकारों में घबराहट पैदा हो गई थी कि सरकार बीजवाड़ किसानों को दे देगी पर जब सरकार की ओर से कोई इन्तजाम बीजवाड़ का नहीं हुआ तो साहूकारों ने किसानों से कह दिया कि २५ रुपये मन के भाव से बीजवाड़ ले जाओ तो ले जाओ, नहीं तो बस। पहले तो सरकार ने बीजवाड़ का इन्तजाम करने को कहा और ऐन टाइम पर कुछ नहीं किया और इस तरह किसानों को तबाह कर दिया। किसानों को न तो सरकार ने दिया और न साहूकारों ने ही दिया। फिर कहते हैं कि यह समस्या दूर हो जायगी। मैं यह कहता हूं कि यह समस्या इस तरह से दूर होने वाली नहीं है। या तो गांव-गांव में आदमी स्थापित कर दो और बीजवाड़ के पूरे साधन जुटा दो ताकि रबी और खरीफ की दोनों फसलें पूरी तरह से पक जायं। इस तरह से तो खाद्य की समस्या दूर होने वाली है नहीं। वह कमी दूर होने वाली नहीं है। आप यह देखें कि योजना बनाने और सदन में भाषण देने से यह समस्या हल होने वाली नहीं है। एक तो रबी और खरीफ दोनों फसलों के ज्यादा उत्पादन के लिए पूरा इन्तजाम करना होगा और दूसरा, भावों के लिए साहूकार, सरकार और किसान तीनों मिलकर भाव पर प्रतिबन्ध लगावें।

यों तो ट्रक इधर-उधर बहुत दौड़ते-फिरते हैं पर जहां बीज की जरूरत थी मार्च और अप्रैल महीने में, वहां सितम्बर तक व्यवस्था की जाती है, तो यह बड़ी अक्ल की बात है। हमारी सरकार की इतनी अक्ल है या अकालियों में इतनी अक्ल है कि वे किसी तरह से अपने दिन निकाल रहे हैं। मैं समझता हूं कि सरकार की कोई अक्ल ठीक नहीं थी। मार्च और अप्रैल में अकाल था। सितम्बर और अक्टूबर में अकाल के लिए सेवा में जाना और मोटर लेकर घूमना कहां तक उचित होगा? कहीं-कहीं खाद्यानों की दूकानें खोल दी गईं, मगर मैं यह कहूंगा कि गांवों से वह दूकानें ५०-६० मील की दूरी पर पड़ती हैं और वे लोग अपना समय यानी ३ या ४ दिन खर्च करके दो रुपये के अनाज के लिए वहां आते हैं। इससे उनको कितनी तकलीफ होती है और उनके फेमिली वालों को कितनी तकलीफ है। क्या इस इन्तज़ाम को इन्तज़ाम कहा जा सकता है? क्या इससे कोई इन्तज़ाम हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिये था। होना तो यह चाहिये था या तो ग्राम पंचायतों या नगरपालिकाओं की मार्फत इस प्रकार का इन्तज़ाम करवाते तो ठीक तरह से कुछ कहा जा सकता था, लेकिन यह हमारे दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया और जब अकाल का समय बीत गया तो लोगों की भावना अपनी तरफ खींचने के लिये इस प्रकार कार्य किया जा रहा है। मगर फिर भी इससे लोगों को किसी प्रकार का लाभ नहीं हो रहा है, इसका खास कारण यह है कि हमारे यहां न तो पूरी सड़कें हैं और न कोई मोटर जाने का रास्ता है। यह भी मालूम नहीं कि वे लोग कैसे जा सकते हैं और उनको कैसे सहायता पहुँचाई जा सकती है। यहां आप बोलने लग जावेंगे कि खाद्यानों का प्रबन्ध कर दिया जिस समय हम यहां पर बोलते हैं। आपको यह तो मालूम

(श्री हीराभाई)

ही है कि लोन कब मिला। आपको विदित होगा कि सितम्बर को लोन दिया गया और ३० सितम्बर को खत्म होने वाली अवधि थी। उस समय कौन लोन लेता? फिर तो अनाज पक गया था। यदि आप पहले से व्यवस्था करते तो किसान ज्यादा अन्न पैदा करने की कोशिश करते और लोन वगैरा लेते, मगर ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि सरकार को मालूम था कि ऐसा इस समय करने से बहुत से लोग कर्ज लेंगे और सरकार दे नहीं सकेगी। इसलिये इतनी देरी से दिया गया और वह इसलिये कि लोगों को कहने का सरकार को मौका मिल जावेगा कि हमने कर्ज दिया, मगर लिया नहीं। इसलिये गलती उनकी नहीं बल्कि लेने वालों की दिखाई देगी। फिर आप कहते हैं कि खाद्य समस्या का हल करो। यदि आप इन बातों पर ध्यान देंगे तो जनता को फायदा होगा।

तीसरी बात गेहूँ के बारे में कही कि गेहूँ खराब था। काफी खराब था, उसमें जानवर आदि थे। ऐसे खराब थे कि मुंह में नहीं जाते। मगर गरीब लोग जो भूख को बुझाने के लिये जहर भी खा लेते हैं इसलिये उसको लेते हैं। मैं यह कहूंगा कि सरकार को यह तो कम से कम सोचना चाहिये कि हमारे यहां के रहने वाले हैं वे भी इन्सान हैं। जब आप उसको नहीं खा सकते तो दूसरे कैसे खा सकते हैं? इसके अलावा वह बिना पैसे तो आपके यहां किसी तरह से आता नहीं। आपको उसके पैसे देने होते हैं, फिर इस तरह का खराब अनाज खरीदने से क्या मतलब होता है? मैं इस बात को जगह-जगह से साबित कर सकता हूं कि अनाज खराब था, खराब था और खराब था।

(समय समाप्ति-सूचक घन्टी)

उस खराब अनाज की जांच करने वाला कोई नहीं था। तो ऐसी हालत में, मैं यही निवेदन करूंगा कि जितनी सरकार द्वारा सहायता दी जाने वाली है और दी जा रही है उसको छोड़ कर यदि जगह-जगह पटवारी लोग रहते हैं उनसे पता लगा कर कुए, तालाब या बावड़ियां वगैरह है उनको ठीक करवाएं और इस कार्य को सरकार हाथ में ले और कर्मचारियों के साथ साथ ५-१० उस स्थान के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी साथ लेकर उसका निर्माण किया जावे ताकि समय पर काम होता रहे। पैसे तो सरकार देती रही है और हमेशा घाटा बताती रहेगी, मगर काम नहीं होगा इसलिये मेरा तो यही निवेदन है।

श्री नाथूराम (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय,......

श्री श्रीभानसिंह : Again I rise on a point of order, Sir, that even if a list is given, theh uptil this day the procedure has been that one Member from opposition and two members from Treasury Benches are called to speak. But if all the opposition speaks and the Treasury Benches remain silent, Sir I have not been able to understand this procedure.

श्री उपाध्यक्ष : The decision, I think, has been taken in consultation with the Treasury Bench. Anyhow, I can realise this issue and you will kindly wait till the speaker, who has now risen, concludes. I will then have the same proportion of speakers from both sides as suggested by the Hon. Member.

Page No.59

श्री श्रीभानसिंह : But even in that list if the Hon. Member's name is not there ?

श्री उपाध्यक्ष : I assure the Hon. Member that his name is conspiciusly there.

श्री श्रीभानसिंह : On the list ?

श्री उपाध्यक्ष : On the list as well as in mind.

श्री नाथूलाल (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय खाद्य मन्त्री ने बताया कि तीन कारणों से ज्यादा महंगाई आई है। सब से पहले उन्होंने बताया रबी की फसल खराब होने के कारण, दूसरा कारण उन्होंने बताया अनाज बाहर जाने के कारण और तीसरा कारण यह कि इस समय बीज बोया जा रहा है। लेकिन जो रबी की फसल के लिये उन्होंने कहा वह तो मेरी समझ में कम आता है, क्योंकि रबी की फसल सिवाय दो-तीन जिलों को छोड़कर जैसे जोधपुर और बीकानेर, बाकी सभी ज़िलों में-अच्छी हुई थी। इसलिये जो रबी की फसल के लिये आप कह रहे हैं इस बात को मैं अच्छी नहीं समझता हूँ।

दूसरी बात आपने अनाज के बाहर जाने के लिये कहा कि गल्ला काफी बाहर गया और वास्तव में बाहर गया और गल्ला बाहर जाने के कारण से ही सबसे ज्यादा महंगाई हुई है। लेकिन इसके लिये उन्होंने अपने वक्तव्य में साफ कर दिया कि इस सम्बन्ध में सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के ऑर्डर्स ऐसे ही थे जिसकी वजह से यह महंगाई हुई।

तीसरी बात यह कही कि अभी बीज बोया जा रहा है और इसकी वजह से महंगाई हुई है। मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से तो नहीं हुई क्योंकि खास तौर से रबी अभियान चल रहा है उसमें गवर्नमेन्ट ने भी अपना योग दिया और अभियान को सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। यह कुछ सफल बन रहा है। यह बात जरूर है कि चने की कमी हुई है लेकिन गेहूँ काफी मात्रा में हर एक सामुदायिक विकास खण्ड में दिया गया है और अच्छी अच्छी तरह से दिया जा रहा है। और महंगाई बीज देने की वजह हुई हो ऐसी बात नहीं है। महंगाई तो केवल अनाज के बाहर जाने से हुई है और यही मुख्य कारण है।

दूसरी बात यह कि सं० २०१५ में खरीफ की फसल की पैदावार कम हुई है। सवाई माधोपुर जयपुर-टोंक में खरीफ की फसल सबसे अच्छी हुई। लेकिन बाकी और जिले हैं उनमें खरीफ की फसल ही कम पैदा हुई है यह भी एक कारण है और बाहर जाने के कारण सभी गल्ले में महंगाई आ रही है। मक्का और बाजरा जो मोटे अनाज हैं आज से १५ रोज पहले १३।) मन थे आज १४।) मन हो गये। अभी खाद्यमन्त्री महोदय ने बताया कि गेहूँ के भाव अप्रैल में १२) मन थे वह बिल्कुल ठीक थे। यह तेजी धीरे-धीरे बाहर जाने की वजह से हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि गल्ले का स्टॉक व्यापारियों के पास बहुत भरा पड़ा है। अभी ४ नवम्बर को गवर्नमेन्ट के यहां से ऑर्डर्स हुए कि अब जिनके पास पांच सौ मन से ज्यादा का गल्ला है उनको लाइसेन्स इश्यू करवाना पड़ेगा। इसका नतीजा क्या हुआ कि उससे पहले ही व्यापारियों ने गल्ले के स्टॉक को निकाल दिया और व्यापारियों के पास अब कोई स्टॉक नहीं है और जिनके पास थोड़ा बहुत है भी तो जो बाहर से मांग आ रही तो वह बाहर जा रहा है और जब कि व्यापारी को एक बोरी के ऊपर चार आने भी फायदे के मिलेंगे तो वह तो उसको बाहर ही निकालेंगे। मगर यह कहना कि व्यापारियों

Page No.60

(श्री नाथूलाल)

के पास गल्ला ज्यादा है मैं कहता हूं कि व्यापारियों के पास इस समय गल्ला नहीं है। कम से कम जयपुर जिले के अन्दर तो किसी के पास भी खुद का स्टॉक नहीं मिलेगा।

२-१ म० प०

अब जो सस्ताई लाने के ऊपर विचार किया जा रहा है कि यह सस्ताई किस प्रकार से लाई जाय। तो सस्ताई लाने का कारण जो हमारे माननीय खाद्य मन्त्रीजी ने बताया कि एक महीने बाद सस्ताई लाई जा सकती है। सस्ताई एक महीने के बाद भी नहीं आयेगी। सम्वत् २०१६ की रबी की फसल के पहले कभी भी सस्ताई नहीं आ सकती। उसका कारण यह है कि यह तो हर एक को मालूम है कि गल्ला बाहर जा रहा है और इसकी वजह से सस्ताई कैसे आ सकती है? राजस्थान के जो बाकी के १५ जिले हैं जिनके अन्दर पैदावार की कमी है और दो-चार जिलों के अन्दर अच्छी पैदा हुई है तो उनको भी देना होगा जिन और जिलों में गल्ले की कमी है। महंगाई का कारण ज़ोन में गल्ला भेजा जाना ही है। अगर राजस्थान गवर्नमेन्ट चाहे तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से अच्छा व्यवहार स्थापित करके गल्ले को बाहर जाने से रोके तो जरूर सस्ताई हो सकती है और गल्ला बाहर जाये और फिर सस्ताई लाना चाहे यह तो बहुत ही असम्भव है। इतना ही कहकर मैं स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नारायणसिंह मसूदा।

श्री श्रीभानसिंह : Sir, the Hon. Member has not caught your eye and he has been called by the Chair to stand up from his seat and speak. Again this is very strange.

श्री उपाध्यक्ष : This is not strange. It is for me to decide whether he could catch my eye or not.

श्री श्रीभानसिंह : But setting in the chair and catching eye, that is next to impossible, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : It is more than possible.

Shri Narayan Singh Masuda.

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत में आज खाद्य समस्या सर्वत्र सामान्य है और इस वर्ष जिस प्रकार से वर्षा हुई है उसने हमारे सामने एक विचित्र सी परिस्थिति पैदा कर दी है। कई स्थानों पर तो वर्षा समय के बाहर हुई और कहीं बहुत ज्यादा वर्षा हुई, और कहीं बहुत कम हुई। इससे हमारे धान के उत्पादन पर बहुत ही खराब असर पड़ा, और वही परिस्थिति राजस्थान में भी रही। राजस्थान में भी कहीं अतिशय वर्षा नज़र आती है तो कहीं वर्षा की बहुत कमी। इन दोनों कारणों से यह प्रतीत होता है कि फसल में कम से कम अधिक नहीं तो औसतन ८ आने फसल रह जाती है और ८ आने फसल के खराब जैसा चित्र बनता है। यह बिल्कुल सही है कि राजस्थान एक सरप्लस एरिया रहा है, फिर भी आज राजस्थान के अन्दर प्राकृतिक अभाव है। वर्षा की अनिश्चितता बराबर आज सताती रही है, उससे हमेशा ही विचित्र परिस्थिति बनती रही है और आज राजस्थान की समस्या भारत की समस्या की भूमिका में देखने की

Page No.61

(श्री नारायणसिंह)

आवश्यकता पड़ती है। भारतवर्ष में सर्वत्र हो, यह हम इन्कार नहीं कर सकते कि प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की क्रियाओं से यहां के अन्न में बढ़ोतरी काफी हुई है। यह हमारी स्टेटिस्टिक्स भी बताती है। हाँ, कई जगह कमी रही होगी। लेकिन यह कोई मना नहीं कर सकता कि हमारे यहां अन्न की जो स्थिति थी वह सुधरी नहीं है। पॉपुलेशन की प्रॉबलम आती है दूसरी भी प्रॉबलमे हमारे सामने आती हैं। अनुभव की कमियों की प्रॉबलेम भी आ जाती है, फिर भी जो स्थिति सुधरी है। उसके लिए कोई दो राय नहीं हो सकतीं। लेकिन आज की सुधरी स्थिति में जो संकटकालीन परिस्थिति प्राकृतिक दबाव से आ जाती है उनको आज हम नज़र-अन्दाज़ नहीं कर सकते और उसकी भूमिका में ही हमें सारी समस्या पर हो सोचना पड़ता है और उनकी भूमिका में उनके प्रति उत्तेजना एवं संतुलित दृष्टि रखने की आवश्यकता पड़ती है। हमारे यहां केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने एक मीटिंग की १८ अगस्त को और एक रबी अभियान के नाम से एक आन्दोलन शुरू किया। उसकी मंशा यही थी कि एक विशेष परिस्थिति में भारतवर्ष का जो कृषि की तरफ प्रयास है कि किस प्रकार उन्नत हो और किस प्रकार की कार्यवाही जारी हो, कि जिससे हमारी खाद्य समस्या सुधर सके और कृषि क्षेत्र में एक सुदृढ़ परिस्थिति हम प्राप्त कर सकें। यह अभियान चालू होते ही हमारे राजस्थान में इसकी लगन को पकड़ा गया और यहां भारत कृषक समाज ने एक परिपत्र लिखा और फार्म के फार्मर्स ने उसको यहां प्रचारित किया। यहां के कई कार्यकर्त्ताओं को और एम० एल० एज़० को यह पत्र प्रचारित किया गया और उससे कई प्रेरित हुए और उन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में जाकर उस ओर कदम उठाया। उस ओर बहुत ही प्रेरणा से और बहुत ही उत्साह से कदम उठाया गया रबी-अभियान की ओर उस रबी अभियान के मूल तत्व को समझने में कुछ गलती रही। रबी-अभियान असल में कृषि पद्धति को एक उन्नत रूप में लाने के लिए एक अभियान था लेकिन उसको इस प्रकार से समझ लिया गया कि जैसे सरकार अधिक बीज की खाद की सप्लाई करना चाहती है। यह कतई रबी अभियान की मन्शा नहीं थी और इसी गलतफहमी और गलत प्रेरणा के कारण ऐसा कदम उठा कि जिससे गांव गांव में यह प्रचार हो गया और जो इस प्रकार प्रेरित होकर वहां गये उन्होंने भी गलत बात कह अपनी ही नासमझी में, क्योंकि कार्यकर्त्ता आ गये, कृषकों ने समझ लिया कि उन्नत बीज या दूसरे बीज, खाद इत्यादि सरकार सप्लाई करेगी। रबी की फसल के लिए हमें और किसी चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। तो सामान्य प्रकार से उनके पास बीज का और दूसरा स्टॉक रहता था उसको गलत प्रेरणा में पड़कर, लालच में पड़ कर जो कि स्वाभाविक है उन्होंने अपने बीज को बाहर निकालना शुरू कर दिया है, इसकी तो चिन्ता जरूरी है। इसी विषय में जो कांग्रेस ने एक पदयात्रा का क्रम २ अक्टूबर से सात दिन का बनाया था उसमें घूमकर मैंने स्वयं अनुभव किया कि जालिया के गिरदावर क्षेत्र में मैंने देखा कि २ तारीख का गेहूँ का जो भाव ७ से ८॥ रुपये का था वह ६ तारीख को ही २२ रुपये का हो गया और फिर अब उसके बाद में २६ रुपये का हो गया। जौ का भाव १७–१८ तारीख को १४ रुपये का था वह ६ तारीख

(श्री नारायणसिंह)

को १५ रुपया का हो जाता है और वह आगे बढ़कर १६ रुपये १२ आने तक का आता है । इसी तरह से मक्का का भाव जो १३ रु० ८ आ० का था वह १७ रु० १२ आ० का हो गया । चने का भाव १७ रु० ८ आ० से १६ रु० का भाव हो जाता है तो एक प्रकार से एक ऐसी गलत दिशा के अन्दर सारी चीजें चल पड़ीं । उसी के कारण विजयनगर मन्डी से और जालिया मन्डी से मैंने यह अंक इकठ्ठे किये कि विजयनगर मन्डी से ७ हजार मन बीज बाहर चला गया, जालिया से २ हजार मन चला गया । मैं यह उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं कि उसी छोटे से क्षेत्र से कितना निर्यात हुआ । एक हजार मन विजयनगर मन्डी से और जालिया से मक्का ३ हजार मन निकल गई और जालिया से एक हजार मन निकला । इसी तरह से चना भी २५०० मन के करीब निकला । इस सब को देखकर मैंने वहां की सारी बीज की मांग को इकट्ठा किया तो केवल मात्र जालिया गिरदावर क्षेत्र की और आसपास के क्षेत्र की ५ हजार मन की बीज की मांग निकली ।

जब मैंने कलक्टरेट से पता किया तो मालूम पड़ा कि डिस्ट्रिक्ट के स्टोर में केवल ७ हजार मन और ५ हजार मन पंजाब का गेहूं मौजूद था । इस मांग को देखते हुए वहां के लोगों को बड़ी विकट परिस्थिति से गुजरना पड़ा । वास्तव में सिर्फ यह गलत दिशा में प्रेरणा मिलने का कारण था । रबी अभियान की जो मौलिक इच्छा थी वह अलग थी । उसको न समझ कर गलत दिशा में कदम उठाया गया । उसका परिणाम ऐसा पड़ा कि कृषक उन्नति की तरफ आगे बढ़ने के बजाय जितनी खाद्य की मांग थी, उसको भी पूरा न कर सके । लोग इस बात के लिए हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे कि बीज सरकार की ओर से मिल जायगा । हमें इस गलत भूमिका को गलत बिठाने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं । लेकिन आखिर हुआ क्या कि सरकार की तरफ से बीज कुछ मिला भी । जयपुर की ही सूचना है कि कुछ लोग जयपुर भी आये यहां पर बीज बताया गया, लेकिन कृषकों को वह बीज जचा नहीं । केन्द्रीय सरकार बीज दे देती, यह भी बात नहीं थी । सारा का सारा बोझ केन्द्रीय सरकार पर डाल देते तो यह उनके लिये भी असंभव था । ऐसी परिस्थिति में बड़ा असंभव हो जाता है कि सारा बीज और खाद की व्यवस्था सरकार कर सके या कर सकती । जो रबी अभियान के सिलसिले में प्रोग्राम प्रचारित किया गया, उससे यह साफ मालूम हो जाता है कि सुधरे किस्म के बीज, उर्वरक खाद, यांत्रिक सिंचाई ये चीजें थीं जिनकी ओर प्रचार में ध्यान दिलाया जाता । बजाय इसके एक यह चित्र बन गया कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट उन्नति की तरफ कोशिश करे, उन्नत कृषि तरीकों को प्रोत्साहन देने के बजाय एक सप्लाई डिपार्टमेन्ट की तरह कार्य करने लगें तो ऐसा साधारण दृष्टिकोण बनाने से उसमें बड़ी भारी गड़बड़ मच गई ।

इसकेबाद राज्य सरकार ने विचार किया ऐसा प्रतीत होता है,उसके फलस्वरूप एक कदम उठाया गया । जहां तक मुझे जानकारी है उसके अनुसार डेढ़ लाख मन का यहां स्टॉक था उसमें डेढ़ लाख मन और पंजाब से मंगाया जाकर इस तरह से तीन लाख मन का स्टॉक यहां बनाया गया । इसके सन्तुलन में केवल-मात्र भरतपुर की मांग ३॥ लाख मन थी, मांग पेश हुई । जब हम जानते थे और जैसा कि विरोधी पक्ष के एक सदस्य ने कहा कि रबी की फसल

(श्री नारायणसिंह)

इतनी खराब नहीं हुई, खरीफ की फसल खराब नहीं हुई, अकाल की परिस्थिति से हम गुजरे नहीं, फिर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई जिसके कारण एक छोटे से क्षेत्र में इतनी बड़ी भारी मांग उठ गई। इसका सीधा सा कारण यह था कि रबी आन्दोलन भी गलत-फहमी के कारण जो कार्यकर्ता एम० एल० एज़ या एम० पी० थे उन्होंने एक गलत कदम उठाया। आगे चलकर यही परिणाम हुआ कि उससे एक गलत प्रेरणा आरम्भ हो गई और राज्य का बीज का स्टॉक और दूसरा स्टॉक अपर्याप्त हो गया और लोगों की मांग अनुपात में अधिकाधिक हो गई। जयपुर का एक किस्सा है। यहां लोगों को बीज दिया जाने लगा। लेने वालों ने कहा कि जो बीज बताया गया है वह खराब है हम नहीं ले सकते, दूसरी जगह से बीज लेंगे लेकिन उसके उत्तर में यही कहा गया कि अगर बीज लेना है तो यही है। लेकिन उन्होंने वह बीज नहीं लिया। उन्नत बीज जनरल सप्लाई के लिए इतना आता भी कहां से? उसके कारण ऐसी परिस्थिति बन गई कि जो बीज लोगों को सामान्यत: खेतों में उपयोग में लाना चाहिये था वह बाहर निकल गया और इस तरह से खतरनाक पोज़ीशन बन गई।

इस दिशा में एक और कदम उठाया गया जैसी कि मुझे जानकारी मिली। पांच पांच लाख रुपये की केश तकावी भी दी गई ताकि लोग कुछ बीज बाज़ार से उपलब्ध कर सकें। इसके अलावा यह भी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि कोऑपरेटिव की मार्फत रकम दी जायगी, इस ओर प्रयास किया जायगा और उसको सुधारने का भरसक प्रयास हो भी रहा है। लेकिन एक गलतफहमी जो फैल गई थी जिसका दोष सरकार को किसी तरह नहीं दिया जा सकता। यह तो समझने की गलतफहमी थी, और उसके कारण एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गई। लेकिन उसको जिस प्रकार से ठीक तरह से बिठाया जा सके उस ओर प्रयास हो रहा है। इसके अलावा मेरा यह भी मानना है कि हमारा जो रीज़नल संयोग किया गया है वह मध्यप्रदेश एवं बंबई के साथ किया गया है, वह गलत है। क्योंकि वह चावल का क्षेत्र है और हम गेहूं के। मेरे ख्याल से, मैं मानता हूं कि राजस्थान का क्षेत्र पंजाब के साथ लगाना चाहिये क्योंकि पंजाब हमारी अधिकांश आवश्य-कताओं की पूर्ति करता है। पंजाब के साथ जाने से हमारा जो गेहूं उत्पादन का क्षेत्र है वह संयुक्त हो जाता है।

इसके अलावा अब एक और कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, वह यह कि पहले तो कृषि विभाग सप्लाई डिपार्टमेन्ट की तरफ देखना शुरू करे फिर यदि वह पूरी तरह सप्लाई नहीं कर सके तो उसकी कार्य-प्रणाली का गलत अन्दाज कर दे। यह बात ठीक नहीं। फिर यही कई तकावियों की बातें आती हैं बैलों की तकावी की बात आती है। बैलों की तकावी मेरे ख्याल से काफी दी गई, लेकिन इतने बैल भी उपलब्ध नहीं हुए जितनी रकम तकावी की दी गई, यह सवाल खड़ा हो जाता है। इतने बैल प्राप्त नहीं होते हैं तो यह साधारण सी बात है तकावी गलत रास्ते पर जा रही है। इस बात की जिम्मेवारी हमको समझनी चाहिये। जो तकावी लेने वाले हैं उनको इस बात का दायित्व समझना चाहिये। आज हम अपना राष्ट्रीय धन किस प्रकार दे रहे हैं, उस धन का सदुपयोग किस प्रकार हो सकता है। केवल मात्र गलत मांग खड़ी कर दें और उस मांग की पूर्ति न हो तो दोषारोपण शुरू कर दें,

Page No.64

(श्री नारायणसिंह)

यह ठीक भावना नहीं । इस विषय में मैं अर्ज कर दूं, अशोक मेहता की सिफारिश जो इस बारे में है, हमें उस ओर अधिक से अधिक ध्यान देना आवश्यक है । हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील लेवल पर हम हर जगह इस प्रकार के नियम बनाकर भेज दें कि सब कार्य कोऑपरेटिव के मार्फत किया जाय और कोऑपरेटिव्ज़ की सही व्यवस्था हो । लेकिन इनका सब जगह अभाव है । इस कारण यह परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं । भावों के कन्ट्रोल के लिये भी, सप्लाई के लिये भी ऐसे गोदाम हर जगह हों तो उनका ऐसे समय में सदुपयोग हो सकता है । ऐसे विषय में प्राइज कन्ट्रोल की तरफ विशेष ध्यान देना पड़ेगा । हमारे यहां एक ऐसी पद्धति चल पड़ी है । फसल लगाने का जो तारतम्य है वह अभी तक सुधर नहीं पाया । ब्रिटिश काल से जिस प्रकार का तारतम्य चला आ रहा है वही चालू है । आज केश प्रोडक्ट्स की तरफ किसानों का ध्यान ज्यादा जाने लग गया । इस प्रकार की प्रवृत्ति ब्रिटिश काल में बनी थी जब मेन्चेस्टर के मिलों की सप्लाई का सवाल था । उस समय से केश प्रोडक्ट्स को महत्व मिलने लगा और पुरानी विधियां जो चली आ रही थीं वे खत्म हो गईं । खाद्य की फसल बोने का जो एरिया था उस जगह के प्रोडक्शन लोग बोने लगे । इस बात का नियोजन और नियन्त्रण आवश्यक है और वह भी कानून के द्वारा । इसके साथ-साथ प्राइज कन्ट्रोल भी करना चाहिये जिसके कारण केश प्रोडक्ट्स की बजाय लोग खाद्य पदार्थ की फसल की तरफ प्रोत्साहित हों । इसके बाद हमारे लिये यह भी आवश्यक है कि जब हम तीसरी पंचवर्षीय योजना बना रहे हैं उसमें हम यह सोचें कि हमें किस किस प्रकार के जिन्सों की आवश्यकता है और उसके लिये कितना एरिया होना चाहिये । किन-किन सहायक उद्योगों का भावों में प्रारंभ हो सकता है । तो इन सबके साथ आवश्यकताओं के अनुसार फसलें भी उगाई जावें । फिर जैसे और कई अधिकार पंचायतों के अधिकार में दिये हैं, वैसे ही ऐसे प्रोडक्शन नियोजन एवं नियन्त्रण का अधिकार भी उनको दिया जाना चाहिये । इससे कुछ ठोस कार्य होगा ।

इसके साथ अन्य सदस्यों ने भी और हमारे कई पार्टी के सदस्यों ने भी इस बात पर जोर दिया है, और हम स्वयं भी इसे अनुभव करते हैं कि छोटी सिंचाई योजनाओं पर जोर दिया जाय, उन पर अधिक ध्यान दिया जाय । कुओं, छोटे तालाबों आदि की मरम्मत कराई जाय । अगर ऐसा किया गया तो कोई कारण नहीं कि हमारी खाद्य-स्थिति थोड़े ही समय में ठीक न हो जाय । अजमेर है, दूसरी योजना में ३८ लाख की रकम वहां छोटी सिंचाई योजना के लिये है । कुओं के लिये भी काफी मात्रा में तकावी आदि दी जा रही है । सरकार इस ओर जागरूक है । इस पर और भी शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जाने की आवश्यकता है ।

मैं यह और समझता हूं कि जो बीज की समस्या उत्पन्न हुई है उसके लिये भी और अशोक मेहता रिपोर्ट में एक और हल है कि न्यूक्लीयर्स फार्म्स बनाए जायं । वहां के बीज को मल्टीप्लाई करके वितरित करें । इससे बीज की किस्म उन्नत होगी । आज का उन्नत बीज दो-तीन साल में साधारण हो जाता है और मकसद पूरा नहीं हो पाता । उन्नत बीज मल्टीप्लाई करके उन्नत प्रकार का बीज हम वितरित

(श्री नारायणसिंह)

करेंगे तो अधिक ठोस चीज़ होगी, अन्न का अच्छा उत्पादन होगा, और उसकी किस्म भी अधिक उन्नत होगी।

हमें डिमान्स्ट्रेशन फॉर्म्स, प्लॉट्स आदि की तरफ भी ध्यान देना चाहिये। हर जगह अगर सरकार फॉर्म्स नहीं लगा सके तो छोटे-छोटे कृषकों के डिमान्स्ट्रेशन प्लाट्स निर्धारित करें और वहां उन्नत बीज, उन्नत खाद, उन्नत प्रकार के कृषि के औज़ार प्रयोग में लाये जाएं जिससे अन्य लोगों को उससे प्रेरणा मिले और वे आदर्श एवं उदाहरण-स्वरूप अन्यों के लिये बन जाएं।

इधर अभी जो भाषण इस बारे में यहां हुए हैं उनसे प्रतीत होता है कि सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं। फूड ग्रेन होर्डिंग रेस्ट्रेन्ट ऑर्डिनेन्स निकाला है, रिक्वीज़िशन का ऑर्डर भी निकाला है। तारीख की तब्दीलियां की गईं वे किसी कारणवश की गई होंगी। पर वह जागरूक हैं इस ओर इससे यह स्पष्ट मालूम होता है।

पर आज जो विशेष परिस्थितियां अनायास ही निर्माण हो गई हैं रबी-अभियान को अच्छी तरह न समझने के कारण, उसके मूल तथ्य को न समझने के कारण, इसको हल करने के लिये यह परम आवश्यक है कि आज जितना स्टॉक अनाज का राजस्थान में है उसको अपने हाथ में सरकार ले ले। लोकल मार्केट से जितना उपलब्ध हो सके उपलब्ध करके बीज किसी को न दे। इस तरह के कड़े कदम के उठाने की आज आवश्यकता है।

अनाज के भावों के बारे में एक माननीय सदस्य ने कहा कि वे कुछ बढ़े हैं। एक फसल से दूसरी फसल में जाते समय जो बीच का समय आता है उसमें भाव स्वाभाविक बढ़ते हैं। दूसरा कारण इसका यह भी हो सकता है कि कुछ निर्यात से भी बढ़े। आज हमारी सरकार निर्यात पर तो रोक लगा नहीं सकती क्योंकि यह तो एक अखिल भारतीय समस्या है और उसी भूमिका में विचार करने के लिये केन्द्रीय सरकार बाध्य करती है, पर फिर भी जो हमारे हाथ में है वह हम कर सकते हैं। रिक्वीज़िशन की तरफ बड़े से बड़े कदम उठावें और अगर प्राइस-कन्ट्रोल का समय आवे या इसकी आवश्यकता अनुभव की जावे तो प्राइस-कन्ट्रोल के लिये भी कदम उठावें। यह स्थिति भी आ सकती है कि हमारे राजकीय स्टेप्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मदद न दें। इसकी स्थिति क्या है मालूम नहीं। पर हमें इसको भी ध्यान में रखकर कदम उठाने पड़ेंगे।

चीप ग्रेन शॉप कई जगह खुली हैं। इसका स्वयं मेरा अनुभव है कि चीप ग्रेन शॉप्स की आवश्यकता अधिकाधिक बढ़ी है। और उसकी पूर्ति न केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बल्कि तहसील और उससे भी अधिक ब्लॉक लेवल पर चीप ग्रेन शॉप्स खुलने से होगी।

एक माननीय सदस्य ने लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन्स के बारे में भी संकेत किया है कि उनको जल्दी लागू किया जावे और ठीक तरह से उनका पालन कराया जावे। ये आगे जाकर लाभ देंगे। इस वास्ते इन पर ब्रेक लगाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आज जो आवश्यकता है उसके लिये जो मैज़र्स अपनाने चाहिये उनको सबसे पहले लेना चाहिये। रिक्वीज़िशन ऑफ दी स्टॉक, प्राइस कन्ट्रोल, चीप ग्रेन शॉप्स का खोलना और स्वयं के जो सरकार के अपने स्टॉक्स हैं उनको रिप्लेनिश करने का तरीका। इन चीजों की

Page No.66

(श्री नारायणसिंह)

तरफ सबसे पहले ध्यान देने की आज आवश्यकता है।

जो कुछ अब तक हुआ वह हुआ, आगे के लिये हमें सोचना चाहिये। केन्द्रीय सरकार से भी हमें अधिकाधिक स्टॉक लेना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : (पाली) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले कि इस पर अपने विचार प्रकट करूं, मैं इस बात के लिये आपको मुबारकवाद देता हूं कि ऐसी एक समस्या पर जो राजस्थान की डेढ़ करोड़ जनता के लिये एक महत्वपूर्ण समस्या है, माननीय मन्त्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया।

मेरा यह कार्य नहीं कि मैं इस अवसर पर किसी विभाग के कार्यों का पर्दाफाश करूं, या सप्लाई विभाग की धज्जियां उड़ाऊं, या मैं सिंचाई विभाग के बारे में ताने कसूं। सवाल साफ है। प्रश्न इतना पेचीदा है कि जिस पर हमें सोचना होगा कि आजादी के ग्यारह साल बाद यह खाद्य-समस्या आज हमारे सामने खड़ी होती है। जब अभाव होता है तो महंगाई को जन्म देता है। हम इस अभाव के कारण जानना चाहते हैं। हमने अखबारों में बड़े बड़े हैडिंगों में यह लिखा हुआ देखा कि हम बड़ा प्रयास कर रहे हैं। हमने खाद्य उत्पादन में कमाल किया है। हमने कृषि-विभाग के द्वारा इसके उत्पादन पर कुबेर का खज़ाना लुटा दिया है। जगह-जगह धन-दौलत बांट दी है। गांव में लोगों में नई भावना, नया जीवन पैदा कर दिया है। हमने सुना है और पढ़ा है, लेकिन सवाल यह एक पैदा होता है कि इस मंहगाई के जमाने में जब कि एक आदमी को सस्ते अनाज की दूकान के बाद भी मुझे यह आशा नहीं होती कि अनाज मिल सकेगा और हम इस खाद्य-समस्या को जिसके लिए राजस्थान सरकार क्या, भारत सरकार ने अशोक मेहता कमेटी बिठाई, यह एक बड़ा अच्छा कदम उठाया, उस कदम की सराहना होनी चाहिए कि इस युग में विरोधी दल के एक नेता को हमारी खाद्य-स्थिति की जांच के लिए खाद्य समिति के अध्यक्ष पद पर आसीन किया कि वह मालूम करे कि किन तरीकों से खाद्य समस्या को हल कर सकते हैं। हल कर सकते हैं। क्या राजस्थान सरकार उन बताये हुए मार्ग पर चलने का काम कर रही है, या उस मार्ग के द्वारा राजस्थान सरकार ने सफलता हासिल की है ? क्या सप्लाई मन्त्री महोदय इस विषय में भाषण देकर बतलाने की कोशिश करेंगे कि खाद्य-समस्या को हल करने में हमने कितनी कामयाबी हासिल की ? मैंने आज ही एक वाक्य-पढ़ा था कि आप कितने ही जोर से बोलें, लेकिन आपके काम ज्यादा जोर से नहीं बोलें तो वह बेकार हैं। जो आपने काम किया है वह ज्यादा जोर से बोल सकते हैं, बनिस्बत आपके बोलने के। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि राजस्थान की खाद्य-समस्या को हल करने के लिए अच्छे सिंचाई के साधन उपलब्ध करने हैं, जिसके लिए बीज को सुविधापूर्वक देना है, हमारी कृषि के तरीके दकियानूसी और पुराने तरीके हैं, उन तरीकों को बदल कर उन्नत और प्रोग्रेसिव तरीकों से काम लेना है, दौलत का बंटवारा करना है। उन लोगों को देना है जो लोग उस दौलत से जमीन के अन्दर धन पैदा कर सकते हों। हमें यह व्यवस्था करना है, भूमि के वास्ते प्रबन्ध

Page No.67

(श्री मूलचन्द डागा)

करना है उनके लिए जो जमीन के ढेलों को जिन्दगी समझकर अपना पसीना बहा सके। सवाल यह है कि अच्छे बीज हों।

इसके लिए तीन बातों की जरूरत है। कड़ी मेहनत हमको चाहिए, गहन विचार चाहिए, और सुव्यवस्थित आयोजना चाहिए। इन तीन चीजों के साथ-साथ राजस्थान सरकार को इस कसौटी पर कसना होगा। हम कोई आलोचना के मकसद से नहीं, हम किसी विभाग की कांट-छांट कर, किसी विभाग की धज्जियां उड़ाने का मकसद हमारा नहीं है। यह एक राष्ट्री समस्या है उसको इस दृष्टि कोण से हल करना है कि क्या हमने कामयाबी हासिल की है ?

हम एक प्रश्न को लेते हैं, भूमि के प्रश्न को लेते हैं। हम जो सदस्य महोदय यहां हैं वे चाहते हैं कि भूमि उनके पास नहीं हो जो भूमि पर जिन्दा रहना चाहते हैं। अभी अभी जागीरदारी खत्म हुई। हमने कुछ प्रगतिशील कानून पेश किये। लेकिन जमीन के कानून पास होने के बावजूद भी ये लोग ज़मीन पर जाने को तैयार नहीं है। जमीन का कोई व्यापार होता नहीं है, लेकिन वह दूसरों के द्वारा खेती करवा कर अपना निर्वाह करते हैं, और उसके कारण आज भी कई लोग खेती के आधार पर अपना जीवन-निर्वाह करते हैं और जो दूसरा व्यापार है, उसका काम चलाते हैं। मतलब हम यह समझते हैं कि जमीन उन लोगों के पास हो चुकी है। जब राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत अलॉटमेंट के रूल्स बनायें, जब अनऑक्युपाइड लैण्ड के अलॉटमेंट के लिए अलॉटमेंट रूल्स बने उन रूल्स के अन्तर्गत में आपको यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो जमीन पर मेहनत करना चाहता है, जिस जमीन के लिए उसके पास एक भावना है कि वह उस जमीन पर मेहनत करेगा, लेकिन उसको जमीन नहीं मिल रही है, क्योंकि खुदकाश्त के तरीकों में हमने १६ ए में अमेंडमेंट किया। खुदकाश्त के कारण उन जमीनों पर बड़े-बड़े जागीरदारों और जमीदारों का कब्जा आज भी मौजूद है जिसके कारण हम ठीक तौर से उस जमीन का बंटवारा नहीं कर सके हैं, और भूमि-व्यवस्था के काम में असफल हुए हैं। मैं यह नहीं कहता कि बिल्कुल कामयाबी हासिल नहीं की। जनसंख्या की बढ़ोतरी में जरूर हमने कमाल किया है। इस बात को मैं मानता हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमको एक तरीके को सोचना चाहिए कि भूमि हम उन लोगों को नहीं दे सके जो लोग भूमि पर अपनी जिन्दगी बसर करना चाहते हैं, जो ज़िन्दगी के सारे काम में भूमि पर निर्भर करना चाहते हैं। उसमें हम भी दोषी हैं। सरकार की ओर अंगुली उठाने का काम नहीं है। हम लोग भूमि पर आधिपत्य ग्रहण कराने की बात सोचें। अच्छी-अच्छी जमीनों पर कब्जा करके हमने भूमि के वितरण के मामले में बाधाएं खड़ी की हैं। ऐसी हालत में भूमि के सम्बन्ध में अलॉटमेंट रूल्स में संशोधन करने के बारे में विचार करना होगा। इस मामले में सिंचाई विभाग के मन्त्री, इस मामले में सप्लाई विभाग के मन्त्री, इस मामले में कृषि-विभाग के मन्त्री, इस मामले में भूमि सम्बन्धी प्रबन्ध करने वाले मन्त्री, ये चारों मन्त्री एक जगह बैठकर इस बात पर विचार करें, कि राजस्थान की खाद्य-समस्या के बारे में क्या करना है ?

हमारे यहां तकावी के मामले में क्या

Page No.68

(श्री मूलचन्द डागा)

होता है ? आपके यहां तकावी के वितरण के मामले में कोई ठीक प्रबन्ध नहीं है । आपके यहां ग्राम पंचायतें हैं और वे जानते हैं कि इस ग्राम में किसके पास किस चीज़ की जरूरत है । जो प्रायोरिटी की लिस्ट इस बारे में होनी चाहिए यह आपके पास में नहीं है । वे जानते हैं कि इस गांव में कितने कूओं की जरूरत है । किस गांव में किस काश्तकार को कूए के लिए पैसा मिलना चाहिए, किस गांव में किस काश्तकार को बैल के लिए पैसा मिलना चाहिए, वे इसको अच्छी तरह से जानते हैं । अगर इस तरह की लिस्ट आपके पास में नहीं है तो तकावी का ठीक वितरण नहीं होगा । आज वही किसान बोल सकता है जिसने तहसील का मुंह देखा है, जिसने बड़े-बड़े आदमीयों से जान-पहचान कर ली है । वह तो बेचारा चला जाता है, और जाकर दरवाज़े को खटखटाता है, लेकिन तकावी के प्रश्न में आपने जो रूल्स बनाये हैं उनसे बड़ी लम्बी-चौड़ी बातों के बाद में तकावी का वितरण होता है । आपने लिखा है कि २५०) रु० एक बैल की जोड़ी के लिए तकावी दी जाय । लेकिन इस २५०) रु० में नागौर के बैल नहीं मिलेंगे । उसे उस जगह के बैल मिलेंगे जो २५०) रु० में मिल सकते हैं । लेकिन उन २५०) रु० के लिए उसे कितने दिन भटकना पड़ेगा । आपको वितरण के मामले में गांव की पंचायतों के क्षेत्रों को ऋण-वितरण की समस्या के हल के लिए नये तरीकों को लाना होगा, अन्यथा २५०) रु० में काश्तकार के घर में मुश्किल से २००) रु० पड़ते हैं, और ५०) रु० और कहीं जाते हैं यह आप निर्णय कर सकते हैं । तकावी के मामले में आप एलान करेंगे, आपके स्टेटिस्टिक्स यह निकालेंगे कि हमने तकावी के मामले में इतने लाख रुपये वितरण किये, और इन आंकड़ों के आधार पर हमारे मन्त्रिगण इसका उत्तर देते हुए कहेंगे कि ताकावी के लिए १० लाख रुपया वितरण किया । बड़े लम्बे-चौड़े आंकड़े हैं । वे अखबारों की चोटी पर आयेंगे, लेकिन वास्तव में १० लाख में से उन काश्तकारों के पास कितना पहुँचता है और कितना नहीं पहुंचता है ? जिन काश्तकारों को बैलों के खरीदने की जरूरत है उनके पास कितना पहुँचता है ? ये सब बातें अशोक मेहता की रिपोर्ट के आधार पर नहीं, बल्कि अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ । तहसीलदार जिसके नाम पर रख छोड़ा है कि १२० दिन तक दौरा करें साल भर में गांवों का और अपने साथ साथ वह सिंचाई विभाग के ओवरसियर को लेकर, विलेज़ लेवल वर्कर को लेकर इनका संगठन बनाकर गांव-गांव में जाय, और ज़मीन का चप्पा चप्पा देखने की कोशिश करें कि किस काश्तकार के पास बैलों की जोड़ी नहीं हैं और एक लिस्ट बनावें उस फाइनेलाइज्ड लिस्ट के आधार पर तकावी का वितरण किया जाय वह पंचायत क्षेत्र में हो न कि काश्तकार रिपोर्ट लेकर दर दर मारा-मारा फिरे । तो तकावी वितरण की जो समस्या है, काश्तकार को जो तकावी देना चाहते हैं २५०) रुपये के आधार पर उसको तहसील में जाना पड़ेगा और ५००) के लिए एस. डी. ओ. के पास जाना पड़ेगा । क्या तरीका है आपके पास ? क्योंकि जो हमारा कर्मचारी वर्ग है उसके आँउटलुक में अभी रद्दोबदल नहीं हुआ है । जमाने के साथ उन्होंने यह नहीं समझा कि जमाने के साथ बदलना चाहिए, क्योंकि काश्तकार तहसीलदार के पास जाता है तो उससे कहा जाता है कि सरपंच की तस्दीक

Page No.69

कराओ. और जब तस्दीक करने जाता है तो सरपंच साथ में आता है उसका खर्चा उसको बरदाश्त करना पड़ता है। फिर वहां

(श्री मूलचन्द डागा)

पर पिटीशन राइटर बैठा रहता है उसको वह दो रुपये भेंट करता है, फिर वह क्लर्क महोदय से बात करता है तो वहां पर उसको मुजरा देना पड़ता है, लागबाग देनी पड़ती है उसके बाद तकावी के नाम पर उस काश्तकार को तकावी मिलती है, जो काश्तकार अपनी जमीन की उन्नति के लिए तहसीलदार के के दरवाजे खटखटाता है, तो तीन महीने के बाद जब कि फसल का टाइम चला जाता है उसके बाद में उससे कहा जाता है कि तुम्हारी तकावी मौजूद है। उसको अब बैल की जरूरत नहीं है तो इस रुपये को दादा के मौसर पर खर्च किया जायगा। वे राजस्थान सरकार की जय बोलेंगे। राजस्थान सरकार ने हमारे खाद्य की उन्नति में तो सहयोग दिया हो या न दिया हो लेकिन उसने हमारे बाप-दादों के मौसर में तो जरूर सहयोग दिया है। तो सवाल यह है कि आप की तरफ से रुपये वितरण किये जाते हैं वे सही रूप से होते हैं या नहीं। मैंने देखा है कि सिंचाई योजना में आपकी तरफ से लाखों रुपये खर्च किये गये हैं। सिंचाई विभाग के ओवरसियरों और इंजीनियरों से मैंने बात की है। एक एम० एल० ए० उनसे बात करे, इन्वेस्टिगेशन ऐसा शब्द है जिसका मतलब कुछ और लिया जा सकता है। मैं पाली तहसील में सिंचाई पर जो खर्चा हुआ उसका वर्णन करना चाहता हूं। इसमें छोटे-छोटे कई नदी-नाले हैं जिनके कारण सिंचाई की छोटी-छोटी योजनाएं काफी सफलीभूत हो सकती हैं। यहां की जमीन उपजाऊ है, काली और चिकनी मिट्टी है लेकिन वहां पर सिंचाई योजना नहीं बन सकती। वहां की सिंचाई योजना पर पैसा खर्च किया जायगा जहां पर सिंचाई के लायक जमीन नहीं है। इसका कारण क्या है? सर्वे और इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ५७ में, ५८ में, ५९ और ६० में सर्वे और इन्वेस्टिगेशन होता रहेगा। कलेक्टरों के पास लघु-सिंचाई के लिए जमीन नहीं है चाहे लघु योजना चालू करनी है। तालाब ठीक करने हैं तो कलेक्टर की राय होनी चाहिये, एम. एल. ए. की राय होनी चाहिये ओवरसियर, इंजीनियर आदि एक जगह बैठकर विचार करके काम शुरू कर दें तो काम हो सकता है, लेकिन होता क्या है कि जोधपुर उदयपुर से कागज़ चले, कई जगह होते हुए जयपुर पहुँचे और योजना शुरू होने में १२ महीने लग गये। लघु-सिंचाई योजना में लाखों रुपये खर्च हुए है और वे ऐसे तालाबों पर खर्च हुए हैं जिनके द्वारा सिंचाई नहीं होती है, लेकिन नाम हो जाता है कि लाखों रुपये हमने इन तालाबों पर खर्च किये हैं लेकिन यदि कोई जांच करे तो मालूम होगा कि इन तालाबों से सिंचाई हो नहीं सकती लेकिन इसके नाम पर पैसा खर्च किया जा रहा है, तालाबों की मरम्मत हो रही है। नागौर में कुछ जमीन पर काश्त हो जाती है लेकिन इससे हमारा एम और ऑब्जेक्ट है वह पूरा नहीं होता है। कूओं की तरक्की हो, जैसा कि मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा मैं भी इसी बात को मानता हूं।

तकावी-वितरण के मामले में अब आप अच्छा बीज देना चाहते हैं। आपने एक ऑर्डर निकाला था कि एम० एल० ए० के दस्तखत भी होने चाहिये। आपके सिविल सप्लाईज के द्वारा बीज खरीदे जाते हैं लेकिन अधिकांश गांवों में हो बीज खरीदते हैं कौन

समझता है कि अच्छा है या नहीं ? न तो हम समझते हैं कि बीज अच्छा है या नहीं। उस पर भी हमारी साख डल जाती है।

(श्री मूलचन्द डागा)

आज हम जानते हैं कि यह मूल बीज नहीं है, अच्छा बीज नहीं है। बाजार से खरीद कर काश्तकारों को बतलाया जाता है कि तुमको बीज दिया जाता है। न तो ग्राम पंचायत के सरपंच आते हैं और न कोई यह मानता है कि इस व्यक्ति विशेष को बीज की जरूरत है। जो मूल बीज के वितरण का तरीका है हरेक आदमी यह कहने लगा कि राजस्थान सरकार कुबेर का खज़ाना है यहां से खूब बीज मिलता है चाहे जो काश्तकार वहां से बीज के लिये पैसा ले जाता है अपनी सुविधा के अनुसार। लेकिन हम यह बताना चाहते हैं कि आपका वितरण का जो तरीका है वह ठीक नहीं है। आपको करना यह चाहिये कि किसी जिम्मेवार ऑफिसर को स्पोट पर भेजें और जिसको जरूरत हो उसको वहीं पर दे देना चाहिये। इसके बजाय आप करते क्या हैं कि बीज मांगने वाले की जमानत मांगते हैं। जिस आदमी के पास जमीन है, जोड़ी है, उसको भी कहते हैं कि जमानत लाओ। अब वह जिसकी जमानत पेश करेगा वह उसके १० रुपये ले लेगा और १० रुपये हकूमत के लोग ले लेंगे। बीस रुपये खर्च करने के बाद उसको बीज मिलेगा। काश्तकार सोचते हैं कि चलो बीज मुफ्त में मिलता है। आप उनसे जमानत क्यों मांगते हैं। एक अभियान के रूप में समस्या का हल करना चाहते हैं तो आपका फर्ज होता है कि जमानत नहीं लेनी चाहिये और जिसके पास भूमि है उसको खातेदार मानकर परमानेन्टली उसको भूमि अलॉट कर दें उसको मेड़ लगाने का अधिकार दे दें, उसका कुआ टीक कर दें और फिर उसको बीज दे दें, बिना जमानत के तो आपको गांव-गांव में छोटी-छोटी कमेटियों का निर्माण करके बीज का वितरण करना होगा।

अब आता है कर्ज का सवाल। इसके लिये सहकारी समितियां कायम की जायं। चीन की प्रणाली और दूसरी सारी प्रणालियों को लेकर करें तो चीन ने इसमें सफलता प्राप्त की है। लेकिन सवाल यह सोचने का है कि हमारे यहां क्या हो ? अब जहां कर्ज का सवाल है। वहां बड़े-बड़े लोग सहकारी समितियों में भाग लेते हैं। मैंने देखा है कि १०. १५. लोगों की सहकारी समितियां बनाती हैं उनमें काश्तकार नहीं हैं और जो काश्तकार हैं उनको पैसा मिलने वाला नहीं है, और जिनको पैसा मिलता भी है उनको समय पर कभी नहीं मिलता, तो इन सहकारी समितियों से जो ऋण लेना चाहते हैं, उनको ऋण मिलता नहीं है, और जब वे यहां ऋण नहीं ले सकते तो महाजनों से लेते हैं। महाजनों के लिए एक्ट निकला है। काश्तकारों को सहायता देना चाहते हैं, लेकिन किसान अनपढ़ हैं, जब आसमान गरजता है, जमीन पैसा मांगती है तब वे पैसा ब्याज की ऊंची दर पर भी लाते हैं। इसलिए अगर ऋण देने की समस्या को हल करना है तो तहसीलदारों को रकम लेकर किसानों के पास पहुँचना चाहिये और पंचायतों के स्थान पर वितरण होना चाहिये।

(कई सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री मूलचन्द डागा (जारी) तो मैं आपके सामने दो चीजें जो अशोक मेहता की रिपोर्ट में हैं वह पढ़ना चाहता हूं और बताना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार जो आज

दिन खाद्य समस्या पर विचार कर रही है, चाहे आप कितने ही अच्छे आंकड़े दें और आपको अच्छे आंकड़े देने का अधिकार है,

(श्री मूलचन्द डागा)

लेकिन जो दूसरा रूप है और देना चाहते हैं और आपका विचार यह था कि हम इसको किसी पार्टी का सवाल न बनाकर सामुहिक दृष्टि से विचार करें, चाहे किसी पार्टी के सदस्य हों, और सोचना है कि खाद्य-समस्या को सुलझाने में राजस्थान सरकार को कितना योग दे रहे हैं। इसमें कोई सदस्य चाहे किसी भी पार्टी का हो, जहां तक खाद्य-समस्या को हल करने का सवाल है उसको योग देना चाहिये। इसके लिये केवल सरकार ही की जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए अशोक मेहता ने जो पैराग्राफ अपनी रिपोर्ट में लिखे हैं उस तरफ आपका ध्यान सिलाना चाहता हूँ :

The gravity of food demands national efforts transcending regional and party considerations given a sympathetic policy and helpful administration, I have no doubt that our cultivators are capable of greatly accelerating production. If India can become the pacesetter in coustructing major irrigation projects in the world is no reason to beleave that her agriculturists can not match the strides of her engineers. What is needed is a sense of urgency and mobilisation of popular energies on a national scale."

अब हम केवल आलोचक की दृष्टि से देखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो फूड प्रोब्लेम है, उसके लिए आप चाहें कि टीका-टिप्पणी के आधार पर, केवल आलोचना के आधार पर, राजस्थान सरकार को कहें कि वह खाद्य समस्या के मामले में सफल नहीं हुई है, मैं आपके द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि खाद्य-समस्या को हल करने के लिए आवश्यक है कि सुधरे हुए बीज के सवाल को, अच्छे तरीके से खेती करने के सवाल को, अच्छे तरीके से काश्त करने के सवाल को, तकावी देने के सवाल को हम इस समस्या को को देखते हुए हल करें, तभी हम इस काम के अन्दर सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीभानसिंह।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : At the outset, I must thank the Hon'ble Chair......

श्री दयाकृष्ण विजय : आपने कहा है कि दो सदस्य उधर से बोलेंगे, एक इधर से बोलेगा, आपने उस क्रम को तोड़ दिया।

एक माननीय सदस्य : विरोधी दल से चार सदस्य पहले बोल चुके हैं।

श्री अर्जुनदास : आपने टाइम चार गुना ले लिया है।

श्री श्रीभानसिंह : Mr. Deputy Speaker, Sir, I definitely came with this opinion that to day the Hon'ble Minister will give out a statment in this House on the food policy of the Government.......

एक माननीय सदस्य : हिन्दी में बोलिये।

श्री श्रीभानसिंह : If you do'nt understand, the Hon'ble Member, it is not my fault. फिर भी कोशिश करता हूं.. मैं इस विचार से आया था कि आज राजस्थान में जो फूड पॉलिसी है, उसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी बतलायेंगे मगर मैं यह कहूं कि जो उन्होंने बताया सदन के अन्दर, उसमें मुझे को कम से कम कोई फूड पॉलिसी

(श्री श्रीमानसिंह)

की झलक दिखाई नहीं दी, और मैं यह भी बताऊं कि इस वक्त, जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट का रेफरेन्स दिया, वह मुझे भी याद आई और अशोक मेहता का ही रिमार्क याद आया कि हमारी जो फूड पॉलिसी है वह रिप वान विन्कल के हाथ में है। मैं कोई माननीय मंत्री के लिए डिस-रेस्पेक्ट नहीं करना चाहता, मगर मैं यह कह देना चाहता हूं कि जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने इस फूड पॉलिसी को टेकल किया है, वह ठीक तरह से टेकल नहीं किया है। अब ऐसी जरूरत है हमारे राजस्थान के अन्दर इस फूड पॉलिसी को एक बड़ी टॉप प्रायोरिटी दी जाय या ऐसे माननीय मंत्री को सौंप दी जाय जो कुछ कॉन्फीडेन्स एस्पायर कर सकें, जिसके अन्दर काश्तकार और ट्रेडर्स एक सा कॉन्फीडेन्स रिपोज़ कर सकें। जैसा मैंने पहले कह दिया, मैं माननीय मंत्री की कोई डिस-रिस्पेक्ट मीन नहीं करता, मगर कॉन्फीडेन्स माननीय मंत्री जी एस्पायर नहीं कर सकें, वह कॉन्फीडेशन रिपोज नहीं कर सकें, क्यों? वह मैं आगे बताऊंगा। उन्होंने जो फूड पॉलिसी का हवाला दिया, उसमें पॉलिसी नहीं थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं एक सर्मन सुन रहा था। "Love they neighbour as thyself" इस तरह के सर्मन कहां तक हमारे राजस्थान की खाद्य-समस्या को हल करेंगे और कहां तक हमारे देश की समस्या को हल करेंगे, यह नहीं कह सकता। मगर मैं उनको यह निवेदन करना चाहता हूं 'Look home ward danger' हमारे राजस्थान में क्या हो रहा है? हम सारे देश के लिए जब सोचें जब कि देश के पहले राजस्थान की स्थिति अच्छी हो। अब जैसा कि मैंने पहले कहा माननीय मंत्री जी के वक्तव्य से कोई हमारी फूड पॉलिसी की, जो राजस्थान गवर्नमेन्ट ने पहले प्लान में फॉलो की थी या दूसरे प्लान में फॉलो कर रही है, बेअर-आउट लाइन नहीं मिली। मैं कुछ कोशिश करूंगा सदन को बतलाने के लिए कि अब तक हमारी गवर्नमेंट की क्या फूड पॉलिसी रही है। मुझे यह भी कहना पड़ेगा कि जो फूड पॉलिसी रही है, और जिस जिस तरह से हम फेल्योर रहे हैं, उनसे हमने एक्सीपीरियन्स ग्रहण नहीं किया कि हम किस तरह कन्क्लूज़न पर आ सकते हैं। मैं १९५०-५१ से शुरू करूंगा, जब कि पहला फाइव इअर प्लॉन बनाया था। उसके अन्दर हमने कुछ समस्याओं के फूड एग्रीकल्चर के एक्सपेन्डीचर और टार्गेट्स रखे थे अपने अचीवमेंट्स के। उन टार्गेट्स को कहां तक फुलफिल किया है, कहां तक नहीं किया है, मैं माननीय मंत्री जी को बताऊंगा। पहला प्लॉन जिस समय इम्प्लीमेंट किया था, उस टाइम पर किया था, जब देश के अन्दर फूड की कमी थी। उस फूड की कमी होते हुए हमने प्लान बनाये, जब कि हमें करना चाहिये था कि फूड की कमी होते हुए हमने प्लान बनाये। जब कि हमें करना चाहिये था कि हम फूड पॉलिसी ले डाउन करें, फूड की स्केअरसिटी को कम्बेट करें। पहले मैं १९५०-५१ का जिक्र करूं, उस समय हाई प्राइसेज़ थीं, उस समय प्लॉन इम्प्लीमेंट किया तो थोड़ी प्राइसेज कम आई। माननीय मन्त्री जी ने रेफरेन्स दिया कि १९५३-५४ में हमने अपना टार्गेट अचीव कर लिया था। मैं मानता हूँ कि १९५३-५४ में टार्गेट अचीव किया था, लेकिन आपने नहीं देखा कि किस वजह से किया था? आपके एफर्ट्स की वजह से वह नहीं हुआ, मगर मानसून उस समय अच्छे थे और इसलिए कल्टीवेशन अच्छी हुई थी, इसलिए टार्गेट को अचीव कर लिया

(श्री श्रीभानसिंह)

और टार्गेट को सरपास कर लिया। मगर जब आपने पॉलिसी शुरू की, तो हाई प्राइसेज़ एकदम लो प्राइसेज़ पर आ गई और राजस्थान गवर्नमेंट के माननीय मन्त्रीजी ने कनफ्यूज्ड एटीट्यूड ले लिया। १९५३-५४ में भाव नीचे गिर गये और १९५५-५६ तक नीचे रहे। उन्होंने कोशिश की भावों को ऊपर ले जाने की, वे ऊपर नहीं जा सके। और प्लॉनिंग डिपार्टमेंट के होते हुए, स्टेटिस्टिशिम होते हुए भी गवर्नमेंट ने कन्क्लूज़न नहीं लगाया। १९५६-५७ से भाव ऊपर हुए आप प्लॉन शुरू कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फूड पॉलिसी को पूरा करने के लिए फूड प्रॉब्लेम को हल करने के लिए, मगर भाव ऊंचे हैं। मैं आपको बताऊं कि १९५३-५४ में आपको स्टॉक रिप्लेनिश करना चाहिये थी जिस समय प्राइसेज़ लो थी, क्योंकि आखीर आप सोच नहीं सकते कि १९५५-५६ में क्या होगा? आपने फ्यूचर के लिए कुछ नहीं रखा। नतीजा यह होता है कि सेन्ट्रल गर्वनमेंट ने फेयर प्राइसेज़ फिक्स की, १९५४-५५ में, मगर किसी आदमी ने गेंहू सरकार को नहीं दिया। उसी तरह से ये प्राइसेज़ १९५३-५४ से १९५५-५६ तक नीचे रहीं और १९५५-५६ में प्राइसेज़ नीचे रह कर १९५६-५७ में प्राइसेज रेज होती हैं। कहा यह जाता है कि फूड टार्गेट्स अचीव कर लिये, यह भी कहा जाता है कि हम सैल्फ सफिशियेन्ट हो गये, परन्तु सेल्फ सफीशियेंट १९५५-५६ में राजस्थान गर्वनमेंट हुई थी। मगर १९५६-५७में क्या होता है? इस साल फूड प्राइसेज़ रेज़ होती हैं और इतनी रेज हो जाती वे कि आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। १९५३-५४ में जब अनाज सस्ता था तो न राजस्थान गर्वनमेंट ने स्टॉक रखा और न सेन्ट्रल गर्वनमेंट ने स्टॉक रखा, इसके साथ ही जब आपने १९५४-५५ में स्थिति अच्छी देखी तो कन्ट्रोल राशनिंग सिस्टम, लाइसेंसिंग ऑर्डर थे, उनको रद्द कर दिया। आपने सोचा कि इसकी जरूरत नहीं है लेकिन जरूरत १९५५ में ही पड़ गई १९५५ में आपने पॉलिसी ले डाउन की और राजस्थान से, इन्डिया से, ग्रेन एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जब आप सैल्फ सफिशियेन्ट हुए नहीं, एक्सपोर्ट करते जा रहे हैं और अब प्राइसेज़ रेज़ होती है तो उनको फ्लक्चुएट नहीं कर सकते। फर्स्ट प्लॉन में जब प्राइसेज वायलेन्टली फ्लक्चूएट हुई और आज इतनी ज्यादा बढ़ गई तो न तो आप बोटम से प्राइसेज को कन्ट्रोल कर सके और न पीक साइड से कंट्रोल कर सके। फर्स्ट प्लॉन में जो प्राइसेज लो हुई, वह आपके विदाउट एफर्ट्स लो हुई। जिस जिस तरह फर्स्ट फाइव इअर प्लॉन के लोस्ट था इअर्स में मेनेन्टम गेदर किया और आदमी की इन्कम बढ़ी, आदमी की इन्कम बढ़ी तो कन्ज़म्शन बढ़ा, तो उसका असर फार्मिंग पर पड़ा और कन्ज़म्पशन बढ़ा तो जो १९५६ के टार्गेटस थे, वे इनसफीसियेन्ट थे, और इनसफीसियेन्ट टार्गेट्स होने की वजह से प्राइसेज रेज हुई। यह सब इसलिए हुआ कि जो फर्स्ट फाइव इयर प्लॉन के लासेन्स थे, उनको हमने अपने सामने नहीं रखा और कंट्रोल कर दिया आपने एक नारा शुरू किया था, और वह फूड पॉलिसी का यह नारा था, सैल्फ सफीशियेन्सी। इस सदन के माननीय सदस्यों ने सैल्फ सफीशियेन्सी की बात माननीय गवर्नर महोदय से १९५३-५४ में सुनी। उसी सेल्फ सफीशियेन्सी को देखें तो आप उस नारे को धीरे धीरे चेंज करते हैं और अब नारा उठाया है रिलेटिव सेल्फ सफीशियेन्सी अब आप देखिएगा कि रिलेटिव सेल्फ सफीशियेन्सी अचीव नहीं होती है, तो जो फर्स्ट

(श्री श्रीमानसिंह)

फाइव इअर प्लॉन के जो लेसन्स हैं, जो प्राइसेज़ में फ्लक्चुएशन हैं, उनको ध्यान में रख कर गवर्नमेंट को प्लान ड्रा करना चाहिए था, मगर सेकिंड फाइव इअर प्लॉन को उन लेसन्स पर ड्रा नहीं किया। सेकिंड फाइव इअर प्लॉन में कहा था कि प्राइसेज़ स्टेबिलाइज नहीं हुई हैं, बढ़ी हैं, सेकिंड प्लान में राजस्थान सरकार प्राइसेज़ को स्टेबिलाइज़ नहीं कर सकी हैं, प्राइसेज़ फ्लक्चुएट हुई हैं। अब हमें यह देखना चाहिए कि फर्स्ट प्लॉन में किस ग्रुप की इन्कम पर असर किया। मैं थोड़े वर्ड्स के अन्दर बता दूं कि न तो काश्तकार को फायदा हुआ वाइलेन्टली फ्लक्चुएशन से, न मिडिल क्लास को फायदा हुआ, न लैंडलेस ट्रेडर्स को फायदा हुआ और न राजस्थान सरकार को हुआ। जब फर्स्ट फाइव इअर प्लॉन के हमारे पास लेसन्स मौजूद थे तो सेकिंड फाइव इअर प्लॉन में उन्हें युटिलाइज करना चाहिए था। जिस समय हमने देखा कि उत्पादन बढ़ा है और फ्लक्चुएशन हुआ है तो युटिलाइज़ क्यों नहीं किया। फर्स्ट फाइव इअर प्लॉन के इम्प्लीमेंटेशन के साथ ही जो फूड पॉलिसी में कॉन्सीक्वेन्सेज आए, १९५६-५७ में प्राइसेज़ रेज हुई, वे कॉन्सीक्वेन्सेज़ क्यों हुए, क्योंकि जिस तरह इम्प्लीमेंट करना चाहिए उस तरह नहीं किया। अब राजस्थान गवर्नमेंट की जो ५१-५२ से लगा कर ५६-५७ तक पॉलिसी रही है, उसको देखना चाहिए। उस पॉलिसी को दो हिस्सों में डिवाइड करना है, शॉर्ट टर्म पॉलिसी में और एक दूसरे लॉंग टर्म पॉलिसी में। पहली जो शार्ट टर्म पॉलिसी है उसमें डिस्ट्रीब्युशन की पॉलिसी आती है और लोंग टर्म पॉलिसी में प्रोडक्शन की तरह के एवरी मेजर ऑफ रिफोर्म्स आते हैं। डिस्ट्रिब्यूशन की पॉलिसी की शुरूआत करते हैं कन्ट्रोल से कन्ट्रोल को कन्टिन्यू रखते हैं, लाइसेन्सिग ऑर्डर भी लागू रखते हैं, ५३-५४ में एब्रप्टली उठा लेते हैं। इससे क्या हुआ? जो थोड़ा बहुत सरप्लस होल्डिंग में रखा था वह बाहर आया। पर इससे कुछ नतीजा नहीं हुआ, ५५-५६ के फीगर्स देखेंगे तो पता चलेगा कि...

३.१ म. प.

(श्री आबिदअली, सभापति, पदासीन) : हमारी इकोनोमी में ऐसा था कि हम समस्या का हल नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन बन्द होने से प्राइसेज़ ज्यादा होती गई। प्राइसेज़ ज्यादा चली जाती हैं। यदि रिप्रोडक्शन नहीं होता, हमने एक्सपोर्ट अलॉऊ कर दिया, लाइसेंसिंग ऑर्डर विथड्रा कर लिए, फ्री ट्रेड शुरू कर दिया, वहां स्पेक्युलेटिव एलीमेंट्स फिर आगे आते हैं और होर्डिंग शुरू कर देते हैं, उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। और इस तरह गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया की डिस्ट्रीब्यूटिंग साइड की पॉलिसी थी वह फेल रही, चाहिये यह था कि हम सर्मन्स छोड़ते, कन्क्लूजन्स ड्रा करते, जो लैसन हमारी इकोनामी देती है, उसको प्रेक्टीकल रूप देते। अशोक मेहता ने कहा-स्वर्गीय किदवई का मतलब यह कभी नहीं था एक दम कंट्रोल तोड़ दें, लाइसेंसिंग ऑर्डर्स एक दम ड्रा कर लें, फ्री ट्रेड शुरू कर दें, वह धीरे-धीरे कन्ट्रोल को तोड़ना चाहते थे, और सेल्फ सफिशियेन्सी अचीव करना चाहते थे। सेल्फ सफिशियेन्सी अचीव नहीं हुई इसलिए महंगाई बढ़ी।

राजस्थान सरकार ने ग्रो मोर फूड कम्पेन चालू किया उससे कोई नतीजा हल नहीं हुआ, अगर इसका डिस्ट्रिक्टवाइज ब्यौरा दूं

(श्री श्रीमानसिंह)

तो सदन का ज्यादा समय लूंगा। 'ग्रो मोर फूड कम्पेन' में न आप इम्प्रूव्ड वेरायटी ऑफ सीड्स दे सके, जो टार्गेट आपने फिक्स किया था वह अचीव नहीं कर सके तो उस ग्रो मोर फूड कम्पेन को छोड़ा और पॉयलेट प्रोजेक्ट्स शुरू किये, उससे भी कोई मतलब सोल्व नहीं हुआ तो उनको भी छोड़ा और उनको कन्वर्ट किया कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में। स्टार्ट इस बात से करते हैं कि फूड सेल्फ सफिशियेन्सी अचीव करना है और नतीज़ा यह होता है कि कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट में एन० इ० एस० ब्लॉक्स शुरू करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर जोर नहीं देते और नतीजा यह होता है कि वे टार्गेट्स अचीव नहीं होते हैं जो राजस्थान गवर्नमेंट ने फिक्स किये थे। राजस्थान गवर्नमेंट ने जो टार्गेट्स फिक्स किए थे वे अचीव नहीं होने पर अपनी पॉलिसी कोई रिवाइज़ करते हैं और सर्कुलर भेजते हैं कि इसको चैंज करो। किसी बेसिस पर टार्गेट्स नहीं बनाये। ग्रो मोर फूड केम्पेन, पॉयलेट प्रोजेक्ट्स कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट्स और एन० इ० एस० ब्लॉक्स से कहां तक सफलता मिली इसको तो मन्त्री महोदय बतायेंगे, पर राजस्थान गवर्नमेंट ने जो टार्गेट्स फिक्स किये थे वे अचीव नहीं किये इसलिए प्राइसेज़ बढ़े, इस कन्क्लूज़न पर तो हर एक आदमी देख सकता है।

अब मैं उन टार्गेट्स के लिए बताऊं कि जो टार्गेट्स फिक्स किये, हमने कभी यह नहीं देखा कि जो प्लॉन, प्लानिंग स्टार्ट करते हैं, स्टेबल यूनिट ऑफ कन्ज़म्प्शन लिया जाय। ५१ में १६० लाख आदमी थे, अगर वे ही लोग खायेंगे तो वे खाते रहेंगे पर जब फूड पॉलिसी निर्धारित करना है तो यह सीधी सी बात है कि हमें यह देखना होगा कि किस रेट पर जन संख्या बढ़ती है। ५१ में क्लीयर हो गया था कि खाद्य-समस्या किस प्रकार खराब होती जा रही है, माना कि १५ से ४४ की एज ग्रुप में १६५१ में आदमी बहुत ज्यादा तादाद में हैं तो उनका इफेक्ट हमें इकोनोमी पर देखना था, उनकी रिप्रोडक्टिव एज के कितने हैं, १४ की एज ग्रुप के कितने हैं, २५ से ज्यादा ३४ एज ग्रुप की कितनी पोपुलेशन है, उसको केल्कुलेट करते और बाद में लगाते कि रिप्रोडक्टिव रेट क्या होगी, स्टेण्डर्ड रेट जो है १.५ पर्सेंट एन्युअली बढ़ेगी पर हमारी पॉपुलेशन जो अब बढ़ रही है वह २ पर्सेन्ट है, तो फाइव पर्सेन्ट से तो यह खत्म हो गया आपका केल्कुलेशन। ग्रोइंग ओर्गेनिज्म की तरह हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। जब कभी एक आदमी की आमदनी बढ़ती है तो कन्ज़म्प्शन बढ़ता है, वेस्टेजेज़ भी बहुत होती हैं, व्याह शादी में वेस्टेजेज़ होती हैं, स्टोरेजेज़ में वेस्टेजेज होती हैं, और शीड्स में कन्ज़म्प्शन होता है। इन सबको केल्कुलेट करना चाहिए था। वह आप केल्कुलेट नहीं करते हैं।

आप एवरी इयर प्लान्स-टेम्पो क्रियेट करते जाते हैं। लास्ट थ्री ईयर्स में राजस्थान गवर्नमेंट ने फ्रेशर प्लॉन का पैसा खर्च कर दिया। टार्गेट्स अचीव हुए तो इससे लोगों को पैसा मिला होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला होगा, इससे कन्ज़म्प्शन बढ़ा, कन्ज़म्प्शन बढ़ने की वजह से और रीप्रोडक्शन बन्द होने की वजह से इसमें प्राइसेज़ राइज़ हुई, वह गवर्नमेंट कन्ट्रोल नहीं कर सकी। वह मिस्टेक हुई, इसी की वजह से माइनस टार्गेट पर हमारा खर्चा चल रहा है। कहा गया कि १० पर्सेन्ट अचीव कर चुके हैं ५ पर्सेन्ट आगे कवर कर रहे हैं, पर राजस्थान गवर्नमेंट ऑल ओवर अटेक रहेगी, तमाम वर्क्स को एक साथ अन्डरटेक करेंगी, ठीक है इससे टार्गेट

Page No.76

(श्री श्रीमानसिंह)

अचीव कर सकते हैं पर उस मोमेंटम को भी तो गेदर करना है। सेकंड फाइव ईयर प्लान के लास्ट थ्री ईयर्स के अन्दर अन्दर अपने प्रोब्लम्स पर अटेक करते हैं तो इसका वही इफेक्ट होगा जो आज हो रहा है। जिस आदमी को पूरी केलोरीज़ नहीं मिलतीं, पूरा खाने को नहीं मिलता, जब आप उसकी आमदनी एक दम बढ़ाते हैं तो ओटोमेटिकली उसका कन्ज़म्प्शन बढ़ेगा और आपके टार्गेट्स अचीव नहीं होते। आपने पर्सेन्ट का टार्गेट तो अचीव कर लिया पर वह अन्सक्सेसफुल साबित होता है और फिर वही लाइसेंसिंग ऑर्डर और कन्ट्रोल करते हैं।

जैसा मैं कह रहा था कि १६५६-५७ में आपके टार्गेट एचीव नहीं हुए और आपको अपनी जरूरत के लिए ग्रेटर पोर्शन अनाज का जो करीब ४ पॉइन्ट सर्टेन मिलियन्स था बाहर से मंगाना पड़ा। जब आपका टार्गेट एचीव नहीं हुआ तभी तो गवर्नमेंट को ४.७ मिलियन इम्पोर्ट करना पड़ा। वह पी० एल० डब्ल्यू० से, बर्मा, कनाड़ा, आस्ट्रेलिया आदि से आया। प्राइसेज़ क्यों बढ़ीं ? इसका कारण यही था कि जहां पर स्टॉक इकॉनोमी का फुल फायदा प्लॉनिंग से मिलना चाहिए था नहीं मिला और वह तो लास्ट थ्री ईयर्स से मिलता है। वह आपकी प्राइसेज़ के लिए बड़ा कुशल होता है कि आपकी इकॉनोमी भी सेव हो जाती है और वे जो फर्स्ट प्लॉन के लैसेज़ थे वे सेकंड प्लानिंग में इवेन्चुअली फेस नहीं कर पाये।

जिन फेअर प्राइसेज़ शॉप्स के लिए माननीय मंत्री महोदय ने कहा उस पर मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। मगर जो गवर्नमेंट का आइडिया है, जो सरकार के सिद्धान्त है, प्रिंसिपल्स हैं उनको माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में सदन में बताये और उन दोनों में इतनी कन्ट्रोवर्सी दिखाई देती है कि वे एक दूसरे के कन्ट्राडिक्ट्री हैं। मैं उनको सुन कर ताज्जुब करता हूँ कि जो सरकार सोशल पेटर्न पर चलने वाली है, अपने आपको कल्याणकारी राज्य की सरकार कहती है और जिस समय वह सरकार फेअर प्राइसेज़ शॉप खोलती है तो उसके कोई सिद्धांत नहीं, उसके सामने कोई आइडिया नहीं। सबसे पहले तो फेअर प्राइसेज शॉप 'नो गेन एण्ड नो प्रोफिट' बेसिस पर होनी चाहिए जिसको माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है। इसके अलावा वहां पर किन व्यक्तियों को अनाज मिलने की व्यवस्था होनी चाहिए? माननीय मन्त्री महोदय ने स्वयं इस बात को एडमिट किया है कि मैंने भी फेअर प्राइसेज़ शोप से गेहूँ मंगवाये थे। आपको हजार रुपये मिलते हैं आप भी वहां से खरीदते हैं। फेअर प्राइसेज़ शॉप तो उन लोगों के लिए होनी चाहिए जिनको ५०) या ६०) रुपये मिलते हैं। हजार रुपये और ५००) मिलते हैं उनके लिए फेअर प्राइसेज़ शॉप नहीं होनी चाहिए। फेअर प्राइसेज़ शॉप से सरकार का यही आइडिया होगा कि उन आदमियों को फायदा मिले जिनकी पे कम हो या मिडिल क्लॉस मेन हों या लेबर क्लास हों। मगर देखा यह जाता है कि वहां से लेते कौन लोग हैं, जो ४००), ५००) रुपये व हजार रुपये की तनख्वाह पाते हैं। मिडिल क्लॉस और लेबरर को मिलता नहीं है। यह क्या इक्वीटी है ? क्या यह जस्टिस है ? आप खुद समझ सकते हैं कि लो-इन्कम वालों में ही तो यह हार्डशिप है और उन्हीं को मिटाने के लिए आपने फेअर प्राइसेज़ शॉप खोली हैं। फेयर प्राइसेज़ शॉप खोलना लेकिन वहाँ पर क्वान्टिटी

(श्री श्रीमानसिंह)

का कोई प्रश्न नहीं है। मगर जिस मकसद के लिए वे दूकानें खुलती हैं उसका वह मकसद वास्तव में एचीव होता है या नहीं, यह देखने की बात है, जो कि नहीं होता है। आपने बताया कि वहां पर अनाज लोग लेने के लिए नही आते। प्रश्न यह है कि जो फेयर प्राइसेज़ शॉप खोली हैं वहां लेने वाले किस ग्रुप के लोग आते हैं और किस ग्रुप के लोग आने चाहिए इसके लिए आपने कोई रोक नहीं लगाई है, न कोई उनके लिए आइडेन्टीफिकेशन कार्ड मुकर्रर किए हैं, और न कोई इसके लिए इन्चार्ज रखा है जो इस बात को देखे कि उन्हीं लोगों को दिया जावे जिनके लिए ये दूकाने खुली हैं।

मैंने सुना है कि जिन लोगों को फेयर प्राइसेज़ शॉप आप देते हैं उस व्यक्ति को ६०) रुपये प्रतिदिन का लाभ होता है। जहां इस प्रकार का सिद्धान्त है कि फेयर प्राइसेज़ शाप "नो प्रॉफिट एण्ड नो लॉस" बेसिस पर रन करनी चाहिए तो फिर १४) रुपए पर देना और १४॥) पर उसका बेचना क्यों? इससे तो उसको साफ प्रोफिट होता है। इसमें तो गवर्नमेंट का मकसद यही होना चाहिए कि किसी प्रकार का किसी को गेन न हो। चाहे वह कोई दुकानदार हो, चाहे कोई गवर्नमेंट का मुकर्रर किया हुआ व्यक्ति हो। जो अनाज बेचता है उसको किसी प्रकार का प्रोफिट नहीं लेना चाहिए यह एक सिद्धान्त है और इससे लो ग्रुप इन्कम वालों को जो फायदा मिलना चाहिए. वह नहीं मिलता है।

अध्यक्ष महोदय, इस समय मैं डिस्ट्रिब्युशन और प्राडक्शन को छोड़ देता हूं। मगर मैं यह कहूंगा कि हर गवर्नमेंट को इस तरफ अपना ध्यान ड्रॉ करना चाहिए कि किस तरह से प्राइसेज़ स्टेबल रह सकती हैं। हमको चाहिए कि प्राइसेज़ में स्टेबिलिटी लावें और इसके लिए मेग्ज़िमम और मिनिमम प्राइसेज़ फिक्स करनी चाहिए। जब तक हम इकॉनोमी में प्राइसेज़ की गारन्टी काश्तकारों आदि को नहीं देते और नहीं करेंगे तो प्राइसेज़ को कन्ट्रोल नहीं कर सकेंगे। हाई प्राइसेज़ से भी बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्यों कि हाई प्राइसेज़ में कोई इस बात का रिस्क नहीं लेना चाहता कि न मालूम कब प्राइसेज़ कम हो जाएं। कोई व्यक्ति चने को गेहूँ की जगह प्रोड्यूस करता है, जब वह देखता है कि इसकी प्राइसेज़ हाई हैं। इससे होता यह है कि जो हमारा टार्गेट होता है वह कम हो जाता है। अगर किसी की कीमतें बहुत कम हो जाती हैं तो भी काश्तकार उस चीज को पैदा नहीं करता और दूसरी चीज़ उसके स्थान पर पैदा करने लग जाता है। इसलिए काश्तकार को न तो हाई प्राइसेज़ से गेन रहता है न लो प्राइसेज़ से। वह तो गेन तभी करेगा जब उसको यह मालूम हो जावेगा कि गेहूं का भाव १४ या १५ रु० मन है इससे तो नीचे नहीं जावेगा और इससे ऊंचा नहीं जावेगा। जब उसको इस बात का एश्योरेन्स रहेगा कि इतनी मेहनत करूंगा तो इतनी प्रोड्यूस हो हो जावेगी और जब इतनी प्रोड्यूस हो जावेगी तो जो माल मार्केट में जावेगा तो इतनी प्राइसेज फेच करेगा। इसलिए वह ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। प्राइस स्टेबेलाइजेशन से फूड पॉलिसी में कल्टीवेटर्स को बहुत फायदा है और वह तभी हो सकता है जब प्राइसेज़ को आप फिक्स करें। आप इसको न तो कन्ट्रोल से ठीक कर सकते हैं और न प्रोक्योरमेंट ऑर्डर से।

दूसरी बात यह है कि अशोक मेहता की

(श्री श्रीमानसिंह)

रिपोर्ट से मैं फुल्ली एग्री नहीं करता। मगर इसमें स्टेट को कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जब गवर्नमेंट ने फूड ग्रेन को प्राइवेट लोगों के हैंड में छोड़ रखा है तो जो हालत है उसको हमने देख लिया है। फ्री ट्रेड का नतीजा देख लिया। It it conspicuous by absence के नहीं कर सकें। हमें बराबर लो-इन्कम ग्रुप के लोगों को फायदा पहुंचाना है, प्रोडक्शन को फायदा पहुंचाना है तो हमें उसके लिए कुछ करना होगा। इस फायदे को यदि दूसरे लोग ले जाते हैं तो उसको रोकना होगा। यह जो कन्डीशन है उसको रोकने के लिए सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। जैसे फेयर काम नहीं कर सकती। फेयर प्राइसेज़ का हल करना चाहिए और इस तरह की जो सिचुएशन है उसको पेश करना चाहिए।

अब मैं थोड़ा सा इर्रिगेशन पॉलिसी व एग्रीकल्चर प्रोब्लम पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। आपकी इर्रिगेशन पॉलिसी और एग्रीकल्चरल प्रोब्लम है वह ठीक नहीं है और इसके साथ मुझे यह भी कहना पड़ता है, and it will be a waste of time to refer that omnipotent point of Mr. Ramkak, again कि फूड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपके पास कोई मशीनरी नहीं है। या जब आप फेयर प्राइस शॉप देते हैं प्राइवेट इण्डीविजुअल्स को, तो आप अपनी खामियों को एडमिट करते हैं कि हमारे पास फूड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई मशीनरी नहीं है और जो आपकी मेजर प्रोब्लम है उसको सोल्व करने के लिए किसी न किसी स्टेज पर तो आपको मशीनरी रखनी ही पड़ेगी। फूड एडवाइजर्स से कोई प्रोब्लम सोल्व नहीं होती। फूड एडवाइज़र कोई मशीनरी नहीं होता। आपको मशीनरी चाहेगी डिस्ट्रिब्युशन स्टेज तक। तो कोई मशीनरी नहीं, कोई चीज़ नहीं; फिर आप कन्ट्रोल कैसे करना चाहते हैं? क्या लाइसेन्सिंग ऑर्डर्स से? जिसको कहा जाय 'Penacira of all cures', that is the licensing order. लाइसेन्सिंग ऑर्डर्स, जिनके पास ५०० मन से ज्यादा गल्ला हो वह अपने आपको रजिस्टर्ड करायें, वह लाइसेंस लें। यह ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप लाइसेन्स किसको कराते हैं? आप उन्हीं को लाइसेन्स कराते हैं जो कि इसमें डील करते हैं। आपके राजस्थान में जितनी एग्रीकल्चरल लैण्ड है वह आपसे छिपी हुई नहीं है। तो मैं आपसे कहूं कि आप उनकी तरफ से क्यों आंख बन्द कर लेते हैं कि जिस आदमी के पास हजार-हजार और दो-दो हजार बीघा एग्रीकल्चरल लैण्ड है, तो जिनके पास इतनी लैण्ड है क्या उनके पास हजार दो हजार मन प्रोडक्शन नहीं होगा? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जिनके पास हजार-हजार और पांच-पांच सौ बीघा जमीन है उनको भी तो आप लाइसेंस दीजिए। जिस आदमी के पास हजार या पांच सौ बीघा जमीन है तो क्या उसके पास दो-चार हजार मन या इससे ज्यादा गल्ला नहीं होगा? मैं तो यह समझता हूं कि जब तक आप प्रोड्यूसर्स को लाइसेन्स नहीं करते तब तक यह जो अभी सिस्टम लाइसेंस का है यह फैल्योर ही रहेगा। मैं आपको भरतपुर के लिए कहता हूं कि एक तरफ तो आप लाइसेन्स देते हैं, एक तरफ आप फेयर प्राइसेज़ शॉप्स भी खोलते हैं और दूसरी तरफ राजस्थान गवर्नमेन्ट सीड के लिए टेन्डर्स इन्वाइट करती है कलेक्टरों द्वारा। तो उसी रोज मार्केट पर क्या नतीजा होता है कि जब लोगों को यह मालूम हुआ कि गवर्नमेन्ट को सीड की जरूरत पड़

(श्री श्रीमानसिंह)

रही है तो लोगों ने अपने टेन्डर्स कोट किये १८॥ रुपये मन चने के और उसी रोज से, हालांकि लाइसेन्स के कानून के अन्तर्गत भी कलेक्टर भरतपुर ने १०,००० मन सीज़ करने के बाद भी, शायद भरतपुर में १८ रुपये से कम का भाव हुआ ही नहीं और भरतपुर में जब टेन्डर्स इन्वाइट नहीं किये गये थे तो उस समय १५), १६) तक भाव पहुँच गये थे। तो एक तरफ आप चाहते हैं कि प्राइसेज़ को लो लायें और फिर दूसरी तरफ ही गवर्नमेन्ट मार्केट में एज़ ए पर्चेज़र एन्टर होती है। आपने कभी यह नहीं सोचा कि उसका मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसका इफेक्ट मार्केट पर यह हुआ कि प्राइसेज़ ऊंची गई। स्टेट की जो पॉलिसी कॉन्ट्राडिक्ट करती है उसका कारण यह है कि फूड तो एक माननीय मिनिस्टर के पास है और एग्रीकल्चर किसी दूसरे मिनिस्टर के पास है और रेवेन्यु किसी तीसरे मिनिस्टर के नीचे है। फूड मिनिस्टर को यह नहीं मालूम कि रेवेन्यु में क्या हुआ। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सीड पर्चेज़ करता है उस समय उसका भाव २०), २१) चल रहा था उसका कारण यह था कि इन्डीविजुअल ट्रेडर्स ये बीज ले रहे थे २०), २१) की रेट्स पर। आपके एग्रीकल्चर के यह रेट्स क्यों हैं? लोग पहले कहते थे कि पी० डब्ल्यू० डी० में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है उससे ज्यादा किसी डिपार्टमेंट में नहीं है, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट में भ्रष्टाचार है, उतना कहीं नहीं है। मान लीजिये कि मेरे पास कोई इन्डीविजुअल आता है सीड की पर्चेज़ के लिये, 'नोट आई' किसी के पास भी कोई जाता है, तो वह कहता है कि आपका सीड हमें लेना है और ओपन मार्केट में ऐसा करें कि अपने ही किसी रिलेटिव को भेज दीजिए और वह १६), २०) रुपये का भाव लगा दे। वहीं उसका आदमी जाता है, भाव लगता है और २०), २१) रुपये की रेट्स सर्टीफाई होती हैं चेम्बर से और वही रेट्स आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट पे करता है। तो इन प्राइसेज़ को राइज़ करवाने में इन्क्रीज़ करते हैं। इम्प्रूव्ड सीड एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट खरीदता है तो इम्प्रूव्ड सीड का तो सिर्फ नाम है। उसको सीधे कह दिया जाय 'एडल्टरेटेड सीड' तो ठीक होगा। आप इम्प्रूव्ड सीड डिस्ट्रिब्यूट कर रहे हैं और शायद इम्पलीमेन्ट्स भी आप दे रहे हैं और उसका कुछ रिज़ल्ट नहीं है।

अब आप इर्रिगेशन के फिगर्स देखिये। आप इर्रिगेटेड लैण्ड मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, उसका नतीजा क्या हो रहा है? अभी भी जो फिगर्स हैं प्रोडक्शन के वे क्या हैं? आप मेजर इर्रिगेशन के ऊपर करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं जिसका रिटर्न १९६० में इफेक्ट करेगा और माईनर इर्रिगेशन को आप निगलेक्ट कर रहे हैं। आखिर मेजर इर्रिगेशन में कोई न कोई बेलेन्स तो होना चाहिए! सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमारी इमीजियेट नीड क्या है? हमारी इमीजियेट नीड इस समय अन्न की है और इसके लिए प्रोडक्शन के इन्क्रीज़ करने की जरूरत है। तो इसके लिए हमें एक तो शोर्ट टर्म पॉलिसी और एक लोंग टर्म पॉलिसी एडॉप्ट करनी पड़ेगी। शोर्ट टर्म पॉलिसी में हमें यह देखना होगा कि इमीजियेटली लोगों की नीड को कैसे पूरा कर सकते हैं, इसके लिये हमें डिस्ट्रिब्युशन को कन्ट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा भी करना चाहिये और लोंग टर्म पॉलिसी में ऐसा होना चाहिये कि जो हमारे टार्गेट्स हैं और जिस रेट से हमारी

(श्री श्रीमानसिंह)

पॉपुलेशन बढ़ती है उसी रेट से हम अपना प्रोडक्शन बढ़ावें और इसके साथ ही हमें डिमाण्ड एण्ड सप्लाई में कोइनसाइड करना होगा। आज हमारे माननीय फूड मिनिस्टर से पूछा जाय कि आप यह बतायें कि १९५१ से ५८ तक आपके मार्केट में कितनी क्वान्टिटी आई है; क्या वे यह यह बता सकते हैं ? १९५१ में जब हाई प्राइसेज़ थीं तो इतनी क्वान्टिटी आई और १९५२-५३ में जब कि लो प्राइसेज़ आई तो इतनी क्वान्टिटी आई और अब इतनी क्वान्टिटी आती है, क्या यह सब कुछ बता सकते हैं ? हमारे पास यह आज स्टेटिस्टिक्स मौजूद नहीं हैं कि मार्केट में कितना ग्रेन आता है, कितना बिकता है और अगर कमी होती है तो क्यों कमी होती है और अगर बढ़ता है तो क्यों बढता है ? यह हमारे पास स्टेटिस्टिक्स नहीं हैं और फिर हम प्लॉनिंग करना चाहते हैं। आपके यहां डिमाण्ड किसकी है ? टाउन्स की जो रेट्स ऑफ पोपुलेशन हैं उसको आपकी स्टेटिस्टिक्स बताती है उसको आप देखें तो आपको मालूम होगा कि डेली आपके टाउन्स की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और डिमाण्ड बढ़ती जा रही है और जो प्राइसेज़ कन्ट्रोल होती है वह सब टाउन्स से ही होती हैं। विलेजर तो कोई अपने प्रोड्यूस की प्राइसेज़ डिक्लेयर करते नहीं हैं। यह तो मन्डियों से होती हैं और मंडियों के अन्दर प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उनके फीडिंग के लिए चाहिए। तो जब आप जानते हैं कि इस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी रेट से क्वान्टिटी ऑफ ग्रेन चाहिए। तो उसकी रेट में आप कोइन्साइड तब ही कर सकते हैं जब कि आपके पास स्टेटिस्टिक्स हों। तो आपके पास स्टेटिस्टिक्स तो है नहीं, तो किस तरह से यह कहा जा सकता है कि आप प्राइसेज़ को लो लाने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। यह सब पहले प्लॉन को देखते हुए और दूसरा प्लॉन जिस तरह से एग्ज़ीक्यूट हो रहा है और एण्ड के अन्दर जो 'मोमेन्टम गैदर' किया जायेगा, जैसा हमारे माननीय मंत्री ने कहा कि हमारी फसल अच्छी होगी इसलिए शायद अनाज के प्राइसेज घट जायें। तो 'शायद' का तो मैंने १९५५-५६ का इन्सटेन्स बता दिया कि हमारी फसल अच्छी होने के बाद यह रहा कि १९५५-५६ में प्राइसेज़ नहीं घटीं। तो हम नहीं कह सकते कि आगे वाली फसल अच्छी हो और प्राइसेज़ घट जायं। आपके जो डिस्ट्रिब्युशन के मेज़र्स हैं वे आपको लागू करने पड़ेंगे और उनको लागू करके आप अभी से प्रिपेयर रहिये कि प्राइसेज़ जरूर हाई जायेंगी, उनको लो लाने के लिए क्या करना है; किस तरह से शार्ट टर्म और लोंग टर्म को हम कॉम्प्रिहेन्सिव तरीके से लायें और कॉम्प्रिहेन्सिव पॉलिसी तब ही हो सकती है जब कि जो डिफरेन्ट मिनिस्टीरियल डिविज़न्स हैं उनको एक जगह पूल किया जाय, उनकी नॉलेज को, उनके पर्सनल्स को और उनको पूल करने के बाद में जिस तरह कि हम इमर्जेन्सी में काम करते हैं और जैसा प्रधान मंत्रीजी कहते हैं कि इसको 'वार-फुटिंग' पर टैकल करना चाहिए उसी प्रकार से इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए आपको कैसी मशीन चाहिए, आप कैसे चाहते हैं, उस मशीनरी को क्रियेट करना लाजिमी है; तब तो आप इस पोजीशन में हो सकते हैं कि शायद कुछ प्राइसेज़ पर कन्ट्रोल पा लें, मगर इस प्रकार से बिना किसी पॉलिसी के कहना कि रबी की फसल अच्छी

Page No.81

(श्री श्रीमानसिंह)

हो जायेगी तो प्राइसेज़ लो हो जायेंगी ? तो उनकी तरह से तो शायद रबी की फसल अच्छी भी हो सकती है, शायद खराब भी हो सकती है ।

श्री अर्जुनदास : I wanted to know if my number is there, Mr. Chairman if you could say.

श्री सभापति : A chance shall be given to you.

(बाधाएं)

Please listen to him.

श्री अर्जुनदास : I wanted to know so that I might go out to have a cup of tea.

श्री सभापति : Please take your seat

रावराजा श्री सरदारसिंह : (उनियारा) माननीय सभापति महोदय, इस समय खाद्य समस्या पर विचार हो रहा है, इस पर पूर्व वक्ताओं ने काफी प्रकाश डाल दिया । मैं उसका रिपीटिशन करना नहीं चाहता ।

(पुनः कुछ बाधाएं)

श्री सभापति : I will request the Hon'ble Members to keep quiet. Order please !

रावराजा श्री सरदारसिंह : (जारी) सभापति महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि खाद्य समस्या के बारे में काफी वक्ताओं ने काफी प्रकाश डाल दिया है । मैं कुछ खास मुद्दे पर अपने विचार प्रकट करूंगा । यह खाद्य समस्या मामूली समस्या नहीं है । अगर सरकार ने इसके लिए कोई उपाय न सोचा और दिन-प्रतिदिन यही भावों में तेजी रही तो इसका परिणाम खराब निकल सकता है । अपन लोग यहां केवल क्रिटीसिज्म के लिए नहीं आये हैं, यहां जो भी हम आये हैं हम सब लोगों का यह फर्ज है कि सब मिल-जुल कर इस खाद्य समस्या का हल निकालें ।

श्री सभापति : I, request...

रावराजा श्री सरदारसिंह (जारी) : यह समस्या ऐसी है कि इस समस्या को चाहे विरोधी पक्ष वाले हों या कांग्रेस पक्ष वाले सब को मिल-जुल कर इस समस्या को हल करने के लिए तैयार रहना चाहिए ।

मेरा तो यहां तक कहना है कि खाद्य समस्या राजस्थान में कोई नई समस्या नहीं है, यह हमेशा से रही है, लेकिन इसका उपाय भी हमेशा से होता आया है । मैं यह समझता हूं कि यह जो गम्भीर समस्या उत्पन्न हो रही है उसका कारण यह है कि हमारी सरकार बायस मालूम होती है ।

आप डरते क्यों हैं ? आपकी मदद के लिए यह सारा हाउस है, राजस्थान की जनता है । आपको सेन्टर से कह देना चाहिए कि हम अपने खर्चे के लिए अनाज की निकासी बन्द करते हैं । आज से हम दूसरे प्रान्त को अनाज नहीं देंगे । यहां तो हमारे यहां भुखमरी फैल रही है और हमारा जो अन्न है वह हम दूसरों के लिए दे रहे हैं । आपको डरने की बात नहीं । पोलिटिकल ग्राउन्ड हो तो भी उसके लिए डरने की कोई बात नहीं । आप बहादुरी से कह दें कि पहले हम हमारी खाद्य-समस्या है उससे सुलझ जायं तो उसके बाद हमारे पास सरप्लस रहेगा तो वह हम बाहर भेजेंगे, वर्ना नहीं भेजेंगे । आपका सेन्टर क्या कर सकता है ? यह तो पहले से होता चला

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

आ रहा है। हम लोगों के समय के अन्दर भी राजस्थान में जब रियासतें थी उस समय भी ऐसे मौके आते थे। उस समय ब्रिटिश राज्य था वहां से दबाव आता था कि फलानी जगह अन्न की कमी है वहां आप अन्न भेजो, लेकिन रियासत के राजा लोग थे वे कह देते थे कि पहले हमारी प्रजा को हक है कि वह यहां का अन्न है उसको काम में ले, उसके बाद अगर बचत होगी तो यह हम बाहर भेज देंगे।

सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो आपने यह फर्माया इस प्रिज़म्पशन पर कि रबी की फसल अच्छी हो रही है इसलिये अब अन्न के मूल्य ठीक हो जायेंगे, मैं इस बात के लिये सहमत नहीं हूँ। पहले से यह रिवाज रहा है कि जब अनाज पक जाता था और घर आ जाता था तब यह कह सकते थे कि अनाज अब ठीक हुआ है। हो सकता है अभी तक पैदावार कटी नहीं है वैसी हालत में रोली, दावा भी लग सकता है, घुण भी लग गया। ऐसी हालत में जब तक अनाज घर पर नहीं आता तब तक यह नहीं कह सकते कि फसल अच्छी हुई है। मसलन रबी की फसल बो रहे हैं तो होना यह चाहिये था कि गेहूं की निकासी बन्द होनी चाहिये थी, सियालू फसल पर सरकार को यदि अनुभव हो जाता कि हमारे पास गल्ला काफी है और फसल अच्छी हुई है तो सरकार उसको खाली कर देती, इसमें कोई ऐसी बात नहीं।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ फूड समस्या की हालत दिन-प्रतिदिन खराब क्यों होती जा रही है ? मैं यह महसूस कर रहा हूँ कि तमाम काश्तकार लोग फूड प्रोडक्शन कम बोने लगे हैं और कॉमर्शियल क्रोप ज्यादा बोने लग गये हैं। आज आप देखिये जीरा जिसका भाव २००) रुपया मन है, लोगों को नफा इस प्रकार की क्रोप्स में मिलता है इससे सीधा असर खाद्य पदार्थों पर पड़ता है और इस प्रकार से खाद्य का प्रोडक्शन कम होता जा रहा है। आजकल देखने में आया है और खासकर मुझे मेरी कॉन्स्टीट्युएन्सी का अनुभव है और बहुत सी जगह ऐसा देखने में आया है कि जंगलात का जो डिमार्केशन हो रहा है उस डिमार्केशन में बहुत से काश्तकारों के खेत तक आ गये हैं। तकावी द्वारा जो कुए बनाये गये हैं वे डिमार्केशन में आ गये हैं इस वजह से जो लोग काश्त करना चाहते हैं उनको काश्त करने नहीं दी जाती और इसका असर खाद्य समस्या पर पड़ा है।

तीसरी बात यह है कि सिंचाई का महकमा जो है वह किसी जगह के लिये कह देता है कि यहां २० लाख का बांध बन रहा है। बांध अभी बंधा नहीं उसके एन्टीसीपेशन नहर का काम जारी हो गया और नहर के अन्दर प्रॉब्लेम्स पैदा हो गये। न मालूम आगे नहर जायगी भी या नहीं, कई जगह बीस मील तक पहुँची और आगे बन्द कर दी गई। इस तरह से सैकड़ों बीघा भूमि नहर के नीचे चली गई बांध बंधे नहीं। फिर भी मैं यह निवेदन करूंगा कि एक्सपेरिमेन्टल तौर पर अगर एक महीना जब तक कि खेती पक कर न आवे हमारे यहां से अनाज की निकासी रोक देनी चाहिये। इससे मैं यह दावे के साथ कह कह सकता हूँ कि सरकार के ध्यान में कितना ही सरप्लस गल्ला आयगा। सरकार को फिर कहना चाहिये कि हमारी रबी की फसल अच्छी हुई है और हम अब अनाज बाहर

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

भेज सकते हैं। रबी की फसल होने के बाद गोरनिया हो जाता है। उसके बाद काश्तकार को बीज बेचा जाता है, फिर वे मार्केट में लाते हैं। अगर वे यह समझते हैं कि गेली लग सकती है और किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है कि गोरनी की वजह से मार्केट में धान न आये। फिर भी मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह एक महीने के लिये निकासी बन्द कर दे उसको पता लग जायगा कितना गल्ला पड़ा है। सरकार डरती क्यों है, जबकि सारा हाउस उनके साथ है, राजस्थान की सारी जनता उनके साथ है, सेन्टर आपका क्या कर सकता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सेन्टर का साथ हो तो कोई बात नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : एक बात और है, तकावी वितरण कमेटी और डेवलपमेन्ट कमेटी दोनों का मैं सदस्य हूँ। तकावी के लिये रकम मंजूर हो जाती है। तकावी वितरण हो जाती है, किन्तु जिसको चाहिये उसको समय पर नहीं मिलती ऊपर से मंजूरियां जाती नहीं। कुए खुदवाते हैं उसमें पैसा वक्त पर नहीं मिलता। बैलों की तकावी समय पर नहीं मिलती। इसलिये भी खेत पड़े रहते हैं, सरकार से निवेदन है कि वे इस बारे में भी कदम उठावें, तो राजस्थान के फूडप्रोब्लम का हल निकल सकता है, नहीं तो नहीं !

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, हमारे सामने राजस्थान की फूड समस्या........

श्री सभापति : One thing I will, request the Hon. Member. The time is very short. Of course, his speech would be sweet, but there must be some limit.

श्री पी० के० चौधरी : What is the time-limit?

श्री सभापति : Say after 30 minutes our Leader shall explain the situation.

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): हमारे सामने जो यह समस्या है वह हमारे राजस्थान की ही नहीं, सारे देश की समस्या है। हमें यह देखना है कि यह समस्या क्या राजस्थान में ही पैदा हुई है या देश भर में पैदा हुई है। इसके साथ ही यह भी देखना है कि क्या राजस्थान में ही अनाज के भावों में वृद्धि हुई है या देश भर में हुई है। इसके साथ-साथ यह भी देखना है कि राजस्थान सरकार अपनी इस खाद्य-समस्या को हल करने में कामयाब हुई या नहीं। हम सबसे पहले यह देखते हैं कि यह समस्या आज राजस्थान की ही समस्या नहीं है बल्कि भारत भर की है। साथ ही भावों की वृद्धि भी देश भर में हुई है।

अब सवाल पैदा होता है कि राजस्थान ने बाहर अनाज क्यों जाने दिया ? राजस्थान स्वतन्त्र होते हुए भी केन्द्रीय सरकार के मातहत है और इस मामले में उसके बताये मार्ग पर राजस्थान को चलना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यह कहना कि हम यहां अनाज पर बैन लगा दें तो यह कदापि सम्भव नहीं हो सकता।

यह भी कहा गया कि राजस्थान को बम्बई और मध्यप्रदेश से न मिला कर पंजाब जोन के साथ में मिलते तो यह स्थिति कदापि नहीं होती। लेकिन यह दोनों सरप्लस एरिया हैं। क्या इन दोनों का सम्मिलन

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

किया जा सकता है ? यह कदापि नहीं हो सकता । यह सोचना ही गलत है । हमें देश की सारी स्थिति को ध्यान में रखना है । एक सरप्लस एरिया के साथ एक कमी वाला इलाका मिलना चाहिये । यह तरीका ही ठीक है। जब तक हम गुलाम थे तब तक बात और थी । गुलामों को रोटी देने का जिम्मा ब्रिटिश सल्तनत के जिम्मे था । पर अब स्वतन्त्रता आने के बाद हमें हमारी समस्याओं को हिल-मिलकर तय करना है । अगर हम अब भी राजस्थान की दृष्टि से सोचते हैं तो हमारा हित नहीं हो सकता । हमें सारे भारत के साथ चलना हैं । कभी हमारे साथ भी यह समस्या आ सकती है कि हम कमी वाले हो जावें, अकाल आ जाय, सूखा पड़ जाय तो फिर दूसरा राज्य हमें भी मदद नहीं देगा ।

फिर यह भी मैं मानने को तैयार नहीं कि लोगों को यहां खाने को नहीं मिलता । संवत् ५६ का अकाल पड़ा था । १० सेर का अनाज मिलता था पर तब भी लोग तंग आकर भूखों मरते थे और गलियों में अपनी औलाद को, बच्चों को बेच-बेच कर अपना गुजारा करते थे, अपनी भूख मिटाते थे । आज ऐसी हालत कहीं नहीं है कि किसी ने अपने बच्चों को बेचा हो या कोई भूखों मरा हो । ऐसी हालत में यह कहना कि सरकार कुछ नहीं कर रही है कदापि ठीक नहीं है । हमारी सरकार सब तरह हर बात को हल करने को तैयार है । यह हो सकता है हल करने में कहीं गलतियां हुई हों, गलत काम हो गया हो । पर यह कहना कि हम कुछ नहीं कर रहे, यह कदापि सही नहीं है । हम प्रयत्नशील हैं । पर यह नहीं कहा जा सकता कि हम हल नहीं कर सके । फिर हम यह भी नहीं भूले हैं कि ब्रिटिश शासनकाल में जाते जाते ४० लाख आदमियों को बंगाल ने उन्होंने भूखों मार दिया था । पर आज तो हमने लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा किया है और इससे अनाज की खपत ज्यादा बढ़ी है । इसलिए यह समस्या पैदा हुई है । फिर इसके साथ ही पैदावार भी काफी बढ़ी है, पर देश में कहीं कहीं फ्लड आ जाने से, अकाल पड़ जाने से, कहीं सूखा पड़ जाने से, कहीं अतिवृष्टि होने से पैदा होने वाला अनाज नहीं पैदा हो सका तो इसका भी असर प्रदेश पर पड़ा है । ऐसी स्थिति में यह कहना कि सरकार इस प्रोब्लम को हल नहीं कर सकी, ठीक नहीं है ।

अब चीप ग्रेन-शोप की बातें भी कही गई । एक ने तो यह कह दिया कि मन्त्री महोदय वहीं से खरीदते हैं । मैं तो यह कहता हूं कि उन्होंने एक रोज गेहूँ का १) रु० का नमूना मंगवाया था और एक्सपेरीमेन्ट उन्होंने किया और उसे खराब नहीं पाया । ये एडीशनल दुकानें सरकार इसलिये खोलती है कि बाजार में भाव नहीं बढ़ें । अब कहा गया कि जयपुर में इन दुकानों पर कोई खरीदने नहीं जाता, यह सरकार की पॉलिसी हमारे समझ में नहीं आती । जहां लोग खरीदने नहीं जाएं वहां फिर सरकार इतनी दुकानें क्यों खोले ? जहां लेने वाले हैं वहां क्यों नहीं खोलते ? आपको यह बताना है कि जयपुर की प्रजा जो ज्यादा बकती है, हो-हल्ला करती है उसको सन्तोष दिलाने के लिये करते हैं । तो यह बात उपयुक्त नहीं हो सकती । मैं बताना चाहता हूँ......

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : माननीय सभापति महोदय, 'बकते हैं' इस तरह के

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

शब्दों का प्रयोग माननीय सदस्य इस्तेमाल न करें तो उचित होगा ।

श्री सभापति : आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिये ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : तो सरकार को दुकानें ऐसी जगह पर खोलनी चाहिये जहां जरूरत हो और लोग लेने को आते हों। हमारे सारे किशनगढ़ भर में आपने चार दुकानें खोलीं। उनमें भी एक दुकान आज ११ दिन से बन्द है, दूसरी १६ दिन से बन्द है और दो दुकानों पर पांच-पांच बोरी धान है । यह खूब नमूना है । एक तरफ आप कहते हैं लेते नहीं और दूसरी तरफ लोग तरसते हैं । जयपुर के लोग मालदार हैं, वे महंगा भी बाजार से खरीद सकते हैं पर जहां गरीब लोग बसते हैं, जहां मध्यम श्रेणी के लोग बसते हैं; वहां चीप ग्रेन शॉप की बहुत जरूरत है । वहां आपको काफी दुकानें खोलनी चाहियें । यह मेरा निवेदन है ।

यह कहा गया कि हमारे यहां कृषि-विभाग में एक्सपर्ट नहीं रक्खे जाते, सरकार की फूड पॉलिसी इसी वजह से पूरी नहीं हो पाती । तो मेरा भी यह कहना है कि हमें एक्सपर्ट रखने चाहिये । अगर अभी तक नहीं रक्खे हैं तो अब रखे जाने चाहिये, और उनकी राय के मुताबिक काम करना चाहिये, जिससे कामयाबी ज्यादा मिल सके ।

आपने रबी अभियान चलाया, कलेक्टर ने, ब्लॉक डेवलपमेन्ट ऑफिसर ने विश्वास दिलाया किसानों को कि अच्छा बीज देंगे, अच्छा खाद देंगे । लोग आपके इन अफसरों के वायदों पर भरोसा कर लेते हैं और भरोसा करके अपने पास का बीज का अनाज बाजार में बेच देते हैं और अपनी दूसरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये खा लेते हैं और फिर दूसरे बनियों से जहां से वे लिया करते थे वहां भी समय पर नहीं जाने से वह बनिया भी काफी मात्रा में पहले ही बेच देता है । सरकार कभी समय पर बीज नहीं देती और इससे और भी अधिक महंगाई बढ़ जाती है । कई किसान तो बिना बीज के ही रह जाते हैं और इसका असर अन्न की पैदावार पर बहुत बुरा पड़ता है । आप एक तरफ रबी-अभियान करते हैं, दूसरी तरफ आपके पास बीज नहीं । फिर बीज नहीं देने का एलान भी किया तो तब जब कि सबके पास से अन्न निकल गया। अगर हमें देना है तो हमें इसके लिये पूरी तैयारी रखनी चाहिये समय पर देने की और अगर नहीं देना है तो समय से दो महीने पहले कह देना चाहिये ताकि काश्तकार कुछ भी करके अपना समय पर इन्तजाम कर लें । ऐसा न होने से क्या होता है कि जो भी भाव होता है किसान को उसी भाव में लेना पड़ता है, और जिनको नहीं मिलता वे वंचित भी रह जाते हैं । तो इससे सबको नुकसान है । जो इर्रिगेशन के लिए आप तकावी देते हैं उसको आप नहीं देखते हैं, इरिगेशन के लिए जो रुपया आप देते हैं वह दरअसल में उसी काम में लाया गया है या नहीं, यह नहीं देखते हैं ।

उसके साथ-साथ माइनर इर्रिगेशन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि किशनगढ़ के इलाके में इतने तालाब हैं कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा किशनगढ़ सब डिविजन में तालाब हैं, लेकिन उनकी क्या स्थिति है ? सरकार कहती है कि उनकी दुरुस्ती के लिए इतने लाख रुपये मन्जूर कर दिये,

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

लेकिन इन्जीनियर से मिलते हैं तो वे कहते हैं कि एक भी पैसा नहीं है। यह स्थिति है। अगर यह बात हो तो आपको दुरुस्त करना चाहिए। तो जो छोटे माइनर तालाब हैं उनको अच्छी तरह से दुरुस्त कर देंगे, उनकी पालों को ऊंचा कर देंगे, उनके पानी के आने के रास्ते को ठीक कर देंगे; तो मैं समझता हूँ कि हम दुगुना अनाज पैदा कर सकते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी योजनाएं तो आगे जाकर कामयाब होंगी, लेकिन हमारे सामने आज और कल की समस्या है और इसलिए आज और कल की समस्या को हम हल करने बैठे हैं तो हमें चाहिए कि जितने भी छोटे-छोटे तालाब हैं और उनमें जो कई खराब हैं उनको ठीक करने के लिए पूरा पूरा प्रयत्न करें, तभी ठीक हो सकता है।

अब मैं बताना चाहूंगा...

श्री सभापति : I will request the Hon'ble Member to be brief.

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : Within two minutes, Sir, चूंकि आज हम जिन लोगों को लैण्ड एलॉट कर रहे हैं मैं बताना चाहता हूं कि हम शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को जमीन दे रहे हैं, लेकिन उनके पास काश्त कराने के कोई साधन नहीं हैं क्योंकि उनके पास न तो बैल हैं, न कुए खोदने के लिए पैसा है। सरकार कहती है कि तकावी देने के लिए तैयार हैं, कुए खोदने के लिए पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन क्या २ रेस्ट्रिक्शन्स लगे हुए हैं, उनको सरकार को सोचना है। आप एक तरफ तो उसको २० बीघा जमीन देते हैं और २० बीघा जमीन के लिए कुआ खोदने के लिए तहसील में तकावी लेने वह जाता है तो उससे कहा जाता है कि दो जमानतदार लाओ जिनकी दो या चार हजार की हैसियत हो, ऐसे जमानतदार मांगते हैं। आप बताएं कि एक हरिजन को २० बीघा जमीन एलॉट की है और उससे आप तकावी देने को २, २ या ४, ४ हजार की जमानत मांगते हैं, तो वह कहां से लाकर दे सकता है? उसकी जाति वाले की जमानत नहीं ली जा सकती है। वह पटवारी के पास जाता है और १०, २० रुपये खर्च करता है और जिस किसी की जमानत दिलाता है तो उसको वह १००, ५० रुपये देता है। इस प्रकार की स्थिति हमारे सामने है। वह बैल के लिए पैसे मांगता है तो आप कहते हैं कि जमानत लाओ, बीज लेने आता है तो जमानत लाओ। आपने जमीन एलॉट की है और कुए खोदने के लिए रुपये देते हैं मगर उस पर रेस्ट्रिक्शन्स लगा देते हैं। अगर रेस्ट्रिक्शन लगाना है तो इस तरह से लगा सकते हैं कि जिस कदर से कुए खोदे जायं उसी तरह से रुपया दिया जाय। यह बात तो ठीक है। जमानत अगर आप मांगते हैं तो वह कहां से लाये? इसलिए मैं नम्र निवेदन करूंगा कि जितना पैसा आप इरिगेशन में लगाना चाहते हैं, तकावी पर लगाना चाहते हैं, उसको पूरी तरह व्यवस्थित ढंग से लगा देंगे तो मैं समझता हूं कि हमारी जो खाद्य-समस्या है उसके हल होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि हमने काफी किया है और उससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है। ऐसी स्थिति में यही कहूं कि मैनेजमेंट का गलत तरीका है, उसको सुधारना चाहिए। यही मेरी प्रार्थना है।

श्री अर्जुनदास : Mr. Chairman's having heard the speach of the Hon'ble Minister, I was really much disappointed. The speech itself contained neither explanations nor any hope.

(श्री अर्जनदास)

We thought that the Hon'ble Minister will be able to make it clear and tell the real things of the food-problem and also give us a hope and tell us how he proposes to achieve the targets. But unfortunately for us he could not give us any hope, a ray of hope even. He said, he expected that after the present crop the prices will come down. It is as vague a reply as is usually given by our own Government. I am very sorry to say that because I have found that the policy of the Government in every sphere of their activities is vague, Its policy is vague. I don't blame it for this particular problem but all these problems which are in hand of the Government are alike. They are at par. Take the example of Motor Bus Service. Some difficulties will arise. Take the case of other local and similar difficulties but the policy of the Government is all vague and uncertain; or we can call it anything like that. Say in this particular case, Sir, I believe the problem is so serious that the Government will have to treat it on a good higher level. Either the Government should solve it or go down. We should say, either 'do or die.' Let there be this slogan. But instead of saying that we only allow it to pass with the heaviness of feelings, we have got to do it and we must do it. If you can't do it the public will do it. This has been there in Pakistan. The situation in Pakistan was not at all as bad as here in Rajasthan today. But only because the Government of Pakistan could not achieve it, it had to be achieved by some other means. If we continue in the present manner in which we are doing, I am afraid the day is not far off when we will have to meet the same fate as Pakistan has met, today. Let it be a 'Chetawani.' We should be careful about it. The situation is really very grave.

I will break my speech in two parts. Part one is-let us consider and decide first and be certain whether the situation is grave or not. There are no two answers to it. The only possible answer is that the situation is really grave. Having answered that question let us give out the second question. Has the Government taken best possible means to achieve the objects that we wanted to achieve? If we try to consider that question, the answer is 'no'. Not only 'no' but 'no' with capital 'N.' Why so ? I believe its policy is weak. The policy of the Government is, as I find today, that they don't want to achieve the achievements, but they want to create hangers-on. The Policy of the present Government atleast is to create hangers-on, which can be expected to serve them whenever they need i. e at the time of elections or otherwise. Similarly, here in food-problem, our present Government is creating hangers-on. The first method that was tried was that of fair price Shop. I believe it is no more a fair price Shop, It is a black-market shop of the party in power. I can dare say, you will not find only hangers-on of the Congres

(श्री अर्जुनदास)

party as the fair price shop dealers to-day, There the wheat isso bad that even the cattle will not eat. But whenever the wheat is quite good hardly ten precent of it could be sold or is being sold to the purchaser. Ninety percent of it is being sold in the black market. And I am sure that the Government know it. They know that no honourable man can get wheat from the fair price Shop I say directly that I cannot get it. If the Government does not know, it is their fault. We can point out that whenever wheat is imported ninety percent of the wheat is being sold in the black market. On these shops, every morning, you will find paid purchasers. I use the word 'paid-purchaser'. If an honest lady wants to get, she will go to the shop and stand in the queue and wait there till she is completely exhausted by standing the whole day.

(४ म. प.)

If the Government wants to have these fair price shops, then nothing sort of some fixed control on it wills do, so that if I want to buy food grain I cannot be denied an opportunity of buying it. There must be some identification cards so that those who want to buy it should be able to get it, and those who want to buy to sell it again should not be able to do it. it is really no solution to the public tha fair price shops are there. I would repeat my phrase that it is a black-marketing by hangers-on of Congressmen and the Congress party. Therefore, Sir, if the Congress Party wants to relieve itself of this charge, the only solution is of giving identity cards so that if anybody wants to buy the food-grains he may be able to buy it and no one should be able to buy it twice in the same week.

Then the other thing is the Government says that they have issued orders that any businessman having stocks of more than 500 Mds. should have a licence. That again is such a process by which, I believe, the Government themselves want to give a way out to the dishonest business-men. Why not have a fool-proof way if the Government really means to do it. Or they should admit with their hands up, "Sorry, we do not propose to do it." Simply creating an impression that the Government is doing its best and really doing nothing gives scope to dishonest tradesmen and officers to indulge in every sort of dirty business. I think it is worse than not doing anything at all. To say that if anybody has more than 500 Mds. of food-grains he must have a licence, will not do, because a dishonest businessman can always divide his family and every member of his family, wife sons and every member becomes trades man each having 499 Mds. Therefore, if we want to have a solution, the order should be that everybody can keep upto his maximum necessary needs for his house-hold, or if he be a businessmen he must have a licence. There should be no limitation of 500 or 200 Maunds. Every businessmen must be directed to declare his stocks immediately and failure to declare stocks should be punishable with confiscation

(श्री अर्जुनदास)

of those goods atleast. Every business man who wants to do any trade in wheat should be ordered to obtain a licence, whatever the amount of goods in his ware-house. The quantity should be a matter of indifference, because the moment we fix a limit we give them a way out.

So I was suggesting that our Government will have to take some concrete steps if they want to do it, and I would further suggest that whoever wants to export wheat outside Rajasthan should obtain a licence from the Government first. Let us atleast put that little restriction that nobody shall export wheat without a permit from the Government. Even by that easy process we will be able to limit our exports and our Government will also have exact knowledge about the figures of exports.

The Government also can fix a price a maximum price, and order that nobody shall sell beyond this price. If we mean to do it, these are the only things which will have to be done, and if we do not want to do it then I will request the Government, please do not make a mess of the whole thing. Rise equal to the task and say, 'sorry we, do not mean to do it'.

With these words I take my chair.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): माननीय चेयरमैन महोदय, मैं चाहता तो नहीं था कि इस डिबेट में कुछ कहूं लेकिन कुछ बातें सुनने के बाद मुझे यह ख्याल हुआ कि उचित होगा कि मैं भी इस सम्बन्ध में कुछ बातें सदन के समक्ष रखूं। इसमें कोई शक की बात नहीं कि जहां तक गेहूं के भाव का प्रश्न है इस वक्त काफी ऊंचा पहुंचा हुआ है, और इसकी वजह से हमको भी चिन्ता है और दूसरों को भी चिन्ता होना स्वाभाविक है। लेकिन इस प्रश्न को हमें ज्यादा गहराई के साथ देखना होगा, सब पहलुओं को सामने रखते हुए। खास तौर से कुछ माननीय सदस्यों ने हमारे यहां राजस्थान के फूड प्रोडक्शन के बारे में भी जिक्र किया और एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि जो मंत्री महोदय ने स्टेटमेन्ट दिया उसमें कहीं राजस्थान फूड पोलिसी के बारे में स्पष्टता नहीं थी।

४.४. म. प.

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष, जहां तक फूड पोलिसी का सवाल है, मैं समझता हूं सभी माननीय सदस्य इस बात से भली-भांति परिचित हैं कि वह नेशनल पॉलिसी है। अलग अलग स्टेट की अलग अलग फूड पोलिसी हो नहीं सकती और न है। इसलिये इसको अलग बताना उचित नहीं होगा और न किसी ने इस आधार पर इसको तय किया है। जहां तक राजस्थान का प्रश्न है, मैं समझता हूं, माननीय सदस्य इस बात से भली-भांति परिचित हैं। सन् ५२-५३ तक राजस्थान डेफिसिट के तौर पर रहा। कभी ५०,००० टन और कभी एक लाख टन के आस पास हमारे यहां इंपोर्ट होता रहा। इसके बाद राजस्थान ने धीरे २ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में तरक्की करना शुरू किया और लगातार हम इस बात को देख रहे हैं कि राजस्थान से एक्सपोर्ट होता

Page No.90

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

रहा। हमारा फूड प्रोडक्शन भी कई दिशाओं में बढ़ा और इसका बढ़ना लैंड रिफोर्म्स और दूसरी चीजें जहां पर असर डालने वाली हैं वहां पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने भी काफी असर डाला है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये ५५-५६ और ५६-५७ में कुल मिलाकर राजस्थान के एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट दोनों का बेलेन्स जो है उस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सन् ५५-५६ में राजस्थान से कुल मिलाकर ५८, २३, ६६६ मन के करीब एक्सपोर्ट हुआ फूड ग्रेन्स का और पल्सेज़ को भी हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से अलग नहीं कर सकते; कोटन, शुगरकेन को भी नहीं अलग कर सकते। लेकिन में दोनों को साथ लेना चाहता हूं क्योंकि दोनों का सम्बन्ध काफी नजदीक आता है और पल्सेज़ का एक्सपोर्ट ४७, २४,००० मन के ऊपर हुआ। ५६-५७ में इसके मुकाबले में क्रॉप खराब होने से एक्सपोर्ट का बेलेन्स कम था। जहां तक फूड ग्रेन्स का सवाल है २३,००० मन और पल्सेज का ५४ लाख मन एक्सपोर्ट किया ५६-५७ में और ५७-५८ के फिगर्स फाइनल हमारे समक्ष नहीं हैं, इसलिए मैं आपके समक्ष रखने में असमर्थ हूँ। लेकिन जिसके सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि हमने प्रोडक्शन की दिशा में कोई प्रगति नहीं की। १९५३-५४, १९५४-५५ जो बम्पर ईयर्स हैं, उसमें असर था वेदर का, यह कहा गया। मैं निवेदन करूं कि व्हीट को बेसिस मान कर, जिसमें खास तौर पर वेदर का असर नहीं होता, बल्कि इम्प्रूवमेंट का असर होता है, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करता हूँ। व्हीट प्रोडक्शन १९५३-५४ में ६. ५४ लाख टन्स, १९५४-५५ में ८. ३६ लाख टन्स, १९५५-५६ में ६. ०७ लाख टन्स, १९५६-५७ के अन्दर ११. ६० लाख टन्स और १९५७-५८ जिसके बारे में जिक्र किया गया कि रबी का प्रोडक्शन कुछ कम हुआ, उस साल के अन्दर ८. २१ लाख टन्स का प्रोडक्शन हुआ है। इनसे जाहिर होता है कि फूड प्रोडक्शन की दिशा में राजस्थान में काफी प्रयत्न किये गये हैं और इस दिशा में जितना ज्यादा से ज्यादा किया जा सकता है वह करने की कोशिश करते हैं। अभी जो हमारी प्राइसेज़ काफी ऊंची गई, उस समय एक्सपोर्ट जो कुछ राजस्थान से हुआ, उसका मेजर रीज़न है, जिसकी वजह से हमारी प्राइसेज़ ऊंची गई। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस साल मई से अगस्त तक जो ग्रेन का एक्सपोर्ट हुआ, उसके फिगर्स की हमने जानकारी की थी, व्हीट मई से लेकर अगस्त के बीच में १६,२१,३०० मन एक्सपोर्ट हुआ और दूसरे ग्रेन २०,०४,४५७मन एक्सपोर्ट हुआ है, जिसका टोटल ३६, २५, ८५७ मन अनाज मई से अगस्त तक १९५७ के अन्दर एक्सपोर्ट हुआ है, रेल के अलावा, मैं समझता हूँ सब माननीय सदस्य जानते हैं, आज कल ट्रक से काफी अनाज हमारे यहां से एक्सपोर्ट होता है अलग-अलग हिस्सों से,वे फीगर्स इसके अलावा हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट हैं कि जहां अपने यहां पहले हम इम्पोर्ट किया करते थे उसके मुकाबले में राजस्थान में पिछले वर्ष के अन्दर मौसम की खराबी का असर, एवरेज. इन सारी बातों को देखते हुए कुल मिला कर राजस्थान एक्सपोर्टिंग स्टेट्स के अन्दर आ चुका है।

अब सवाल यह खड़ा होता है कि जो एक्सपोर्ट होता है उसके लिए कहा जा सकता है कि एक्सपोर्ट को रोक दिया जाना चाहिए,

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

एक्सपोर्ट क्यों होता है ? तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्यों ने यह भी प्रश्न प्रस्तुत किया है कि हमारे जोन्स गलत हैं, पंजाब के साथ राजस्थान को जोड़ा जाना चाहिए था। दरअसल जोनल स्कीम, जो कि लागू हुई है, वह लागू हुई है करीब १३ जून, १९५७ को और १३ जून, १९५७ को उस स्कीम के लागू होने के बाद इसका असर भावों पर क्या पड़ा, उसको देखने की कोशिश की थी, तो जो स्टेटिसटिक्स् थे, उनसे मालूम होगा कि १९५७ में व्हीट को हम बेसिस मान कर चलें तो १८ रु० पर मन जनवरी में था, फरवरी में साढ़े सत्रह रुपये मन, मार्च में १७ रुपये मन, उसके बाद जून में १७ रुपये मन था और १५ रुपये मन १९५८ की मार्च-अप्रेल तक भाव चला। जोनल स्कीम जून में लागू हुई,इसके बाद अप्रेल तक भाव १५ रु०, १७ रु० मन के बीच में चले। इस जोनल स्कीम का असर डाइरेक्टली, इमीजियेटली राजस्थान में भावों पर बहुत हुआ है, ऐसी बात नहीं हुई। दरअसल राजस्थान मध्य प्रदेश और बम्बई स्टेट माइनस बम्बई सिटी को एक जोन मान कर, जैसा शुरू में तय किया गया था, अगर हम चलें तो मैं समझता हूँ कि करीब एक सेल्फ सफीशियेन्ट जोन जैसा बनता है। हां, एक बात जरूर है, खास तौर से यह व्हीट का जोन है, जो जोन्स बनाये गये हैं वे व्हीट के जोन्स हैं। जहां तक कोर्स ग्रेन का सवाल है, कोर्स ग्रेन सारे हिन्दुस्तान में जा सकता है। इसलिए कुछ हद तक जो आंकडे व्हीट के दिये उनको ख्याल में रख कर हम विचार कर सकते हैं कि कितना असर पड़ा। हमारे यहां मक्का, बिहार और उड़ीसा के लोग खरीदने के लिए अभी से पहुँच जाते हैं। उसी तरह बाजरा बिहार और दूसरे इलाकों में जाता है, ज्वार दूर-दूर तक जाता है। तो आंकडे जो मैंने बताये उनसे स्पष्ट है कि व्हीट १६ लाख मन बाहर गया और करीब २० लाख मन दूसरे ग्रेन एक्सपोर्ट हुए उस पीरियड के बीच, मई से लेकर अगस्त के बीच में। तो सारे हिन्दुस्तान के लिए जो जनरल पॉलिसी के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने तय की, उससे एडवान्टेजेज् भी होते हैं और कुछ डिएडवान्टेजेज् भी होते हैं। हमने भारत सरकार के समक्ष इस बात को रखा कि राजस्थान के भावों की वृद्धि को देखते हुए अगर यहां से एक्सपोर्ट को रोक दें तो उचित होगा। उन्होंने इस बात को आल इण्डिया पालिसी की बात मानी है और इसे स्वीकार नहीं किया। अब भी हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं लेकिन जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हमें यहां राजस्थान से एक्सपोर्ट एकदम बन्द कर देने के लिए स्टेप्स उठाने चाहिये, मैं समझता हूँ कि जो स्टेप्स हम उठायें, उससे पहले उस बात को उनके सामने रखेंगे। वह तो ठीक है, लेकिन उसके साथ ही साथ कुल मिला कर राजस्थान को यह मान कर चलना होगा कि हम सारे हिन्दुस्तान के एक पार्ट हैं और उसके लिहाज़ से सोचते हैं तो हम कोई एक पॉलिसी अकेले फॉलो करना चाहें कि जिसकी वजह से ऑल इंडिया पॉलिसी के अन्दर हमारा स्टेट-बाधक हो तो उचित बात नहीं होगी। आज तो उस पॉलिसी को फॉलो कर लें, लेकिन ८, १० वर्ष बाद, जब राजस्थान केनाल, चम्बल, भाखरा आदि योजनाओं से एडवान्टेज होने लगेगा तो मैं मानता हूँ कि राजस्थान एक बहुत बड़ा सरप्लस स्टेट होगा और हमारी खुद की एक पॉलिसी होगी और राजस्थान के बाहर ग्रेन जाने देंगे। डेवलपमेंट के ऑल

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

इण्डिया के फन्ड्स हैं। उनकी वजह से हमारा डेवलपमेंट होता है, तो अपने आपको कुछ मैटर्स के अन्दर ऑल इण्डिया का पार्ट रखें, कुछ में ऑल इण्डिया से अपने आपको अलग कर लें, तो मैं समझता हूँ वह चीज उचित नहीं होती ! हां, यह ठीक है कि भाव ठीक रहे उसके लिए हम अधिक से अधिक प्रयत्न करें। हमने इस बात को समय समय पर अपने सामने रखा भी है और अब भी उस बात को समाने रख रहे हैं, और इस समय, माननीय उपाध्यक्षजी, सितम्बर के महीने के शुरू में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, २० रु०, २१ रु० मन का भाव हो गया और २२ रु०, २३ रु० मन भाव पहुँचने के बाद एक रुपया, डेढ़ रुपये की कमी हुई थी, फिर एकदम जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है, यू०पी० के फ्लड्स, पंजाब के फ्लड्स, जो पिछले महीनों के अन्दर आये, उनका एकदम चारों तरफ असर हुआ और इस प्रकार असर हुआ कि आज प्राइसेज़ शूट अप हो गई। इसके साथ ही सोइंग सीज़न आया और किसान इस मौके पर, जो इनके पास सरप्लस होता है उसे मार्केट में नहीं ला पाते, उसका असर भी हुआ है। ये सारे कारण हैं, इन सारे कारणों के मिलने की वजह से कुछ प्राइसेज़ एबनॉर्मल हो गई, ज्यादा ऊंची चली गई आप २६, २७ रु० मन भाव की बात कहते ,हैं उसका मेज़र रीज़न यह है। हमें इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस बात की कोशिश करनी है कि भाव नीचे आयें। मुझे खुशी है कि बहुत से माननीय सदस्यों ने इसके बारे में अलग-अलग विचार जाहिर किये, उन विचारों से इसके अन्दर काम करने में हमको मदद मिलेगी। यह भी सही है, माननीय उपाध्यक्ष, कि जो आशा हम करते थे कि ट्रेडर्स इस मामले में, हमने जो उनसे अपील की थी, वे सहयोग देंगे और इस प्रकार भावों को बढ़ाने के अन्दर वे कारण नहीं बनेंगे लेकिन वह सहयोग की आशा पूरी नहीं हुई। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ माननीय सदस्यों को कि सरकार जितनी अपनी तरफ से कार्यवाही कर सकती है, ब्लेक मार्केटियर्स होते है, होर्डर्स हैं, जो भी बाजार भाव को बढ़ाने के अन्दर कार्यवाही करते हैं, उनके खिलाफ जो कुछ कानून के अन्दर हमारे हक हैं, उनका पूरा उपयोग करके भावों को नीचे लाने के लिए सरकार ज्यादा से ज्यादा कार्यवाही करेगी। (थम्पिंग) अभी अजमेर से आने वाले एक सदस्य ने कहा कि ब्लैक मार्केटियर्स और कांग्रेस का कुछ साथ है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि वे दिल में जानते हैं, लेकिन कहने के लिए वे कह रहे हैं, ब्लेक मार्केटियर्स का और हमारा हाथ होने का प्रश्न नहीं है। जो भी ब्लेक मार्केटिंग करता है और उसकी जानकारी हमें मिलती है...

श्री अर्जुनदास : अजमेर में, मैं कइयों को जानता हूँ, I can show you a number of them. I am talking of Ajmer State.

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मुझे पता नहीं अजमेर में आपको अनुभव होता हो तो, मैं जनरल बात आपसे कह रहा हूं। अजमेर में जो चीप ग्रेन शॉप्स दी गई हैं, कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं को वे दे दी गई हों, वे टेडर्स होंगे, ब्लैक मार्केटियर्स भी हो सकते हैं।......

श्री अर्जुनदास : आप नाम बता दें, मैं अभी साबित कर दूंगा कि उनके बाप-दादा ने भी कभी धन्धा नहीं किया, पर कांग्रेसी हैं इसलिये उन्हें दे दी गई हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद : No Congressmen। जो वैसे हैं तो नाम बतलायें न ?

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !! The Hon. Member will not the disturb the

श्री अर्जनदास I can give you the...

श्री उपाध्यक्ष : Order ! I will request the Hon. Member not ...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय अध्यक्ष, यह तो कुछ व्यक्तिगत नाराज़गी की बात दिखती है।

श्री अर्जनदास : नहीं, नहीं; व्यक्तिगत की कोई बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : तो मैं निवेदन कर रहा था कि कांग्रेसमैन भी ब्लैक मार्केटिंग करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। आप जानकारी दे दें, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री अर्जनदास : अजमेर में ऐसा करते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पता नहीं, कुछ दिन पहले आप शामिल थे।

श्री अर्जनदास : अब साझेदारी हट गई है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जहां तक प्रोडक्शन का सवाल था फिगर्स रखे। आइडेन्टिटी कार्ड्स देने का सुझाव दिया, राशनिंग को हम अवॉइड करना चाहते हैं। यह सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की पॉलिसी है, यह पॉलिसी ऑल इण्डिया बेसिस पर फॉलो की जा रही है। जल्दी इधर-उधर करने का प्रश्न नहीं आता।

दूसरा निवेदन कर दूं कि जहां फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में वृद्धि हुई है, पिछले अर्से में बहुत सी जगह काश्तकारों ने केश क्रोप्स में जमीनों को टर्न किया, सरसों की खेती काफी तादाद में राजस्थान में बढ़ी इसका उत्पादन बढ़ा, दूसरी चीजों का उत्पादन बढ़ा, इसका असर इस पर पड़ सकता है, पर खास तौर से केवल प्रोडक्शन के फिगर्स देता तो कहते कि गलत है पर एक्स्पोर्ट और इम्पोर्ट के पिछले वर्षों के जो फिगर्स थे वे रक्खे हैं, उनसे स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

अभी कहा गया कि माइनर इर्रिगेशन के वर्क्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि हम माइनर इर्रिगेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहते हैं, दे रहे हैं और सदन के माननीय सदस्यों को जानकारी है कि हमारे ब्लॉक्स में माइनर इर्रिगेशन वर्क्स के ऊपर राजस्थान में जो खर्चा हुआ है वह सारे हिन्दुस्तान के और और ब्लॉक्स से ज्यादा हुआ है। जितना रुपया था उसके मुकाबिले में १५० प्रतिशत ब्लॉक्स में खर्च किया और रुपया मांगा है। रिसेन्टली हमने कलेक्टर्स को रुपया दिया है, इस काम के लिये कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जो काम अधूरे हैं, जो पूरे हो सकते हैं उन्हें पूरा करें। भारत सेवक समाज ने भी इस काम को हाथ में लिया है, इसके लिये रूल्स बनाये हैं और हम चाहते हैं कि काम आगे बढ़े। कुओं के लिये इस वर्ष ४५ लाख के आस-पास व्यवस्था की है कि कुछ कुए खुदाये जायं।

कुछ तकावी लेने के बारे में दिक्कतें आती हैं उनका जिक्र किया गया। अब हम इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं कि गांवों में जाकर तकावी बांटी जाय। यह किया भी है और दूसरी जगहों पर भी करना चाहते हैं।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

और क्या क्या सुधार किये जा सकते हैं, इसका सोच-विचार करके रास्ता निकालेंगे।

इन सब बातों के बाद, मैं माननीय सदस्यों से जो निवेदन करना चाहता हूँ वह यह है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का सवाल हमारे सामने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस कार्य में ग्राम सेवक और दूसरे सभी सहायता कर सकते हैं। कमियां हो सकती हैं, सुझाव बहुत हो सकते हैं, तरक्की की आवश्यकता बहुत हो सकती है पर राजस्थान के अन्दर एक इस बात का टेम्पो जरूर बना है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने में लगें। बीज हमने सब को इम्प्रूव्ड वेरायटी का दे दिया हो ऐसा हम नहीं कहते, पर इस साल हमने तीन लाख मन व्हीट का बीज देने की कोशिश की है। सारी प्योरिटी की है, ऐसा नहीं कुछ पर्सेंट ऐसा है जिसमें सेंट-परसेंट प्योरिटी की नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे टार्गेट के अनुसार इम्प्रूव्ड वेरायटी ऑफ शीड्स सबको दे सकें। हमारे उस टार्गेट पीरियड में अढ़ाई साल का पीरियड बाकी है। करीब करीब चार ब्लॉक्स या चार तहसील के बीच में एक एक फार्म एस्टेब्लिश करने की कार्यवाहियां शुरू कर दी गई हैं। सीड स्टॉक के लिये कार्यवाहियां शुरू कर दी हैं कोऑपरेटिव सेंटर्स खोलने के लिये कार्यवाहियां शुरू कर दी हैं। हम इस देश में, जो राजस्थान की कमियां थीं, जहां हमारे यहां पहले कोऑपरेटिव सोसायटी नहीं, सीड स्टोर्स नहीं, फॉर्म्स की मुश्किल थी उन सारी बातों को विस्तार से बताऊं तो सदन का ज्यादा समय लगेगा, उनको सब जगह शुरू करने की कार्यवाहियां शुरू की जा चुकी हैं। इम्प्रूव्ड वेरायटी ऑफ सीड्स सब को दे दिया गया हो यह हम कभी नहीं कहते। इकॉनोमिक कन्डीशन्स कल्टीवेटर्स की खराब होने से मार्केट में से खरीद कर दिया। सीड सप्लाई करने के लिये नहीं। ट्रेडर्स से खरीदा है, पंजाब से लिया। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने ट्रेडर्स के खरीदने की पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं किया है। यह स्थिति है। ट्रेडर्स से खरीदा गया पर फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में सप्लाई करने के लिये खरीदा गया, न कि सीड्स के लिये।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि काफी हवा इस बात की फैली कि गवर्नमेंट सबको सीड सप्लाई करने वाली है यह ठीक है; पर हमने चार एरियाज़ को घोषित कर दिया था कि कहां कहां सीड देंगे। इसके बाद भी रबी अभियान का मतलब समझें कि सब जगह सीड सप्लाई किया जायगा, इसके लिये गवर्नमेंट कहां तक जिम्मेदार है ? हमने कहा कि हम ३ लाख मन तक सप्लाई करेंगे, न इससे ज्यादा करेंगे और न इस स्थिति में हैं। उन्हें इससे मुगालता हुआ होगा, पर एक सीमा से अधिक गवर्नमेंट के लिये सप्लाई करना सम्भव नहीं और न उचित ही है। इम्प्रूव्ड वेरायटी ऑफ सीड ठीक है तो सप्लाई करें वरना ट्रेडर्स से लेकर टिनेन्ट्स को दें, इससे कोई लाभ नहीं।

सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना है। इसमें माननीय सदस्य काफी तरह से मदद कर सकते हैं। सरकारी तन्त्र के अलावा राजस्थान में हमें यह देखने को मिलता है कि एग्रीकल्चर प्रेक्टिस में मामूली सुधार किये जायं। कई इलाकों में निंदाई नही होती है, जो घास उग जाता है उसको साफ नहीं किया जाता है,

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

इन चीजों पर भी जोर लगायें तो काफी फूड प्रोडक्शन हो सकता है । यह कोई पार्टी का प्रश्न नहीं, सारे लोगों का प्रश्न है, तो जहां जहां गांवों में जायं इन बातों को उन लोगों को समझाया जाय ।

माइनर इर्रिगेशन की बात पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कही कि बहुत सी योजनाएं शुरू की जा सकती हैं वे नहीं की जा रही है । यह बात सही है, माननीय उपाध्यक्ष, कि जितनी जिस जगह गुंजाइश है उतना वहां नहीं कर पा रहे हैं । राजस्थान कैनाल के बारे में भी बड़ी भारी समस्या है कि जितने आदमी चाहिये उतने आदमी नहीं उपलब्ध हो रहे हैं । हमें जितने टेक्निशियन्स, पोलीटेक्निशियन्स चाहिये, उपलब्ध नहीं हो रहे हैं । ये सारी चीजें होने में टाइम लगता है, चार पांच साल लगते हैं । पोलीटेक्निशियन्स तैयार हो रहे हैं । आज भी पूरे टेक्निकल वर्क करने वाले चाहिये उनका अभाव है और वहां उन अभावों की वजह से कुछ इलाकों में जो सारी चीजें होनी चाहिये उसमें देरी भी लग रही है और कुछ देरी लग सकती है । उसमें किसी हलके को नहीं लेने की बात नहीं है जितनी की हमारे सामने एडमिनिस्ट्रेशन की मुसीबत है । मैं मानता हूँ कि पाली में माइनर इर्रिगेशन वर्क हो सकता है । इसके लिये जितना जल्दी हो सके होना चाहिये ।

अत: मैं आपका ज्यादा समय न लेकर माननीय सदस्यों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि होर्डिंग और ब्लेकमार्केटिंग को इन सब चीजों को देखते हुए रोकना चाहिए और उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये मदद देनी चाहिये और इसके लिये जल्दी से जल्दी वातावरण बनाना चाहिए व फूड की समस्या को हल करने के लिये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बढ़ाया जावे, इसके लिये ज्यादा से ज्यादा वातावरण बनाना चाहिये । बस इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : We now adjourn to meet tomorrow at 11 A. M.

(तदुपरान्त सदन की कार्यवाही ४ बजकर ३२ मिनट पर दिनांक ६ नवम्बर, १९५८ को ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।)

— — — —

संक्षिप्त-विवरण

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर १८६६

राज्य से निर्यात किया हुआ खाद्यान्न।

पावर हाउस बीकानेर द्वारा बीकानेर चुरू को बिजली देने सम्बन्धी।

अन्तर्राज्य सड़कों का निर्माण।

बसेड़ी बगतर तथा भारते को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण।

बीकानेर अस्पताल में कम्पाउन्डर्स की ट्रेनिंग की व्यवस्था।

सांचोर तहसील की कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़।

एसोसियेटेड ग्रुप ऑफ होस्पीटल्स, बीकानेर के विकास की योजनाएं।

चोरियां–सांचोर तहसील।

जिला बीकानेर में फायर आर्म्स की जब्ती।

सुण्डा माता के जोड़ का ठेका।

जोबनेर कस्बे में हड़ताल।

बीकानेर बिजली घर के इन्जन।

सहकारी विभाग के ऑडीटर्स का नवीन ग्रेड में फिक्सेशन।

अजमेर शॉप्स एण्ड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेन्ट अधिनियम के अन्तर्गत दूकानदारों का रजिस्ट्रेशन।

उप-विषय वनाधिकारी की नियुक्ति।

अजमेर शोप्स एण्ड कॉमर्शियल एक्ट के अन्तर्गत दूकानों के खुलने व बन्द होने का समय।

राजसमन्द तालाब में खारी नदी को डालने की योजना।

मेड़ता सिटी में पानी की कमी।

राजस्थान नहर योजना क्षेत्र के लिए रेल तथा सड़कों का निर्माण।

टोंक-सवाई–माधोपुर सड़क का निर्माण।

कोटपुतली तहसील के गांवों में बीमारियां।

भरतपुर तहसील में सिंचाई के छोटे-बड़े कार्य।

नारेडा कस्बे की डिस्पेन्सरी।

रामनिवास बाग में तैरने के कुण्ड।

ग्राम पंचायतों के हरिजन पंच।

फूड एण्ड सप्लाई, विभाग, कोटा का व्यापारियों पर बकाया रुपया।

पंचायतों को दिये गये रुपवास व बयाना तहसील के बंध।

कृषि विभाग, कोटा को लोहे व चद्दरों का कोटा।

जिला बोर्ड झुंझुनूं की जागीरदारों पर सैस की बकाया रकम।

उप-सिंचाई मन्त्री द्वारा हेमावास बांध के पास सुरक्षा-भीत का निरीक्षण ।

पाली जिले की ग्राम पंचायतों का चुनाव ।

काटली नदी पर बांध बांधने की योजना ।

यज्ञनारायण हॉस्पिटल किशनगढ़ में दवाइयों की कमी ।

मदनगंज में लोड लोरीज़ का स्टैन्ड ।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड टोंक की जीप ।

सरकारी अस्पतालों में एम्बुलेन्स कारें ।

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एस. डी. ओ. ऑफिस में विचाराधीन मुकद्दमें ।

शासकीय संकल्प

नेशनल हाइवेज इत्यादी के सम्बन्ध में रिबन डेवलपमेण्ट के नियन्त्रण

श्री रिखबचन्द धारीवाल, उप मन्त्री, वित्त विभाग ने निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत किया :—

"That this Assembly do resolve that it is desirable that control and restriction of ribbon development in respect of National High Ways, payment of compensation to persons sustaining damage in consequence of such control and regulation, levy of betterment charges on lands benefitting from the improvement of National Highways and all other consequential and incidental matters, in so far as these matters are matters with respect to which Parliament has no power to make laws for the States, should be regulated by Parliament by law."

इस पर श्री भैरोंसिंह (१४) द्वारा यह संशोधन प्रस्ताव रखा गया कि शब्द—

"Levy of betterment charges on lands benefitting from the improvement of National Highways and all other consequential and incidental matters."

विलोपित किये जायं । उप-मन्त्री के उत्तर के पश्चात् श्री भैरोंसिंह (१४) ने अपना संशोधन वापिस ले लिया । तत्पश्चात् संकल्प सदन द्वारा पारित किया गया ।

राज्य की खाद्य-स्थिति पर विचार

आज सदन में राज्य की खाद्य-स्थिति पर विचार किया गया जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

१. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, मन्त्री, रसद विभाग ।
२. श्री रघुबीरसिंह ।
३. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।
४. श्रीहीरा भाई ।

Page No.98

स्कम्भ स्कम्भ

५. श्री नाथूलाल करोल ।

६. श्री नारायणसिंह (मसूदा) ।

७. श्री मूलचन्द डागा ।

८. श्री श्रीमानसिंह ।

६. रावराजा श्री सरदारसिंह ।

१०. श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा ।

११. श्री अर्जुनदास ।

१२. श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य-मन्त्री ।

गुरुवार, दिनाङ्क ६ नवम्बर, १६५८ की कार्य-सूची ।

(१) राजस्थान टिनेन्सी (तृतीय संशोधन) विधेयक, १६५८

(२) राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन विधेयक, १६५८

———

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ३८४ का उत्तर देखिए)

Name of District.	No.	Name of Schemes.	Estimated cost.	Mileages.
AJMER	1.	Metalled road from Arain to Sarwar.	5,67,400	29
Sawai Madhopur.	2	Metalled road from Mandrail to Mangrol.	2,71,300	13
	3.	Metalled road from Sawai Madhopur Shivpuri upto Pali	2,09,700	19
JHUJHNU.	4.	Metalled & Painted road from Jhunjhunu to Churu.	6,71,300	24
ALWAR.	5.	Metalled road from Tijara to Ferozpur. Jhirka upto Punjab Border.	1,98,000	18
	6.	Metalled road from Nisanpur to Rewari.	40,000	1½
JODHPUR	7.	Metalled road from Shergarh to Pokaran (P. L.)	17,00,000	40
	8.	C. D. Works on Shergarh Pokaran road.	1,60,900	—
JALORE.	9.	Metalled road from Raniwara to Deesa upto Rajasthan Border. (P. L.)	2,80,300	8
SIROHI	10.	Metalled road from Raniwara to Deesa upto Rajasthan Border, (P. L.)	3,60,300	10
JAISALMER.	11.	Metalled road from Shergarh to Pokaran.	12,58,200	29

1	2	3	4
	12. C.D. Works of Shergarh Pokaran Road.	1,31,000	—
GANGANAGAR	13. Metalled road from Ahore to Hanumangarh.	21,96,000	29
	14. Bikaner Ahore road Byepass round Hanumangarh.	97,600	—
	15. Metalled road from Hanumangarh, to Rawatsar.	19,68,900	23
	16. C. D. Works on Hanumangarh Rawatsar road.	23,700	—
	17. C. D. works of Bikaner Ahore road.	1,93,400	—
	18. Metalled road from Jhunjhunu to Churu.	3,53,300	6½
	Total :—	1,07,48,500	238¾

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३६० का उत्तर देखिये)

सूची सहकारी समितियां, जिन्हें सन् १९५६-५७ से दिनांक ३१-१०-५८ पंजीबद्ध होने के बाद ऋण मिला

क्रम संख्या	नाम समिति	ऋण जो दिया गया १९५६-५७	१९५७-५८	१९५८-१९५९
१	सांचोर भेड़ पालक सहकारी समिति लिमिटेड, सांचोर	—	५,०००)	—
२	किसान बहुधन्धी सहकारी समिति, सांचोर	—	२०,२००)	—
३	गणेश बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति लिमिटेड, केरिया	—	५,४००)	—
४	सांकड बहुउद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड, सांकड	—	—	५,०००)
५	शंकर बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति लिमिटेड, मेडा	—	१५,२००)	—
६	श्री दुर्गा बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति लिमिटेड, कारोला	—	—	५,०००)
७	पांचला बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति लिमिटेड, पांचला	—	१६,५००)	—
८	बजरंग बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति लिमिटेड, टाफी	—	—	८,०००)
९	अचलपुरा बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति लिमिटेड, अचलपुरा	—	—	१६,०००)

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ३६१ का उत्तर देखिये)

Expenditure on Associated Group of Hospitals which have been under consideration since many years and included in the original Development programme of 1943.

S. No.	Particulars.	P.W.D.& E. M. D.	Equipment.	Total
1.	Additional Cottage ward in Men's Hospital.	Rs. 94,800/-	Rs. 4,000/-	Rs. 98,800/-
2.	Additions to T.B. Hospital 4 general ward blocks, 6 cottages and one kitchen.	Rs.1,90,000/-	Rs.30,000/-	Rs.2,20,000/-
3.	Construction of an out patient E.N.T. & Dental block with ward on first floor.	Rs.2,50,000/-	Rs.50,000/-	Rs.3,00,000/-
4.	Construction of two Bungalows for resident Medical Officer. and resident surgeon of Men's Hospital.	Rs. 76,000/-	–	Rs. 76,000/-
	EQUIPMENT			
1.	One hundred gms of Redium needles.	–	Rs. 60,000/-	Rs. 60,000/-
2.	Anaesthesia apperatus.	–	Rs. 4,000/-	Rs. 4,000/-
3.	Operation theatre instruments replenishment of.	–	Rs. 3,000/-	Rs. 3,000/-
4.	One rotating anode spare tube for X-ray.	–	Rs. 9,000/-	Rs. 9,000/-
5.	Three spare tubes for diagnosptic sets.	–	Rs. 4,500/-	Rs. 4,500/-
6.	Two deep therapy spare tubes.	–	Rs. 10,000/-	Rs. 10,000/-
7.	Penicilin Spray.	–	Rs. 500/-	Rs. 500/-

१	२		३	४
8.	Air-conditioning of one 10 bed ward in both Men's Hospital & Women's Hospital.	-	Rs. 40,000/-	Rs. 40,000/-
9.	-do- of one more theatre in both Men's & Women's Hospitals.	-	Rs. 16,000/-	Rs. 16,000/-
10.	Four electrolux refrigrators for district Hospitals.	-	Rs. 10,000/-	Rs. 10,000/-
11.	Rubber mattresses for 50 beds.	-	Rs. 15,000/-	Rs. 15,000/-
12.	Construction of one Assistant Surgeon's quater in men's Hospital.	Rs. 6,000/-	-	-
13.	Construetion of a new building to house and reminder as Infirmary for both sixs.	Rs. 30,000/-	Rs. 2,000/-	-
14.	Construction of an Isolation Hospital with 30 beds,	Rs. 60,000/-	Rs. 15,000/-	Rs. 2,084/-
15.	Construction of two S.A.S. quarters in Men's Hospital.	Rs. 7,500/-	-	-
16.	Construction of one more A.S. quarter in Women's Hospital.	Rs. 6,000/-	-	-
17.	Construction of one mental home.	Rs. 25,500/-	Rs. 8,000/-	Rs. 9,804/-
18.	Construction of two more S.A.S. quarters in Women's Hospital.	Rs 7,500/-	-	-
19.	Construction of one Leper Asylum.	Rs. 15,000/-	Rs. 2,500/-	Rs. 3,680/-

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या ३६३ का उत्तर देखिये)

सूची

१. श्री गनेशमल कोठारी
२. ,, रामचन्द्र वल्द नानगचन्द
३. ,, सेठ रामबक्स वल्द किशनलाल
४. ,, सेठ महेन्द्रसिंह वल्द रणजीतसिंह
५. ,, आदूराम
६. ,, शिवरतन पुरोहित
७. ,, हीरसिंह
८. ,, दीपसिंह वल्द मगनसिंह
९. ,, डी० आर० कोहली
१०. ,, ईशरचन्द वल्द गुलाबचन्द
११. ,, बी० पांच्या
१२. ,, चाँदरतन बारी
१३. ,, रामगोपल मोहता
१४. ,, राचीराम वल्द केवलराम
१५. ,, तोलाराम वल्द नेमचन्द
१६. ,, किस्तूरचन्द वल्द रूपचन्द
१७. ,, हरखाराम वल्द मोटूराम
१८. ,, कोढ़ामल वल्द खुशालराम
१९. ,, प्रेमसिंह
२० ,, प्रयागप्रसाद वल्द गोविन्दप्रसाद
२१. ,, ब्रजराज चन्डौक
२२. ,, चांदूराम
२३. ,, रैवतराम
२४. ,, रामचन्द्र भिवानी
२५. ,, लक्ष्मीनारायण दशोरा
२६ ,, सदासुख

२७. ,, चम्पालाल वल्द गोविंदराम
२८. ,, मेजर जनरल जयदेवसिंह
२६. ,, शंकरलाल भार्गव
३०. ,, राजेश्वरदयाल
३१. ,, मदन गोपाल दम्माणी
३२. अर्जुनलाल वल्द सरदार राम
३३. ,, हीरालाल वल्द पन्नालाल
३४. ,, गिरधारीलाल आचार्य
३५. ,, महादेवसिंह
३६. ,, रतनलाल रामपुरिया
३७. ,, ताराचन्द वल्द रतनलाल बोथरा
३८. ,, मानकचन्द रामपुरिया
३६. ,, अमरसिंह
४०. ,, लक्ष्मीनारायण वल्द शिवदास
४१. ,, धांकल वल्द ढोलाराम
४२. ,, हरिसिंह वल्द गुलाबसिंह
४३. ,, महादेवसिंह वल्द छोगसिंह
४४. ,, गंगाधर मोदी
४५. ,, रामधनदास वल्द जयनारायण
४६. ,, हजारीमल वल्द जगराम
४७. ,, खरगसिंह वल्द छगनलाल

परिशिष्ट ५

(कृपया प्रश्न संख्या ४१६ का उत्तर देखिये)

जिला पाली की पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं उनकी सूची

तहसील बाली

१. ,, कोरटा
२. ,, खिवान्दी
३. ,, बलाना
४. ,, बीजापुर
५. ,, बिरामी
६. ,, दुदणी
७. ,, मियागणा
८. ,, कोशेलाव
९. ,, चानोद
१०. ,, तखतगढ़
११. ,, घणी
१२. चांवडेरी
१३. सान्डेराव
१४. खिमेल
१५. लाटाड़ा
१६. मन्दर
१७. बेड़ा
१८. भादून्द
१९. लुणावा
२०. पालाड़ी
२१. सुमेरपुर
२२. मुन्डारा
२३. पीमावा
२४. सीन्दरू

२५. नांदी
२६. लाम्पोद
२७. पेला
२८. पावा
२६. सवाडी
३०. दौला
३१. बाकली
३२. गौरिया
३३. कोट बालिया
३४. नाना

तहसील रायपुर

१. पीपलिया
२. सेन्दड़ा
३. बागड़ी कलातीया
४. कोट किराण
५. देवली
६. बर
७. कुशालपुरा
८. नानगणा
६. रायपुर
१०. चांग
११. काणुदां

तहसील जैतारण

१. फालका
२. सेवरियां
३. आसरलाई
४. कुड़की
५. जैतारण
६. लाम्बियां
७. निमाज

तहसील पाली

१. भाडावास
२. मुमादड़ा
३. चैन्डा
४. खैंखा
५. टेवाली
६, मिणयारी
७. गुडा एन्दला
८. डैन्डा
९. गुन्दोज
१०. हैमावास
११. गुडवाडा
१२. मड़िया
१४. खारडा
१४. लाम्बिया

तहसील चाखी

१. देवली
२. धनला
३. पुलाद
४. सारण
५. निम्बाली
६. राणावासु
७. मांडा
८. सहवाज
९. टिठड़ा कलां
१०. सिरयार
११. जोजावर
१२. मिमालीया
१३. आऊवा
१४. मारवाढ़ ज०

१५. जाडण

१६. बाडसा

१७. ब्रांता

१८. सिढला

तहसील सौजत

१. खारिया नीम

२. घाकडी

३. भोसान

४. केलवाद

५. सोजत रोड

६. बिलावासु

तहसील देसूरी

१. नाडोल

२. सामेसर

३. डालोप

४. बठाघार

५. बिजोवा

६. खोड

७. बंसी

८. घनेडी

९. जवाली

१०. खिवाडा

११. देवली

१२. रानी खुर्द

१३. पनोता

१४. मगरतलार

१५. वालराई

जिला पाली की पंचायतों की सूची जिनके त्रिवर्षीय चुनाव बकाया हैं।

तहसील पाली

१. एरनपुरा रोड

२. फालना गांव

३. फालना स्टेशन

तहसील रायपुर

१. सुमेल

२. बाबरा

३. लीलाम्बा

४. गिरी

५. हाजीवास

६. बिरांटिया

७. निम्बेड़ा

८. झूंठा

तहसील जैतारण

१. बुलन्दा

२. बीरोल

३. बांझाबड़ी

४. मोराई

५. नीम्बोला

६. घोडावड

७. लोटौती

८. चांबडिया

९. कालू

१०. राम

११. झूंमलिया

१२. बलाडा

१३. गरनिया

१४. देवरिया

तहसील खारची

१. दूदोड
२. राडावास
३. कैटालिया

तहसील पाली

१. रोहट
२. कलाली
३. नीमली
४. झीतड़ा
५. डीरी
६. दिवानदी
७. सोनाईलाखाँ
८. भांवरी
९. केरला
१०. कुलधाना

तहसील सोजत

१. सांडिया
२. गुढाबींझा
३. सरदार समंद
४. चौपड़ा
५. सुरायतां
६. घांगडवास
७. बगड़ी
८. अटवडा
९. चंडावल
१०. गुडकलां

तहसील देसूरी

१. रानीकलां
२, दादाई ।

३. घानेराव
४. सादड़ी
५. देसूरी
६, निपल
७. श्राना
८. चांचोड़ी
९. नारलाई
१०. डायलाई

नोट : १६३ पंचायतों में से ५८ पंचायतों के चुनाव बकाया हैं।

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक ५ नवम्बर, १९५८)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१८९९	८	श्री पी. के. चौधरी	३८० श्री पी. के. चौधरी
१९००	७	whather.	whether
,,	८	represententantion	representantion
१९०१	३	defictit	deficit
,,	६	statment	statement
,,	अन्तिम से ५	place	placed
१९०२	,, ,, ७	noless	noloss
१९०४	,, ,, १०	superseeded	superseded
१९०५	२,११,१४	superseeded	superseded
१९०६	अन्तिम से ५	uninterupted	uninterrupted
१९११	१	(बद्रीप्रसाद गुप्ता)	(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
१९१५	अन्तिम से ६	मुलोजिमान	मुलजिमान
१९१६	२	आमूस	आर्मस
१९१९	१८	muuicipal	municipal
१९२९	११	छोटे गायों	छोटे गांवों
,,	१६	बांघ	बांध
१९३०	अन्तिम से २	श्री लद्मीचन्द	श्री लक्ष्मीचन्द
१९३१	,, ,, ८	यह यह सही नहीं है	यह सही नहीं है
१९३२	६	डिकोलि	डिकोलियां
१९३३	१४	श्री पूनमच-द	श्री पूनमचन्द

१	२	३	४
१६३७	१२	नहीं	नहीं
१६३८	११	कहां से आई सरकार के पास	कहां से सरकार के पास
„	१३	(श्री) दौलत राम सारण)	(श्री दौलतराम सारण)
१६४२	१६	(क) क्या खाद्य एवं रसद	क्या खाद्य एवं रसद
१६४४	४,८,१३,२६	गर्टर्स	गर्डर्स
„	अन्तिम	साधार	साधारण
१६४५	७	गर्टर्स	गर्डर्स
१६४७	अन्तिम से २,३	(protection wall	protection wall
१६४६	१७	कृपा करें ?	कृपा करें !
१६५०	१६	काटली नदी बांध	काटली नदी पर बांध
„	अन्तिम से २	रप	पर
१६५३	३	को धर से	को धर से
„	अन्तिम से ८	श्री बद्रीप्रसासद	श्री बद्री प्रसाद
१६५४	३	गुप्ता !	गुप्ता:
१६६०	अन्तिम से ४	wich	which
१६६१	शीर्ष	नेशनल हाइवे इत्यादि के	नेशनल हाइवे के
„	१७	ओन्स्ट्रेशन	ओन्स्ट्रेक्शन
१६६२	१७	रिजोल्युलेशन	रिज़ोल्युशन
„	अन्तिम से	consepuential	consequential
१६६३	१	श्रीभानसिंह	श्री श्रीभानसिंह
१६६८	१२	रिजोल्युसत	रिजोल्युशन
१६७०	१३	इन्पोज् नहीं	इम्पोज नहीं
१६७३	४	चीफ सेकेट्री	चीफ सेक्रेट्री
„	२३	राजथान	राजस्थान
१६७४	१७	कन्जम्शन	कन्ज़म्पशन
१६८५	११	१६६ ह० मन	१६ ह० मन
„	अन्तिम	वस्तुओं	वस्तुओं

१	२	३	४
१९८७	अन्तिम से १०	नज्जारे	नजारे
२०००	४	और और गेहूँ	और गेहूँ
२००२	१९,२०,२६	हड	हैड
२००४	अन्तिम से ७	श्री ऊपाध्यद्व	श्री उपाध्यद्व
२०१४	२०	lheh	then
२०१५	५	conspiciusly	conspicuously
२०१९	१०	प्रॉन्नलमे	प्रैन्नलमें
२०२५	२०,२४	केश	वैश
२०३०	अन्तिम	वारते	वास्ते
२०३५—	प्रथम पंक्ति	—	(श्री मूलचन्द डागा)
२०३९			
२०३५	१	(श्री नूलचन्द डागा)	श्री मूलचन्द डागा
,,	४		
२०३७	१	(श्री मूल वन्द डागा)	श्री मूलचन्द डागा
,,	४		
२०३९	१	(श्री मूलचन्द डागा)	श्री मूलचन्द डागा
,,	४		
,,	२०,२१	bbleave	believe
२०७४	,, ,, १२	regiona	regioual
२०७५	,, ,, ३	devery	and every
२०७६	६	मुख्य मन्त्री	मुख्य मन्त्री
२०८३	२	यजह	वजह
,,	१३	willno:dhe disgurbdhe	willnof disfurb the···
२०९१	१८	फर	कर
,,	१९	इत्यादी	इत्यादि
,,	अन्तिम	(नियन्त्रण)	(नियन्त्रण)
२०९२	अन्तिम से १०	ntioual	uisuwaysall

१	२	३	४
२०६२	४	(निवार)	(विचार)
२०६५	४	२१	२४
,,	६	१३	३
,,	१०	jhujhnu	jhunjhunu
,,	१६	nisanpur	nisarpur
२१०५	१६	बढाधार	बणधार

———